मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 53 जुलाई, 2012 अंक : 1

प्रकाशन तिथि : 2 जुलाई, 2012

मूल्य : 10 रुपये

चित्र समाचार

राजस्थान मदरसा बोर्ड के भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया। पास में हैं शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री अमीन खाँ, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष श्री मोहम्मद फज्ले हक एवं गणमान्य अतिथि।

राजकीय उ.मा. विद्यालय, लोहा जिला चूरू की सत्र 2011-12 की विद्यालय पत्रिका उड़ान का लोकार्पण माननीय शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा ने किया। शिक्षामंत्री जी के बाएं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कुलदीप व्यास एवं अन्य अतिथिगण।

राज. सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर में आयोजित शिक्षा का अधिकार प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित विशिष्टजन एवं सन्दर्भ्य व्यक्ति।

स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर में आयोजित शिक्षा का अधिकार प्रशिक्षण कार्यशाला को सम्बोधित करते शिक्षा निदेशक श्री हर सहाय मीणा।

श्रीमती निर्मला आर्य, प्रधानाचार्या, रा.बा.उ.मा.वि., तलवण्डी (कोटा) द्वारा देहदान का संकल्प लेने पर पंजीकरण कार्ड सौंपती मेडिकल कॉलेज, कोटा की डा. प्रतिभा जायसवाल।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाँधी चौक, बाड़मेर में वार्षिक उत्सव में छात्र सौरभ भारद्वाज को पुरस्कृत करते जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) श्री गोरधन लाल पंजाबी।

शिविरा पत्रिका

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा का समाचार-विचार मासिक

वर्ष : 53 अंक : 1

जुलाई, 2012

प्रकाशन तिथि : 2 जुलाई, 2012

प्रधान सम्पादक
हर सहाय मीणा, I.A.S.

●

वरिष्ठ सम्पादक
ओमप्रकाश सारस्वत

●

सहायक
लक्ष्मी नारायण शर्मा
मुकेश व्यास

- एक प्रति 10 रु.
- वार्षिक चंदा
  - शिक्षकों/लिपिकों के लिए 50 रु.
  - संस्थाओं/अन्य व्यक्तियों के लिए 100 रु.
- मनी ऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय है।
- पोस्टल ऑर्डर/चैक स्वीकार्य नहीं हैं।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –व.सं.

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते
श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

इस अंक में

करें बच्चों का स्वागत	5	**दिशाकल्प**
नन्हा मदरसे चला	6	**डॉ. ज़ाकिर हुसैन**
परीक्षा का परिणाम ही सफलता नहीं	9	**श्री श्री रविशंकर**
राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा - दशा एवं दिशा	10	**राजेन्द्र भाणावत**
बहुत याद आता है बचपन	13	**अशोक सिन्हा**
गणित कठिन क्यों लगता है?	15	**प्रो. चन्द्रकान्त राजू**
पुस्तक प्रेमी शिक्षक मास्टर मोतीलाल जी	16	**शिवरतन थानवी**
बेटियाँ हैं अनमोल	47	**सुनीता चावला**
शिक्षक दिवस प्रकाशन 2011- एक विश्लेषण	48	**प्रो. (डॉ.) जमनालाल बायती**
बापू की सीख - 13		
नम्रता	50	**मो.क. गाँधी**
भारतीय साहित्य में स्वाध्याय	51	**सीताराम उपाध्याय**
स्वाध्याय की परिवीक्षित अध्ययन-पद्धति	53	**डॉ. राकेश कटारा**
शिक्षा में स्वाध्याय का महत्व	54	**सम्पतलाल शर्मा 'सागर'**
स्वाध्याय और शिक्षार्थी	55	**एम.एल. जांगिड़**
ऊर्जा स्रोत स्वाध्याय	57	**देवेन्द्र पण्ड्या**

स्थाई स्तम्भ

पाठक पीठ - 4/आदेश परिपत्र 19-46/ पुस्तक परिचय 58-59/ चतुर्दिक 60-61/ भामाशाह - 62

शिविरा पंचांग 2012-13
31-34

मुखावरण

नभांशु श्रीमाली

पाठक पीठ

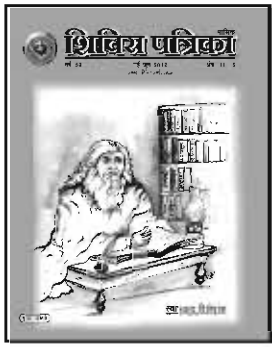

शिविरा का मई-जून अंक 2012 पढ़ा, डॉ. के.के. पाठक द्वारा 'भीतर के पट खोल' आलेख में सभी को उत्तरदायित्व बोध कराया है। निदेशक महोदय द्वारा यह संदेश की अवकाश ठहराव का नहीं विकास और विस्तार का समय है। यह प्रेरणा देता है कि अगर अध्यापन कार्य रुक गया तो शिक्षण में तीक्ष्णता और पैनापन नहीं रहेगा और अध्यापन कार्य में न्याय नहीं कर पाएँगे। डॉ. चतर सिंह मेहता, शिवरतन थानवी एवं भगवती प्रसाद गौतम के आलेखों ने हमारी सुषुप्त आकांक्षाओं को जागृत कर शिक्षक की सोच और शुचिता का अहसास कराया है।

–सीताराम उपाध्याय, कोथून

माह मई-जून 2012 का स्वाध्याय विशेषांक का अंक समय पर मिला। इस अंक में जहाँ श्री गौतम सा., चतर सिंह जी, काबरा सा., दाऊदयाल जी की गहन, विचारोत्पादक रचनाएँ हैं। वहीं शकुन्तला जी सोनी, दीपचन्द सुथार, भारत जी दोसी, पूनम जी आदि लेखकों के स्वाध्याय द्वारा स्वयं के शिक्षण हुए कामों का वर्णन किया है। इन सभी लेखकों को साधुवाद। पत्रिका का अन्तिम लेख 'तेरा तुझको अर्पण' बहुत पसंद आया। सारस्वत साहब व उनके विद्वान साथियों को इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक स्वाध्याय से अर्जित लाभों की सामग्री पाठकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद।

–शिवचरण मंत्री, श्रीनगर

शिविरा का माह मई-जून 2012 का अंक प्राप्त हुआ। 'भीतर के पट खोल' लेख यथार्थ से युक्त एवं मार्मिक है। ज्ञान मनुष्य के पास अक्षुण और अमूल्य निधि है, ज्ञान ही अन्दर के अज्ञान को दूर करता है। यह सत्य तक पहुँचने का मार्ग है। सच ही कहा गया है कि सच केवल कहने के लिए ही नहीं सहने के लिए भी बना है। लेख गागर में सागर है।

–महेन्द्र शर्मा, भवानीखेड़ा

शिविरा का मई-जून, 2012 स्वाध्याय विशेषांक के रूप में मिला। स्वाध्याय विषय पर विशेषांक ने गागर में सागर का काम किया इसके लिए सम्पादक मण्डल को बधाई। यह अंक 52वें वर्ष में प्रवेश कर रवीन्द्रनाथ ठाकुर विशेषांक से प्रारम्भ होकर स्वाध्याय विशेषांक के मुकाम तक पहुँचा है। निश्चित रूप से इसमें पाठकों, रचनाकारों के साथ-साथ इतनी लम्बी यात्रा में सम्पादक मण्डल की अथक साधना एवं अहर्निश सद्प्रयासों का सुफल ही कहा जाएगा कि पत्रिका शिक्षा एवं राजकीय क्षेत्र में सर्वोपरि होकर सबसे ऊपर के पायदान पर सुशोभित है। इसके लिए सम्पादकीय मण्डल साधुवाद के पात्र हैं।

–महेश कुमार चतुर्वेदी, छोटी सादड़ी

माह मई-जून के स्वाध्याय विशेषांक में श्री शिवरतन थानवी का आलेख 'शिक्षक क्या पढ़ें - क्यों पढ़ें' पढ़ा। आलेख में स्वाध्याय के अनेक गूढ़-रहस्य छिपे हैं यदि शिक्षक इन्हें ध्यान से पढ़े तो निश्चित स्वाध्यायी बन जायेगा। थानवी साहब ने अच्छा शिक्षक बनने में मदद करने वाले साहित्य तथा व्यक्तित्व विकास में सहायक साहित्य को पृथक-पृथक रूप से सुझाया है। स्वाध्याय विशेषांक शिविरा का स्तुत्य प्रयास है, एतर्थ साधुवाद।

–शान्तिलाल सेठ, बांसवाड़ा

शिविरा पत्रिका माह मई-जून, 2012 का चिर-प्रतीक्षित स्वाध्याय अंक के विविध लेख सम्पूर्ण शिक्षक समुदाय के लिए पठनीय एवं शैक्षिक-मंथन के लिए परिपूर्ण है। माननीय निदेशक महोदय ने दिशाकल्प में कविता-वीरता एवं दानवीरता की त्रिवेणी से निर्झरित ज्ञान के द्वारा शिक्षक व शिक्षार्थी सीख लेकर भावी जीवन को जनोपयोगी बनाना अति सरल व सुगम है। स्वाध्याय अंक के आलेख 'भीतर के पट खोल', 'शिक्षक क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें', 'स्वाध्याय की ताकत' आदि बार-बार पढ़ने योग्य सामयिक महत्वपूर्ण आलेख हैं। अठारह मानकों (लेखों) की स्वाध्याय माला का प्रत्येक मनका (लेख) मननीय व संग्रहणीय है। आकर्षक मुखावरण सम्पूर्ण अंक को आद्योपांत पठन के लिए प्रेरित करता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जो पढ़ाने की जुर्रत करता है, उसे (शिक्षकों) पढ़ना बन्द नहीं करना चाहिए।

–निर्मल वर्मा, कनेहन कला, भीलवाड़ा

शिविरा मई-जून, 2012 में डॉ. के.के. पाठक की ओजस्वी लेखनी ने पाठक के भीतर के पट खोल दिये हैं, देखना यह है कि कितने प्रेरित होते हैं। चतर सिंह मेहता ने ज्ञान का महत्व बताते हुए महात्मा बुद्ध के 'अप्प दीपो भव' एवं श्रीमद्भगवद्गीता के उद्धरणों से कई चिन्तनीय विषय सुझाये हैं। शिवरतन थानवी, डॉ. दाऊदयाल गुप्ता, भगवती प्रसाद गौतम, विद्या पालीवाल तथा अन्य लेखकों से शिविरा संग्रहणीय बन गई है। आयुक्त महोदय की 'शिक्षकों के नाम पाती' को प्रत्येक शिक्षक को हृदयंगम कर शैक्षिक क्षुधा शान्त करने हेतु स्वाध्याय करना एवं शिविरा का ग्राहक बनना चाहिए।

–बजरंग प्रसाद मजेजी, सांपला, अजमेर

मई-जून, 2012 की शिविरा पत्रिका के 'दिशाकल्प' में निदेशक महोदय ने स्वाध्याय एवं सृजन की महत्ता व अवकाश के सदुपयोग पर सटीक मार्गदर्शन किया है। वास्तव में स्वाध्याय ही नवसृजन, विशेषज्ञता एवं वास्तव में मर्मस्पर्शी विचार रखे हैं।

–प्रेमप्रकाश रजवास, निवाई, टोंक

चिन्तन

Education is what survives when what has been learnt has been forgotten.

सीखे गए को भूल जाने के बाद भी जो कुछ बचा रहता है, वही शिक्षा है।

–स्किनर (न्यू साईंटिस्ट पत्रिका-21 मई 1964)

सत्यमेव जयते

हर सहाय मीणा, आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

"मेरी अभिभावकों से गुजारिश है कि वे अपने बच्चों में शिक्षा के प्रति ललक एवं उत्तम संस्कारों के प्रति उत्तम भाव पैदा करें। सच तो यह है कि बच्चे जो कुछ सीखते हैं, उसका लगभग तीन चौथाई आनुवंशिक रूप से माता-पिता से घर में ही सीखते हैं। इसलिए घर को बच्चे का प्रथम विद्यालय कहते हैं।"

दिशाकल्प

करें बच्चों का स्वागत

ग्रीष्मावकाश के पश्चात् विद्यालय खुल चुके हैं। डेढ़ माह के विराम के पश्चात् लाखों विद्यार्थी अपने चेहरे पर मुस्कान एवं हृदय में आशा की किरणें लेकर शिक्षकों एवं शिक्षालयों की देहरी पर पहुँच रहे हैं। बालक-बालिकाओं को दुलार देने, उन्हें अंक-अक्षर का ज्ञान देने के साथ ही उनमें उत्तम संस्कारों का बीजारोपण करने के भाव से शिक्षक भी निःसंदेह उत्सुकता से छात्र-छात्राओं की उडीक में तत्पर खड़े हैं। शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों की मधुर जुगलबंदी ही समाज व राष्ट्र को ऊँचाइयाँ दिला सकती है। आईये, हम मिलकर इन बच्चों का स्वागत करें तथा उनके व्यक्तित्व व कृतित्व का निर्माण करने का संकल्प लें।

बच्चे के सांगोपांग विकास के लिए शिक्षक व विद्यालय के साथ, बल्कि यों कहें कि इनसे भी प्राथमिक स्थान परिवार एवं अभिभावकों का है। इस प्रकार अभिभावक एवं शिक्षक तथा घर एवं विद्यालय मिलकर ही आज के बालक को कल के आदर्श व्यक्ति एवं उत्तम नागरिक के रूप में गढ़ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि शिविरा को कितने अभिभावक पढ़ते होंगे लेकिन हमारे शिक्षक, शिक्षक होने के साथ अभिभावक भी तो हैं। अध्यापक-अभिभावकों की बैठकें भी स्कूलों में होती रहती हैं। मेरी अभिभावकों से गुजारिश है कि वे अपने बच्चों में शिक्षा के प्रति ललक एवं उत्तम संस्कारों के प्रति उत्तम भाव पैदा करें। सच तो यह है कि बच्चे जो कुछ सीखते हैं, उसका लगभग तीन चौथाई आनुवंशिक रूप से माता-पिता से घर में ही सीखते हैं। इसलिए घर को बच्चे का प्रथम विद्यालय कहते हैं।

राज्य सरकार एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के द्वारा बालक-बालिकाओं के हितार्थ विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, गणवेश वितरण जैसी योजनाएँ चलाई जाती हैं। बच्चे न तो उनके बारे में अधिक जानते हैं और न ही जान लेने पर विद्यालय व शिक्षकों के सहयोग बिना उन्हें प्राप्त ही कर सकते हैं। शिक्षा प्रशासन में निदेशालय से लेकर विद्यालय तक तथा उच्च अधिकारियों से लेकर सामान्य शिक्षक तक, सबका कर्तव्य बनता है कि पात्र बालक को वांछित वृत्ति एवं सुविधा समय पर दिलाई जाए।

शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यग्रहण किए मुझे साढ़े तीन महीने पूर्ण हो चुके हैं। इस अवधि में मुझे राज्य के कई भागों में बैठकों एवं निरीक्षणों के निमित्त जाने का अवसर मिला है। स्थानीय नागरिकों एवं बालक-बालिकाओं में शिक्षा प्राप्ति के प्रति एक जिज्ञासा मैंने देखी है। आखिर उनकी इस जिज्ञासा को कौन पूरी करेगा? यह कार्य शिक्षकों के हवाले है और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में शिक्षक शिक्षा की मशाल बनकर बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

मैं शैक्षणिक सत्र 2012-13 के सुखद, सफल एवं यशमय होने की शुभकामनाएँ प्रकट करता हुआ शिक्षकों, अभिभावकों एवं शिक्षा से जुड़े सभी महानुभावों के उत्तम स्वास्थ्य, सतत् प्रगति, व्यावसायिक निपुणता एवं लोकमंगल की कामना करता हूँ।

(हर सहाय मीणा)
hsmeena2001@yahoo.com

नन्हा मदरसे चला

❑ डॉ. ज़ाकिर हुसैन

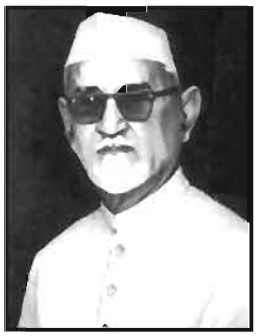

भारत गणतंत्र के तृतीय राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन मूलतः एक शिक्षक एवं विचारक थे। सरलता एवं सादगी के साक्षात स्वरूप जाकिर हुसैन साहब का देश के शैक्षिक उत्थान में अत्यन्त उल्लेखनीय योगदान रहा है। महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित नई तालीम (बुनियादी शिक्षा) का तानाबाना रचने वाली वर्धा समिति के प्रधान जाकिर हुसैन ही थे। डॉ. ज़ाकिर हुसैन जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। इस विश्वविद्यालय की सुमधुर सुवास से हम सब परिचित हैं। ग्रीष्मावकाश के पश्चात विद्यालय खुले ही हैं। नामांकन के लिए प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। जाकिर हुसैन साहब का यह आलेख अध्यापक-अभिभावक-समाज सबके लिए अतिशय उपयोगी है।

लीजिए, अब आपका नन्हा मदरसे चला। आदमी का बच्चा शुरू-शुरू में ऐसा बेबस होता है, और बड़ा होकर मानवता के जिस स्तर पर उसे पहुँचाना होता है, वह इतना ऊँचा है कि उसकी शिक्षा में बहुत दिन लगते हैं, और उसके विकास के लिए बड़े यत्न करने पड़ते हैं। इस शिक्षा और विकास के काम में आप, यानी नन्हें के माँ-बाप, अभिभावक, अकेले जो कुछ कर सकते थे कर चुके। अब शायद आप समझते हैं कि काम केवल आपसे न सँभलेगा। इसमें औरों की मदद की जरूरत है। इसलिए नन्हा मदरसे भेजा जाता है। लेकिन शिक्षा और विकास का काम ऐसा मिला-जुला काम है कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ सभी ओर से सिमट कर बच्चे के व्यक्तित्व में इस तरह घुल-मिल जाती हैं, कि उन्हें अलग-अलग करना कठिन है। मदरसा जब इस काम को अपने सिर लेता है, तब तक घर बहुत कुछ बना-बिगाड़ चुकता है। फिर मदरसे के सुपुर्द होने के बाद भी घर का प्रभाव मिट नहीं जाता। या तो घर और मदरसा साथ-साथ चलते हैं, और एक-दूसरे के काम को समझ कर हाथ बढ़ाते हैं, या वह एक तरफ खींचता है, दूसरी तरफ उसकी ढोलकी अलग और इसका राग अलग।

अब जो नन्हा मदरसे चला, तो देखना यह है, कि आप यानी माँ-बाप और अभिभावक इसे पहले से क्या बना चुके हैं। मगर आप न जाने क्या-क्या हो सकते हैं। हो सकता है, कि आप उन अभागों में हो, जिनके पास दूसरों का कमाया हुआ धन इतना होता है कि समझ में नहीं आता उसका करें क्या। धन की विपुलता का बोझ प्रायः अक्ल की कमी से हल्का होता है। क्या अजब है, कि उसका भार भी कुछ इसी तरह हल्का हुआ हो। अगर ऐसा है, तो अनुमान यही है, कि आपने नन्हें के विकास का कर्तव्य धन-व्यय करके पूरा करना चाहा होगा। नन्हें के लिए अनगिनत, बेकार नौकर होंगे और बेजरूरत सामान। तरह-तरह के कपड़ों के बक्स भरे होंगे, लेकिन शायद ही कोई पोशाक इस बच्चे के लिए उपयुक्त होगी। जूतों की लम्बी कतारें होंगी और नन्हा अक्सर नंगे पैर रहता होगा। खिलौनों का एक अजायब-घर होगा, जिनसे बच्चा कभी का उकता चुका होगा। यह नौकरों पर आपकी नकल करके बेजा हकूमत जताता होगा। घर में लाड़-प्यार करने वाली दादी और नानी होंगी, तो उन्हें खुश करने के लिए जब-जब आपको भी कुछ उल्टा-सीधा सुना देता होगा। अपने हाथ-पांव से काम करने की नौबत मुश्किल से ही कभी आती होगी, क्योंकि यह बड़प्पन की शान के खिलाफ है। बस, खाना खुद हजम करना होता होगा, अभिमानी होगा और अब यह मदरसे जाएगा। आपके किसी दोस्त ने बताया होगा, कि अमुक मदरसे भेजो, वहाँ फीस ज्यादा है, इसलिए मदरसा जरूर अच्छा होगा। आपको अगर फुर्सत मिली होगी, तो एक खत अंग्रेजी में हेडमास्टर के नाम लिख दिया होगा, और कुंवर साहब दो-तीन नौकरों और एक-दो घोड़ों के साथ आपकी बड़ी मोटर में बैठकर मदरसे में पधारे होंगे।

अगर नानी-अम्मा ने एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर बच्चे को मदरसे से न उठा लिया, तो सच मानिए कि मदरसा आपके किए को अनकिया किए बिना अपना कर्तव्य मुश्किल से पूरा कर सकेगा, और फिर न मालूम कि घर कहाँ-कहाँ मदरसे की राह में रुकावट बनें?

हो सकता है, कि आप उन स्वावलम्बी मनुष्यों में से हों, जो अपने परिश्रम और योग्यता से आगे बढ़कर अपने पेशे या कारोबार में विशेष महत्व प्राप्त करते हैं, या किसी ऊँचे सरकारी पद पर पहुँच जाते हैं। आपको अवश्य यह चिन्ता होगी कि अपने बच्चे को अपने से और अच्छी शिक्षा दें। लेकिन आपको खुद इतनी कम फुर्सत होगी कि उसकी देखभाल कोई दूसरा ही करता होगा। लेकिन जिस तरह आप अधिक व्यस्त रहते हुए भी जीवन के सभी प्रधान क्षेत्रों– धर्म, अर्थनीति, राजनीति के सम्बन्ध में बस अंतिम निर्णय करना और उनका प्रचार अपने अल्पज्ञ और थोड़ी पूंजीवाले साथियों में करना आवश्यक मानते हैं, और समझते हैं कि इससे अपने व्यस्त जीवन की एकांगी प्रवृत्ति में कुछ सीध पैदा करेंगे, उस तरह आप अपने बच्चों की ओर ध्यान न दे सकने की कमी को, इसके सम्बन्ध में और इसकी शिक्षा के साधनों के सम्बन्ध में, खेद है कि बिल्कुल अंतिम निर्णय पर पहुँच कर, पूरा करना चाहते हैं। आप क्योंकि एक सफल मनुष्य हैं, इसलिए अपनी दृष्टि में आप ही मनुष्यता

के मानदण्ड (मयार) हैं। अगर आपकी दृष्टि में कहीं बच्चे का यह रूप अधिक ठीक जँचे कि वह आप ही की सहज क्षमताओं का स्वामी है, तो शायद आपकी राय यह होगी कि आपका बच्चा 'जीनियस' प्रतिभा सम्पन्न है। इसकी समझ के क्या कहने, इसकी धारणा शक्ति का क्या पूछना। इसे दो कविताएँ जबानी याद करा दी गई हैं, जो आप अक्सर इस गरीब से अपने मित्रों के सामने पढ़वाते हैं। यह उन्हें एक खास ढंग से सिर हिला-हिलाकर और हाथ बढ़ा-बढ़ा कर सुनाता है। आपने स्वयं अत्यन्त कृपा करके किसी इतवार के दिन इसे अंग्रेजी के वाक्य रटा दिए हैं।

यह रटा हुआ भी इसे लोगों के सामने दुहराना पड़ता है। और इन प्रदर्शनों के बाद आप अपने दोस्तों को यकीन दिलाते हैं कि यह लड़का तो जीनियस है, जीनियस! मगर आपको कौन बताए कि इस ऊँचे मानदण्ड के अनुसार तो सारे तोते और सारे बन्दर भी जीनियस है और अगर कहीं काम की अधिकता के कारण आपके रग-पुट्ठे कुछ कमजोर हो गए हैं, जिगर का काम भी कुछ खराब है और बदकिस्मती से बच्चे से कोई मन के विरुद्ध बात भी कई बार हो गई है, क्योंकि ऐसी दशा में मन के विरुद्ध बात करने के लिए किसी बड़े हुनर की जरूरत नहीं, तो आप अपनी सहज-बुद्धि से इस ठीक नतीजे पर भी पहुँच सकते हैं कि वह गधा है ! अपनी दूसरी रायों की तरह आप अपनी इस राय का भी वक्त-बे-वक्त ऐलान करते होंगे, और आदमी के इस बच्चे को गधा बनाने में अपने बस-भर तो कसर उठा न रखते होंगे। और अब आपका यह जीनियस या आपका यह गधा अपने साथ बड़प्पन या मिथ्यानुमान (सुपीरिअरिटी काम्प्लेक्स) या उससे भी अधिक हीनता का मिथ्याभिमान (इनफीरिअरिटी काम्प्लेक्स) लेकर मदरसे जाता है। देखिए, मदरसा आपकी पैदा की हुई उलझनों को किस तरह सुलझाता है, और आपका हस्तक्षेप करना वहाँ भी कहीं और गुत्थियाँ तो नहीं डालता? शायद आपका हरदम अपने काम में लगा रहना ही मदरसे को अपना काम करने दे और आपका जीनियस या गधा आदमी बन जाय।

लेकिन संभव है, कि न आप अतुल धन-दौलत के उत्तराधिकारी हों, न दिन-रात कमाई के सफल संघर्ष में लीन। बल्कि साधारण कोटि के ठीक भले-मानस हों। अपनी दुकान रखते हों, किसी दफ्तर में सौ-सवा के नौकर हों, किसी मदरसे में अध्यापक हों, रोज कुछ समय अपने बच्चों में बिता सकते हों, घर का काम आपकी पत्नी आप सँभालती हो, नौकर चाकर न हों, सभ्य और योग्य पत्नी घर को साफ-सुथरा रखती हो, और बच्चों की भी देखभाल करती हो तो आपका बच्चा बहुत से उन खतरों से सुरक्षित है, जिनकी चर्चा अभी कर चुका हूँ। मगर बच्चा फिर भी बच्चा है। कभी अधिक साफ-सुथरे घर में कहीं कुछ गिरा देगा, धुली चाँदनी मैली हो जाएगी, माँ जो रोटी थपानी में लगी है उसे देखकर नाराज होगी और कहेगी, 'अच्छा आने दे बाबूजी को अपने, कल ही तुझे मदरसे न भिजवाया तो।' कभी बच्चे से कोई चीज टूट जाएगी– वहीं मदरसे की धमकी। कभी खेल-कूद में बच्चा चिल्लाएगा– शोर मचाएगा, अभी कपड़े बदले गए थे अभी धूल में सना माँ के सामने आएगा, तो वही मदरसे भेजने की धमकी दी जाएगी। धमकी का प्रभाव बढ़ाने के लिए मदरसे की बड़ी भयानक तस्वीर भी सामने लाई जाएगी। और यों आज के दिन के लिए क्या ही खूब तैयारी की गई होगी, इसलिए कि आज आप का नन्हा मदरसे चला !

या हो सकता है कि आप हिन्दुस्तान के उन करोड़ों किसानों और मजदूरों में से हो, जिनके बच्चों के लिए बस घर का कठिन जीवन ही मदरसे का काम देता है। जिनके लिए मदरसे खोलने को कभी काफी पैसे नहीं मिल पाते और जिनके बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए इतने मदरसों की जरूरत है, कि हर एक शिक्षा-विशेषज्ञ उँगलियों पर हिसाब लगाकर बता देता है कि इतने मदरसे खोलने के लिए जितने धन की जरूरत है, उतना तो मिल ही नहीं सकता वे यह बात बताकर समझते हैं कि बड़ी दूर की कौड़ी लाए। फिर इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी अगर कुछ मदरसे इनके लिए बन जाते हैं, तो ये अपने बच्चों को इन मदरसों में भेजने को तैयार नहीं होते। मैंने यह गलत कहा कि आप शायद उन करोड़ों किसानों या मजदूरों में से हों। उन बेचारों को इतना समय कहाँ कि बेफिक्रों की तरह रेडियो पर भाषण सुनें। कहीं-कहीं शिक्षा के अनिवार्य हो जाने के कारण, कहीं इसके निःशुल्क हो जाने के लालच से, कहीं आस-पास के सम्पन्न लोगों की देखा-देखी ऐसे किसान या मजदूर का नन्हा भी पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता है। वह नन्हा जो घर के कामों में माँ-बाप का हाथ बँटाता है, जो बकरियाँ चरा लेता है, खेत पर बाप के लिए रोटी ले जाता है, माँ जब उपले थापती या रोटी बनाती है तो वह छोटी बहन को बहला लेता है। हाथ-पाँव का बड़ा मजबूत है, बस आँखें दुखती हैं, या नाक बहती है। लेकिन आँख मिलाकर बात करता है, बे-सहारे जिंदा रह सकता है, आदमी का बच्चा है, कोई मुरमुरों का थैला नहीं, और, हाँ न यह जीनियस है– न गधा। मगर इसका बाप भी चाहता है कि बच्चा पढ़कर पटवारी बन जाय। यह न हो सके तो लाल-पगड़ी वाला चपरासी ही सही। अनिवार्य शिक्षा का कानून इसके जिले के कुछ गाँवों में लागू हो गया है, इसलिए यह भी आज मदरसे जाता है।

अब आप ही देखिए कि कैसे भाँति-भाँति के बच्चे मदरसे जाते हैं। घर ने कैसे-कैसे नमूने बनाये हैं, क्या-क्या आशाएँ लगी हैं, और उन्हें पूरा करने का क्या उपाय है? माँ-बाप की मानसिक उलझन को देखिए, उनके नतीजे यानी बच्चों की मानसिक गुत्थियों पर ध्यान दीजिए– तो मालूम

....बच्चा स्कूल जा रहा है !

हुआ सवेरा जमीं पर फिर आकाश अदब से सिर झुका रहा है
नई फिजां में नया उजाला सारी बस्ती सजा रहा है
कि बच्चा स्कूल जा रहा है.....।

हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं।
महकती खुशबुओं से फूल सोते रास्तों को जगा रहे हैं।
घनेरा पीपल गली के कोने से अपना हाथ हिला रहा है,
कि बच्चा स्कूल जा रहा है.....।

–निदा फाजली

होता है कि मदरसे का काम भी कितना कठिन हैं? लेकिन क्या मदरसे वाले इसे सचमुच कठिन समझते हैं? क्या उनका ध्यान अपने काम की इस कठिनता की ओर जाता है? उनकी ये कठिनाइयाँ तो सुनने में आई हैं कि वेतन कम है, काम बहुत है, अफसरों को सलाम झुकाने में या उसकी तदबीर में फुरसत का और कभी-कभी काम का भी बहुत वक्त निकल जाता है। छुट्टियाँ कम हैं, अफसर लोग पक्षपात से काम लेते हैं, और कहीं-कहीं तो महीनों तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये सब और इन जैसी बहुत-सी शिकायतें सुनने में आती हैं, और प्रायः ठीक भी होती हैं। लेकिन शिक्षा और विकास के काम की वास्तविक कठिनाई तो और ही है। यह कठिनाई तो वही है, जिसके कारण घर में विकास सम्बन्धी अनेक भूलें हो जाती हैं। यानी बड़ों का यह अभिमान कि वे ही सब कुछ हैं, बच्चा कुछ नहीं, वे सब कुछ जानते हैं, मंजिल जानते हैं, राह पहचानते हैं, सफर की गतिविधि निश्चय कर सकते हैं, काम उनकी इच्छा के अनुकूल हो, जिसकी अनेकरूपता के क्या कहने, तो सब ठीक ! इसके खिलाफ हो, तो सब गलत ! उन्हें घमण्ड है कि बच्चा उनकी सम्पत्ति है, वे चाहे मनोरंजन के लिए उसे अपना खिलौना बनाएँ, चाहे अपने मनमाने उद्देश्यों के लिए अपना दास। उन्हें अपनी बाजीगरी का पूरा भरोसा है कि आम को इमली और इमली को आम बना सकते हैं। पहले बच्चा घर में लक्ष्य बनता है इस बात का कि वह सबकी सम्पत्ति है, और माँ-बाप की सर्वज्ञता के दम्भ का। फिर कहीं मदरसे पहुँचता है। क्या मदरसा इसे इस मुसीबत से छुड़ा सकता है? क्या अध्यापक महोदय भी उस बीमारी के शिकार नहीं होते, जिसके कि स्वयं अभिभावक थे? क्या वे भी सब कुछ नहीं जानते और सब कुछ नहीं कर सकते? क्या वे भी यह नहीं समझते कि बच्चा उनके कुशलकरों में, बस, मिट्टी का एक लोंदा है? ये जो आकार चाहें उसे दें, और उसका मस्तिष्क जो कोरा कागज है, ये उस पर चाहे जो लिख दें। यारों ने तो शिक्षा के विद्या-विषयक विचारों की पूरी इमारत ही इस गलत बुनियाद पर खड़ी कर ली है और शिक्षा की व्यवस्था बस इस अहितकर प्रयत्न से की जाती है कि प्रकृति जो चाहती है वह न होने पाये, या जो हम चाहते हैं– प्रकृति को भी वही चाहना चाहिए। प्रकृति तो हर बच्चे में व्यक्तित्व-निर्माण के अनगिनत साधनों में से किसी एक विशेष साधन की सफलता चाहती है। किसी ने ठीक ही कहा है, कि ***हर बच्चा जो पैदा होता है वह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर अभी मानव से निराश नहीं हुआ है और यहाँ पर यह धारणा बन चुकी है कि जो साँचा हमने तैयार किया है, बस वही सर्वश्रेष्ठ है।*** व्यक्तित्व के मोम में पिघला कर बस उसी में ढालना चाहिए और जो ठप्पा हमने बनाया है, वही सबसे अच्छा है, उसी की छाप इस पर लगानी चाहिए। इस समय जबकि मैं बच्चों के अभिभावकों और उनके अध्यापकों को लक्ष्य करता हूँ, यह निवेदन किए बिना नहीं रह सकता कि आप किसी तरह अपने को मौलिक भ्रांतियों से मुक्त कर लें, बच्चे को मनुष्य का अग्रदूत समझें, उसे बेसहारे खुद भी बढ़ने दें, उसकी प्राकृतिक क्षमताओं और प्रवृत्तियों का सम्मान करें और समझें कि यह छोटा-सा जीव अपने विकास की क्रियात्मक पूर्ति की ओर खुद कदम उठाता है। इसे सहारा दीजिये, मगर इसके चलने की दिशा तो न बदलिए। न इसकी ओर इतना अधिक ध्यान दीजिए कि वह फिर खुद अपनी ओर ध्यान ही न दे सके, न इतनी उदासीनता ही रखिए कि इसकी वे आवश्यकताएँ भी पूरी न हों– जिनमें यह सचमुच आपके अधीन है। न लाड़-प्यार की ज्यादती से इसे 'मिर्जा-फोया' बनाइये, न ऐसा ही, कि आपकी कठोरता के कारण यह जिन्दगी या कम से कम आदमियों से ही घृणा करने लगे। मानसिक जीवन की अनेकरूपता को ध्यान में रखिये और यह विश्वास न कर बैठिए कि ऊँचे पदाधिकारियों या बड़े-बड़े वकीलों के सब बच्चों को ईश्वर खास तौर से गढ़ कर सिविल सर्विस के इम्तहान में बैठने के लिए ही दुनिया में भेजता है। सारांश यह है, कि उन संभावनाओं के कारण, जो आपके बच्चे के मानसिक जीवन में अभी छिपी हुई हैं, इन मान्यताओं के लिए जिनका वह भार उठा सकता है– आप उसका आदर और सत्कार करें। जी हाँ, आप घबरायें नहीं। मैंने यही कहा कि आप बच्चे का आदर और सम्मान करें। बेबस बच्चे से लेकर एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व तक पहुँचने का प्रयत्न सचमुच बड़ा ही सराहनीय प्रयत्न है। आपने स्वयं चाहे उस राह पर कदम उठाना छोड़ दिया हो और थक कर कहीं बीच ही में बैठ रहे हों, कि बहुत से आदमियों को उस मंजिल तक पहुँचने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, लेकिन आपका बच्चा अभी उस राह पर पहले पहल कदम उठा रहा है, उसका रास्ता तो न रोकिए, आप भ्रम में कभी न पड़िए कि वह आपकी सम्पत्ति है, आप जो चाहें उसे बनायें। वह आपकी सम्पत्ति नहीं। वह तो आपके पास प्रकृति की एक धरोहर है। प्रकृति के अधिकार को अपने अधिकार से अधिक समझिए।

अध्यापकों से भी, जिनके मदरसे में ये बच्चे इसलिए भेजे जाते हैं कि समाज की दृष्टि में घर शिक्षा-विकास के कर्तव्य पूर्णरूप से पालन नहीं कर सकता, मेरी यह प्रार्थना है, कि आप भी अपने इस शुभ कार्य का मौलिक सिद्धान्त उसी आदर और सम्मान की भावना को बनायें। यह सिद्धान्त यदि आपके मस्तिष्क में बैठ गया, तो शिक्षा के काम में आपका सारा रवैया ही बदल जाएगा। आप अपने साथियों को भेड़ों का समूह न समझेंगे, बल्कि उसमें हर बच्चे की विशेष क्षमताओं और मुख्य आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। मैंने पारिवारिक परिस्थिति के कारण बच्चों में जो भेद उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी ओर संकेत किया है। आप अगर उन पर नजर रखेंगे तो जहाँ सहारे की जरूरत है वहाँ धक्का लग जाएगा, जहाँ हिम्मत बढ़ाने से काम बन सकता है, वहाँ आप मनमुटाव का कारण बन जाएँगे, जहाँ आपकी एक मुस्कुराहट से बच्चे के दिल की कली खिल सकती थी, वहाँ आपकी उपेक्षा से उसके मुरझाने का डर पैदा हो जाएगा। अगर बच्चे का आदर और सम्मान करना आपकी दृष्टि में एक उचित सिद्धान्त होगा, तो आप अपने छात्रों की मानसिक उलझनों को समझने की कोशिश करेंगे और हर एक के लिए उचित उपाय सोचेंगे। इन सामुदायिक भेदों के अतिरिक्त बच्चों की मानसिक आवश्यकताओं में जो विभिन्नताएँ होती हैं उन पर भी आपकी दृष्टि रहेगी, तो आप कोशिश करेंगे कि जो प्रवृत्ति अधिक से अधिक बच्चों में हो उसी को समुदाय में भी शिक्षा

का साधन बनायें। उदाहरण के लिए सात से बारह-चौदह वर्ष तक के बच्चों में अगर आप देखें कि ये हाथ से काम की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो आप शायद इस बात पर जोर न दें कि उनकी शिक्षा बस किताबों के ही द्वारा हुआ करे और बुजुर्गों की दृष्टि में किताबों का पढ़ना-पढ़ाना ही शिक्षा कहलाता है।

छोटों के प्रति आदर-भाव तो स्नेह, आशीर्वाद और मृदुता का रूप धारण कर लेता है। यह सिद्धान्त जो मैंने अभी बतलाया है, आप में बच्चे के लिए स्नेह और सहानुभूति उत्पन्न करेगा, आपको असफलताओं का सामना करने के लिए सहनशीलता और धैर्य की वह शक्ति प्रदान करेगा जो स्नेह के अतिरिक्त अध्यापक की सबसे बड़ी पूँजी है। आप बच्चों के अच्छे अध्यापक यानी प्रकृति की धरोहर के सच्चे अमीन बन जाएँगे और आपके परामर्श और आपके आदर्शों से बच्चों के पिता और अभिभावक भी अपने कर्तव्य को भलीभाँति समझ सकेंगे और अध्यापक और अभिभावक के सहयोग से शिक्षा और विकास का काम सचमुच सुचारु रूप से सम्पन्न किया जा सकेगा।

(यह आलेख अखिल भारतीय संघ राजघाट, वाराणसी द्वारा प्रकाशित 'नई तालीम' (110) में प्रकाशित हुआ है जिसे विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर द्वारा प्रकाशित शिक्षा की बुनियाद पत्रिका के मार्च-मई 2012 अंक से विनम्रतापूर्वक साभार लिया गया है।)

परीक्षा का परिणाम ही सफलता नहीं

❑ श्री श्री रविशंकर

यह समय है परीक्षा के परिणामों का और हर कोई सफलता चाहता है। सफलता क्या है? सफलता का अर्थ है, शक्तिशाली होना, एक अटूट मुस्कुराहट जिसे कोई छीन ना सके और ऐसा साहस हो जो कि बुरे दिनों में भी बना रहे।

आने वाले परिणामों में कुछ तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे और कुछ अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं होंगे।

जब कोई असफल होता है तो चिंतित होना स्वाभाविक है। भविष्य को लेकर तनाव, भय और चिंता होने लगती है। लेकिन जीवन को एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखें। जीवन को उस से बड़ी परीक्षा मानें जिससे आप अभी भी गुजरे हैं। ऐसा नहीं सोंचे कि एक परीक्षा परिणाम आपके जीवन की दिशा निर्धारित करेगा।

मैंने सुना है कि कुछ विद्यार्थी यह सुनकर कि वे किसी परीक्षा में असफल हो गए हैं, दुःख से आत्महत्या कर लेते हैं। मेरा उनसे कहना है कि आत्महत्या किसी को नहीं करनी चाहिए। तनाव का शिकार ना बनें। यह जीवन बहुत बहुमूल्य है।

भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते हैं जो सभी प्रकार के सुख-दुःख, सभी प्रकार की सफलता और असफलता में सम रहता है वह मुझे प्रिय है। जब भी आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो उसे स्वीकार कर लें, चाहे जो भी हो। जीवन आपको सफलता और असफलता दोनों को ही स्वीकार करना है। किसी भी कर्म के फल पर कोई नियंत्रण नहीं है।

जिसने भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए वह मूर्ख नहीं है और जिसने अच्छे प्राप्त किए हैं वह कुशाग्र बुद्धि नहीं है। मेरी उन माता-पिता से विनती है कि उनके जो बच्चे असफल हो गए हैं उनको प्रोत्साहित करें ताकि वे अवसाद से निकल जाएँ। अभिभावक उनको ये समझाएँ कि जीवन सभी परीक्षाओं से परे है। बच्चे पर ज्यादा दबाव ना बनाएँ। हमें उन्हें विशाल दृष्टिकोण देना होगा।

पेशे से ज्यादा मूल्यवान है जीवन। आपकी तथाकथित सफलता, आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी प्रतिष्ठा से भी। ये सभी क्षणिक हैं- ये जीवन को जीने में सहायक है, जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं। बच्चों को यह दृष्टिकोण देना चाहिए।

जब भी कठिन समय आए तो उनमें साहस जगे और वे चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करें। प्राणायाम, योग, ध्यान और सुदर्शन क्रिया से यह संभव होगा। इतना विश्वास रखें कि प्रकृति आपकी सहायता के लिए है। और आपको सफलता मिलेगी।

जीवन सफलता और असफलता का मिश्रण है– ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। जब आप असफल होते हैं तो आप सफलता का महत्व समझते हैं।

पेशे से ज्यादा मूल्यवान है जीवन। आपकी तथाकथित सफलता, आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी प्रतिष्ठा से भी। ये सभी क्षणिक हैं- ये जीवन को जीने में सहायक है, जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं।

आपको आगे बढ़ना है, अपने आप से पूछें कि मैंने भूतकाल से क्या सीखा, और फिर आपका भविष्य को लेकर क्या दृष्टिकोण है। आप दस बार असफल हो भी गए तो ग्यारहवीं बार पास हो जाएँगे। आपको कहना चाहिए, 'मैं असफलता को अस्वीकार करता हूँ, मैं सफल होकर रहूँगा। आपने देखा होगा कि एक बच्चा कितनी बार गिरता है अपने पांव पर खड़ा होने से पहले? आप भी गिर सकते हैं और फिर से चलना आरम्भ कर दें।

आज यह निर्णय लें कि 'चाहे जो हो जाए मैं हिम्मत नहीं हारूँगा। ईश्वर ने मेरा हाथ थाम रखा है।' आपको ऊपर बनाए रखने के लिए इतना ही काफी है।

हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखें। बाकी सब ठीक ही है। असफलता और सफलता में समता रखना ही आपको जीवन में वास्तविक सफलता दिलाता है।

(साभार : दैनिक भास्कर दिनांक 3 जून, 2012)

राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा - दशा एवं दिशा

❑ राजेन्द्र भाणावत

श्री राजेन्द्र भाणावत का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की उस शृंखला में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है जिन्होंने शासन व प्रशासन में प्रतिमानकारी कार्य करते हुए शिक्षा, साहित्य, कला एवं संस्कृति के उन्नयन में यशस्वी कार्य किए हैं। आप भौतिकी एवं गणित में अभिस्नातक होने के साथ ही फ्रेंच भाषा, श्रम कानून, कार्मिक प्रबंध में उपाधि प्राप्त हैं। आप सतत अध्यवसायी एवं कुशल लेखक हैं।

आपकी साक्षरता निदेशक पद पर साढ़े चार वर्ष की साधनामय सेवा को राजस्थान कभी भुला नहीं सकता जब राज्य की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यशकीय पुरस्कारों से राज्य को नवाजा गया। आप बारां जिले के कलक्टर के साथ ही जयपुर व भरतपुर के संभागीय आयुक्त, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, सचिव, कृषि विभाग, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, आदि महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में आप रीको के प्रबन्ध निदेशक हैं।

यह सर्वमान्य है कि किसी भी देश अथवा राज्य की प्रगति का प्रमुख मापदण्ड प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण एवम् उसकी गुणवत्ता है। स्वाधीनता के बाद प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण एवम् सार्वजनीकरण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनी एवम् आवंटित धनराशि में भी लगातार वृद्धि हुई है। हजारों हजार शिक्षकों के पद सृजित किए गए, विद्यालय भवन बनाए गए एवम् 'सर्वशिक्षा अभियान' के माध्यम से शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए कई प्रकार के प्रकल्प आयोजित किए गए। इस सबके बावजूद यह भी सर्वविदित सत्य है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। विशेषकर राजकीय विद्यालयों में, जिसके फलस्वरूप निजी विद्यालयों में प्रवेश की संख्या में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी होती चली गई। हाल ही में घोषित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी परिणाम देखा जाए तो योग्यता सूची में लगभग सभी स्थान निजी विद्यालयों के छात्रों को ही मिलते हैं। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर भी यह सिद्ध होता है कि लगभग 10 प्रतिशत बच्चे भी वाँछित योग्यता नहीं रखते। इस लेख में इन कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है तथा कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं।

यह विश्लेषण लेखक के डूंगरपुर एवम् बारां के कलक्टर, शिक्षाकर्मी बोर्ड के प्रभारी निदेशक, जयपुर एवम् भरतपुर के संभागीय आयुक्त तथा लगभग 6 जिलों के प्रभारी सचिव के अनुभव के आधार पर किया गया है। जहाँ तक आंकड़ों का प्रश्न है, गत कई दशकों से नामांकन के आंकड़े 100 प्रतिशत से अधिक ही दर्शाए जाते हैं अथवा स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या से अधिक बच्चे नामांकन किया जाना रिकॉर्ड में दिखाया जाता है। इसके अनुसार तो गत दशकों में विद्यालय जाने योग्य आयु की तुलना में बच्चों की संख्या से भी कहीं अधिक नामांकन कर लिया गया है। इसका प्रमुख कारण नामांकन पर ही अत्यधिक दबाव होना है। जिला शिक्षा अधिकारी राजकीय सेवक होने के कारण वही कार्य करेंगे जिसके आधार पर उनके कार्य का मूल्यांकन होता है तथा मूल्यांकन नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर होने से जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाध्यापकों का पूरा जोर केवल नामांकन की संख्या बढ़ाने पर ही रहता है। परिणामस्वरूप एक बड़ा प्रतिशत ऐसे बच्चों का होता है जिनका नामांकन प्रतिवर्ष कक्षा 1 में किया जाता है। शिक्षा सम्बन्धी कई परिवर्तनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि जितने बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं उनमें से 30-40 प्रतिशत कक्षा 5 तक भी नहीं पहुँच पाते। अधिकांश शिक्षाविद् इसे ड्रॉप-आउट (Drop-out) की संज्ञा देते हैं किन्तु वास्तव में ये वे ही बच्चे हैं जिनके केवल नाम प्रवेशोत्सव के समय विद्यालय के रजिस्टर में अंकित कर लिए जाते हैं एवम् इसके बाद वे कभी विद्यालय में नहीं आते। फलस्वरूप ये सभी बच्चे निरक्षर वयस्क के रूप में समाज में बढ़ते हैं, जिनके लिए समय-समय पर साक्षरता अभियान चलाने की आवश्यकता होती है। लेखक ने लगभग 4 वर्ष के समय तक राजस्थान के साक्षरता एवं सतत् शिक्षा निदेशक के रूप में कार्य किया है एवम् विभिन्न जिलों के साक्षरता अभियान को समीप से देखा है। निरक्षरों में अधिकांश संख्या उन व्यक्तियों की थी जिनके नाम अपने समय में विद्यालयों में कई वर्ष लिखे जा चुके थे। प्रत्येक वर्ष जिलों में राज्य सरकार द्वारा बड़े उत्साह से प्रवेशोत्सव मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भी अधिकाधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ना है, या यों कहें कि अधिकाधिक बच्चों के नाम विद्यालय के रजिस्टर में अंकित करना है। अतः पहला कदम तो यह उठाना होगा कि केवल नामांकन पर अतिरिक्त बल देना बन्द किया जाए एवम् जो बच्चे विद्यालय में आ जाएँ उन्हें रुचिपूर्ण एवम् गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे विद्यालय से जुड़े रह सकें।

सरकार द्वारा गत वर्षों में हजारों स्कूल भवन बनाए गए एवम् शिक्षकों की भर्ती भी की गई, उसके उपरांत भी शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई तथा उसका प्रमुख कारण शिक्षकों का बच्चों के माता-पिता व अभिभावकों से जुड़ाव न होना रहा। इसका एक कारण यह भी है कि शिक्षक सामान्यतया बाहर के आते हैं जिनकी बोली आदि का परिवेश अलग होता है एवम् वे स्थानीय समाज के साथ नहीं घुल-मिल पाते। जब तक शिक्षकों का भविष्य बच्चों के भविष्य से जुड़ा न हो तब तक शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा करना ठीक नहीं होगा। यह भी ज्ञात है कि राजस्थान के लगभग 30 प्रतिशत अग्रणी जिलों से 70 प्रतिशत शिक्षक भर्ती होते हैं, जबकि शेष 70 प्रतिशत जिलों से केवल 30 प्रतिशत ही शिक्षक सेवा में आ पाते हैं। उदाहरण के लिए

झुंझुनूं, सीकर, अलवर, भरतपुर एवम् जयपुर जिलों से अधिकांश शिक्षक भर्ती होते हैं जिन्हें पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया जाता है। पदस्थापन के पश्चात् उनका पहला उद्देश्य अपना स्थानान्तरण अपने गृह जिले में कराना रहता है। विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवम् उच्चाधिकारियों के यहाँ स्थानान्तरण के समय लगने वाली भीड़ ही इस बात का प्रमाण है। इसे ठीक करने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि शिक्षकों की भर्ती जिलेवार होगी एवम् उनकी योग्यता सूची भी जिलेवार ही रहेगी। यह एक स्वागत योग्य कदम है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक जिला आवंटन होने के बाद उन्हें किसी भी परिस्थिति में दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने का कोई भी अधिकार किसी भी स्तर पर न हो। आगे चल कर यह भी किया जा सकता है कि शिक्षकों की भर्ती पंचायत समिति स्तर एवम् ग्राम पंचायत के लिए भी की जाए, ताकि पूरे सेवाकाल में शिक्षक उस सम्बन्धित विद्यालय एवम् पंचायत से ही जुड़ा रहे। इस प्रकार के प्रयोग की सफलता कितनी हो सकती है इसका श्रेष्ठ उदाहरण राजस्थान में संचालित शिक्षाकर्मी परियोजना के रूप में देखा जा सकता है। इस योजना का मुख्य आधार ही यह था कि अत्यधिक पढ़े-लिखे तथाकथित योग्य परन्तु अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक के स्थान पर कम पढ़े-लिखे पर सदैव उपस्थित रहने वाले शिक्षक कहीं अधिक बेहतर हैं। स्थानीय स्तर पर चयनित 8वीं एवम् 10वीं पास शिक्षाकर्मियों ने अच्छे प्रशिक्षण के पश्चात् समाज से जुड़कर जिस प्रकार का शिक्षण कार्य किया वह अनुकरणीय है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षाकर्मियों का चयन सर्वसम्मति से स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में परीक्षा के पश्चात् किया जाता था। उस समय सबसे पहले तो यह आकलन किया जाता था कि 8वीं पास व्यक्ति का स्तर किस कक्षा के समकक्ष है तथा सामान्यतया यह अनुभव किया गया कि 8वीं पास की तुलना में वह व्यक्ति तीसरी-चौथी के समकक्ष भी नहीं होता था। इसके उपरांत भी सघन एवम् निरन्तर प्रशिक्षण के कारण यह स्थानीय व्यक्ति इस योग्य हो गया था कि वह प्राथमिक कक्षा के बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके। यह प्रयोग विशेष रूप से उन दुर्गम क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ जहाँ सामान्यतया शिक्षक पदस्थापन के बाद जाकर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते थे। इसी तरह लोक जुम्बिश परियोजना के माध्यम से स्थानीय समुदाय को विद्यालय के संचालन से जोड़ने का सफल प्रयास किया गया। यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षाकर्मी जैसी परियोजना का लाभ जहाँ अन्य देशों व अन्य राज्यों में लिया गया है, वहीं राजस्थान में इसे छोड़ दिया गया। यह उपयुक्त होगा कि 'शिक्षाकर्मी परियोजना' एवम् 'लोक जुम्बिश परियोजना' के मूल सिद्धान्तों का पालन समग्र शिक्षा व्यवस्था में किया जाए।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जहाँ शिक्षकों को निरन्तर प्रशिक्षण आवश्यक है, वहीं पाठ्यपुस्तकें भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इस बारे में समय-समय पर शिक्षाविदों द्वारा अनेक प्रयोग किए गए किन्तु प्रयोग के पश्चात् उनको अन्तिम निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाया गया। फलस्वरूप प्रयोग केवल प्रयोग के स्तर पर रहे एवम् उनका वाँछित लाभ सम्पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा को बेहतर बनाने में नहीं मिल सका। वर्तमान में पाठ्यपुस्तकों को भारी-भरकम बना दिया गया है किन्तु वास्तविकता में जो स्तर बच्चों का देखा गया है वह अत्यंत ही निम्न है। यह भी स्वीकार करना होगा कि कई बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पाते हैं एवम् ऐसे बच्चों का आगामी जीवन बेहतर बनाने की दृष्टि से तथा शोषण से बचने हेतु कम से कम भाषा का एवम् गणित का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि कई वर्ष विद्यालय में अध्ययन के बाद भी शुद्ध वाक्य लिखना, उच्चारण तथा गणित के सरल प्रश्न हल करना भी उनके लिए सम्भव नहीं है। तीसरी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य तो अच्छा रहा होगा किन्तु इसका कोई लाभ राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। कई शिक्षक स्वयं भी प्राथमिक शिक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा शायद ही उत्तीर्ण कर पाएँगे। इसका एक समाधान यह हो सकता है कि बच्चों की प्रतिवर्ष सार्वजनिक रूप से स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर परीक्षा ली जाए जिसमें गांव के सभी पढ़े-लिखे व्यक्ति एवम् अन्य भी उपस्थित रह सकें। इससे बिना कुछ ज्ञान प्राप्त किए स्वतः अगली कक्षा में क्रमोन्नत की शिक्षकों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा एवम् उनकी जवाबदेही अभिभावकों एवम् समाज के प्रति बढ़ेगी। सार्वजनिक परीक्षण में परीक्षा में जिन शिक्षकों के विद्यार्थी अधिक संख्या में असफल रहे उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार भी स्थानीय स्तर पर दिया जाना उचित होगा।

विभिन्न विद्यालयों के निरीक्षण के समय बच्चों द्वारा सामान्य जानकारी नहीं दिए जाने पर शिक्षकों का एक रटारटाया उत्तर होता है कि बच्चे बहुत डरते हैं, अतः सही उत्तर नहीं दे पाते। इस प्रकार का उत्तर स्वयं ही शिक्षक की अकर्मण्यता को दर्शाता है। चूँकि बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना तो शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ही है। कई बार तो ऐसा प्रदर्शन होता है कि शिक्षक के व्यवहार के कारण बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ने के स्थान पर कम हो जाता है। विशेषकर छात्राओं को जो कक्षा में सदैव चुप बैठी हुई राज्य के अधिकांश विद्यालयों में देखी जाएँगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षा को रुचिकर बनाना आवश्यक है। इस हेतु 'गुरु-मित्र योजना' जैसे विभिन्न प्रयोग किए गए हैं, उनकी केवल क्रियान्विति ही पर्याप्त होगी। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है एवम् शिक्षकों को इस हेतु कुछ धनराशि भी नियमित रूप से दी जाती है किन्तु शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हुए किसी भी निरीक्षण में कोई भी शिक्षक दिखाई नहीं दिया।

आंकड़ों के भ्रमजाल से प्राथमिक शिक्षा को बाहर करना तथा वास्तविकता को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके अभाव में शिक्षा में सुधार का कोई प्रयास केवल स्वतः ही सिद्ध होगा। अधिकांश विद्यालयों में यह देखा जा सकता है कि यदि 100 बच्चे नामांकित हैं एवम् लगभग 80 को मध्याह्न में भोजन दिया जाना रिकॉर्ड में दर्शाया जाता है तो सामान्यतया भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थिति लगभग 40-50 की होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ओर जहाँ लगभग 50 प्रतिशत बच्चे शिक्षण से वंचित हैं वहीं 30-40 प्रतिशत बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन के लिए मिलने वाली खाद्य सामग्री तथा खाद्यान्न रूपान्तरण व्यय (मध्याह्न में भोजन बनाने के लिए मिलने वाली राशि) का दुरुपयोग हो रहा है। कुल मिलाकर यह राशि कितनी अधिक होती है, इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। यह स्थिति एक-दो विद्यालयों की नहीं बल्कि

अधिकांश विद्यालयों की है।

कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा देने पर भी बहुत बड़ी धनराशि व्यय की गई है किन्तु वास्तविकता में तो अधिकांश विद्यालयों में कम्प्यूटर का एक बार भी कोई प्रयोग ही नहीं किया गया, पैकिंग ही नहीं खोला गया एवम् जहाँ ऐसा किया भी गया वहाँ शिक्षकों (विशेषज्ञ) के अभाव में वे सब केवल धूल खा रहे हैं। बिजली का अभाव इस समस्या को और बढ़ा देता है।

प्राथमिक शिक्षा में यह मान लिया गया कि 5वीं तक के विद्यालयों में इन शिक्षकों की नियुक्ति पर्याप्त है। कम से कम एक शिक्षक प्रति कक्षा के अनुसार तो होना ही चाहिए, अन्यथा विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने का प्रमुख कारण ही शिक्षकों की अनुपलब्धता रहता है। यह आवश्यक है कि एक ही कक्षा के विद्यार्थियों को उनके शिक्षण स्तर के आधार पर अलग-अलग ग्रुप में बैठाकर 'मल्टीग्रेड टीचिंग' का प्रयोग किया जाए। विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर पढ़ाना किसी भी रूप से उचित नहीं कहा जा सकता।

प्रारम्भिक शिक्षक को स्थानीय विद्यालयों में रखने के बावजूद भी उसे अपने कैरियर में लगातार वेतन में वृद्धि आदि मिलती रहे। यह मानना भी उचित नहीं है कि प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षक का वेतन अन्य शिक्षकों के बजाय कम होना चाहिए। यदि कोई शिक्षक जीवनपर्यन्त प्रारम्भिक शिक्षा से ही जुड़ा रहे तो भी उसे निरन्तर उच्च से उच्चतर वेतन दिया जाना चाहिए, ताकि उसे पदोन्नति की लालसा में बाहर नहीं जाना पड़े। अच्छे शिक्षक सफल प्रधानाध्यापक बन सकें यह आवश्यक नहीं है, अतः शिक्षक को शिक्षक ही बने रहने का अवसर होना चाहिए किन्तु इस हेतु उसे किसी प्रकार की आर्थिक हानि या क्षति नहीं हो यह सुनिश्चित करना होगा।

प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता अभी तक शिक्षा विभाग की प्राथमिकता नहीं बन पाई है। यही कारण है कि 'सर्व शिक्षा अभियान' की सफलता का आकलन भी केवल बच्चों के नामांकन की संख्या के आधार पर किया जाता है न कि इस आधार पर कि किस प्रकार का शिक्षण विद्यालय में हो रहा है एवम् क्या न्यूनतम ज्ञान बच्चे विद्यालय में प्राप्त कर पा रहे हैं। यदि बच्चे विद्यालयों में कुछ सीखेंगे तब ही अभिभावकों में उन्हें विद्यालय नियमित भेजने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कई अभिभावकों द्वारा बच्चों को विद्यालय से निकालने का कारण यही है कि वे विद्यालय में कभी सीखते हुए नहीं दिखाई देते हैं एवम् वे परिवार की आय बढ़ाने में सहायक भी नहीं हो सकते। यह निष्कर्ष निकालना भी गलत नहीं होगा कि जो बच्चे विद्यालय में नहीं है वे सभी बाल-श्रम में लगे हुए हैं। बाल-श्रम उन्मूलन करने का मुख्य उपाय प्रत्येक बच्चे को नियमित रूप से रुचिकर एवम् गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से विद्यालय में बनाए रखना ही है। प्रारम्भिक शिक्षा की अवधारणा एवम् व्यवस्था उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर संचालित है तथा प्रारम्भिक शिक्षा एक सक्षम समाज के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने में सफल होगी। अच्छी शिक्षा के माध्यम से जीडीपी वृद्धि के लाभ से वंचित जनसंख्या भी देश के विकास एवम् समृद्धि में अपनी भागीदारी निभा पाएगी।

–1/5, सौम्य मार्ग, गांधी नगर, जयपुर-302012

पुरोधा शिक्षक : श्री तेजकरण डंडिया

श्री तेजकरण डंडिया का स्मरण तीर्थ करने से कम नहीं है। वे वर्तमान में राजस्थान के शतायु पार शिक्षक हैं। डंडिया जी का जन्म 20 जनवरी 1911 के दिन हुआ था। इस प्रकार 20 जनवरी 2010 को उनका सौवां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

श्री तेजकरण डंडिया गणित के मूर्धन्य विद्वान हैं। आप द्वारा रचित नूतन गणित पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा वर्षों स्वीकृत रही और राजस्थान में लाखों विद्यार्थी नूतन गणित को पढ़कर लाभान्वित हुए। वे लगन, मनन एवं अभ्यास पर बहुत जोर देते हैं। लगन एवं पक्की इच्छा शक्ति हो तो कोई काम हुए बिना रह नहीं सकता।

स्वयं डंडिया साहब कहते हैं कि छठी कक्षा में वे गणित में बहुत कमजोर थे। उनके गुरुजी मास्टर मोतीलाल जी सांघी ने उनमें विश्वास जगाया और गणित के प्रति ऐसी ललक एवं लगन जगाई जिसके बल पर वे गणितज्ञ बने। सौवें जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन अनुभवों पर आधारित प्रकाशित पुस्तक *'उजाले मेरी यादों के अपने पास रहने दो'* उन्होंने पूज्यपाद मास्टर साहब मोतीलाल जी के चरण कमलों में सादर समर्पित की है। आपने लिखा है कि कैसे उनकी गणित की कमजोरी को मास्टर मोतीलाल जी ने दूर किया।

डंडिया साहब द्वारा वर्तनी एवं हस्तलिपि सुधारने के लिए चलाई गई प्यास बुझाओ विधि शिक्षा क्षेत्र में अत्यन्त सराहना के साथ अंगीकृत की गई। उन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के सचिव पद को सुशोभित किया।

डंडिया साहब के शतायु होने के अवसर पर दिनांक 20 जनवरी 2011 को एक भव्य समारोह श्री महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर के प्रांगण में रखा गया जिसमें राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत तथा महामहिम राज्यपाल, गुजरात डॉ. कमला के आतिथ्य में जयपुरवासियों ने उनका अभिनन्दन कर आशीर्वाद ग्रहण किया।

सत्र 2012-13 में ग्रीष्मावकाश के पश्चात विद्यालय खुलने पर राज्य के शतायु शिक्षक श्री तेजकरण डंडिया को शिविरा की ओर से वंदन-अभिनंदन-प्रणाम।

विद्यालय वातायन से

बहुत याद आता है बचपन

एक लम्बी राजसेवा करने के उपरान्त आज जब सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, जीवन के बहुत खट्टे-मीठे अनुभवों का पिटारा साथ में लिए हूँ। मुझे मेरा बचपन याद आता है। बचपन के साथ ही विद्यालयों का जीवन स्मरण आता है। एक मधुर मुस्कान के साथ मन में गुदगुदी सी होती है। मैं मुम्बई महानगर में यंत्रवत जीवन का अनुभव देख चुका हूँ। सपने देखने, उनके पूरा होने (भले ही आंशिक ही हो) और फिर नए सपनों के मायाजाल को मैंने बहुत करीब से देखा है। समृद्धि (Prosperity) एवं निर्धनता (Poverty) दोनों को कदाचित पराकाष्ठा (Climax) पर देखने का मुझे अवसर मिला है लेकिन जो सुख अपने बचपन के दिनों में बीकानेर में मैंने अहसास किया, उसकी नज़ीर बाद में मुझे ढूँढ़े नहीं मिली। जो आनन्द मुझे बचपन में स्कूलों में मिला, वह कलेक्टरी अथवा सचिवालय में नहीं मिला।

मेरे पिताजी उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत महाविद्यालय में प्राध्यापक थे। पचास के दशक के अन्तिम वर्षों में बीकानेर स्थित श्री डूंगर महाविद्यालय में उनका स्थानान्तरण होने पर इस मरुभूमि से मुखातिब होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन् 1958 में विद्यानिकेतन, गंगाशहर (बीकानेर) में कक्षा तीसरी में मेरा एडमिशन हुआ, जहाँ आठवीं तक की पढ़ाई पूर्ण की। विद्यालय में प्रार्थना सभा, बाल सभा एवं खेलकूद पर बहुत ध्यान दिया जाता था। बच्चे के समग्र-सर्वतोमुखी विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं रखी जाती थी। संगीतमय समवेत प्रार्थना सभा का नजारा याद करके मन प्रफुल्लित हो उठता है। क्या बोल, क्या लय और कैसी अद्भुत शान्ति ! प्रार्थना सभा के कार्यक्रमों में न्यूज पढ़ने का काम हम बालक-बालिकाएँ करते थे। मैं रेडियो से सुनकर न्यूज़ लिख कर लाता। हमारे सर अपील करते थे कि रात को रेडियो पर जिस अंदाज में न्यूज़रीडर न्यूज पढ़ रहा था, वैसे ही बोलने का प्रयास करो। आज का बच्चा तो टीवी पर जीवन्त देखता है, पर कम ही स्थानों

***श्री अशोक सिन्हा** भारत सरकार में खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सचिव पद से रिटायर हुए हैं। वे 1975 में आई.ए.एस. बने तथा उन्हें महाराष्ट्र केडर मिला। मुम्बई महानगर के कमिश्नर रहने के साथ ही श्रम एवं रोजगार तथा शहरी विकास से भी जुड़े। पिछले दिनों उनके जयपुर पधारने पर शिविरा ने उनसे बातचीत की। अपनी बेबाक बातचीत में उन्होंने अपने विद्यार्थी काल के अनमोल संस्मरण तो सुनाए ही, साथ ही शिक्षकों के लिए कुछ संदेश भी दिए मगर पूरे सम्मान व श्रद्धा के साथ। यह बातचीत करवाने तथा इसमें सहयोगी बनने के लिए निदेशालय के ही हमारे वरिष्ठ साथी श्री पन्नालाल आचार्य, लेखाकार के प्रति हम आभारी हैं।*

–वरिष्ठ संपादक

पर शिक्षक अपने बच्चों से कहते होंगे कि तुम भी फलां की तरह हावभाव से समाचार पढ़कर या प्रस्तुत कर बताओ। प्रार्थना सभा में स्वयं प्रधानाध्यापक एक-एक बच्चे तक जाकर उनकी ड्रेस, नाखून, बाल आदि देखते थे।

स्कूलें सर्व धर्म समभाव के जीवन्त केन्द्र हुआ करती थीं। बाल सभा में बालक-बालिकाओं को विभिन्न सामयिक विषयों पर बोलना होता था। शिक्षक पर्यवेक्षक बनकर सूक्ष्म अवलोकन करते तथा सुधार के लिए बच्चों का मार्गदर्शन करते थे। कक्षा के मॉनिटर व बस मॉनिटर का बड़ा रुतबा होता था। अध्यापक बहुत मेहनत से पढ़ाते व गृहकार्य की जाँच करते थे। मेरे विद्यार्थीकाल में भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्लि राधाकृष्णन विद्यानिकेतन में पधारे थे। मुझे याद है कि किस अंदाज में हम बच्चों को विद्यालय के हॉल में बिठाया गया था और कैसे महामहिम हमारे बीच आए तथा हमारे साथ बतियाये थे। उन्होंने बच्चों की तरह एक टोपी अपने सिर पर धारण कर ली थी और हम बच्चों को स्पर्श करते हुए हमारे बीच आये थे। बड़े रोमांचक क्षण थे। उस समय मेरी आयु 10 वर्ष की रही होगी और आज 61 वर्ष का हो चुका हूँ। मन करता है कि बालक बन कर पुनः विद्यानिकेतन जैसे विद्यालय में पढ़ने लग जाऊँ। विद्यानिकेतन के तत्कालीन हेड सर भट्ट साहब की बहुत याद आती है।

हमारे दौर में बीकानेर में सादुल, फोर्ट एवं एम.एम. स्कूलों का बड़ा भारी करेज था। देहात में नोखा स्कूल को करिश्माई स्कूल माना जाता था। नौवीं कक्षा में मेरा एडमिशन कोटगेट एरिया में स्थित राजकीय सादुल मल्टिपर्पज स्कूल में हुआ। प्रधानाध्यापक के पद पर तिलकराम जी भनोत थे। बड़ा रोब था भनोत साहब का। छात्र की तो क्या, किसी अध्यापक की हिम्मत नहीं होती थी तिलकराम जी द्वारा घोषित अनुशासन से हटकर कुछ कर सकने की। गजब का साहस व साधना थी उस शिक्षा मनीषी में। मैं उनकी स्मृति को विनयवत हो नमन करता हूँ। दो जने चल रहे होने पर वे कहते थे, 'लाइन में चलो' और एक जना चल रहा है तो उसे भी कहेंगे, 'लाइन में चलो'। क्यों है न मजेदार बात। हमारे तब समझ में नहीं आती थी उनकी यह फिलॉस्फी बल्कि मन ही मन में हँसी आती थी। खुलकर हँसना तो क्या तिलकरामजी के सामने देखने तक का साहस नहीं होता था। आज समझ में आता है कि एक भी लाइन में कैसे चलें? लाइन में चलने का अर्थ है मर्यादा में चलें, अनुशासन में रहें और अपना स्व-अध्ययन, स्वाध्याय, स्वयं का विश्लेषण (Self study and analysis) करते हुए चलें। जो अपने परिवार, समाज व

राष्ट्र की मर्यादा का पालन करते हुए चलते हैं उन्हें कभी कहीं नीचा नहीं देखना पड़ता।

मैं पढ़ने में ठीक था। सब होशियार कहते थे। तब सादुल स्कूल के टॉपर लड़के ने मुझे अपने पास बिठाया। गुरुजन विशेष ध्यान रखते थे। बड़ा दुलार देते थे। उस दौर में गुरुजनों से मिलने वाला लाड़-दुलार माँ-बाप के लाड़-दुलार से कतई कम नहीं होता था और यही कारण है कि गलती होने पर वे जब डाँट-फटकार या दण्ड देते थे, तो उससे किसी को शिकायत नहीं होती थी। न बच्चों को और न उनके माँ-बाप को। बल्कि सच तो यह है कि स्कूल में गुरुजी से डाँट या सजा का समाचार घर वालों को मिल जाने पर वे और दण्डित करते थे। आज जब गुरु-शिष्य-अभिभावक सम्बन्धों के बारे में देखते-सुनते हैं तो शर्म से सिर झुक जाता है। शनैः-शनैः शिक्षा के भी बिजनेस बन जाने के कारण ऐसा हो रहा लगता है। कुछ भी हो शिक्षा को मार्केट की अन्य सामग्रियों की तरह खरीद-बिकवाली वस्तु बनने से रोका जाना चाहिए। यह तो एक मिशन है और इसे मिशन ही बनाए रखना आवश्यक है।

हमारे स्कूल शिक्षा के दौर में दसवीं-ग्यारहवीं कक्षा में बड़े-बड़े लड़के होते थे। कुछ तो आज की तुलना में वे उम्र में ही बड़े होते थे और कुछ अच्छे खान-पान तथा पढ़ाई-लिखाई की ज्यादा चिन्ता नहीं पालने के कारण शारीरिक सौष्ठव अच्छा होता था। आज का बच्चा तो परसेन्टेज, कोचिंग, हॉबी क्लासेज आदि के चक्कर में जैसे दबा पड़ा है। कुछ वर्ष पहले प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने Learning without burden नाम से रपट देकर बच्चे के बस्ते का बोझ कम करने की बात कही थी। मैं सबेरे घूमने जाता हूँ। आज के नन्हें-मुन्ने बच्चों की पीठ पर बस्ते का साइज देखकर दुःख होता है। बस्ता, टिफिन, पानी की बोतल.....। जब पीने का पानी ही स्कूल में नहीं मिलता या उसकी विश्वसनीयता नहीं होती, तब उस स्कूल को बच्चे का घर तथा शिक्षकों को अभिभावक कहने की भूल भला कोई क्यों करेगा। हमारे समय में स्कूल सचमुच घर होता था। विद्यानिकेतन में हम जब टिफिन करते थे, बड़ा मजा आता था। समय-समय पर पिकनिक या गोठ आदि में प्रधानाध्यापक व अध्यापक बच्चों पर अपने प्यार की बरसात कर देते थे।

बहरहाल, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे दौर में 10वीं-11वीं कक्षा में बड़े-बड़े लड़के होते थे। वे दादागिरी करते थे, लेकिन पढ़ेसरी छात्रों को सेव करते थे। उनके लिए बड़े भाई की तरह ढाल बने रहते थे। अब तो उच्च शिक्षा में रेगिंग के नाम पर छात्रों के प्राण तक ले लिए जाते हैं। मुझे याद आता है कि बाबा छोटूनाथ स्कूल, नोखा में एक खेलकूद प्रतियोगिता टीम में मुझे भी भेजा गया था। उस दौरान टीम के अन्य बड़े लड़के हमें प्रोटेक्ट करते थे। हमारा ख्याल रखते थे।

स्कूल में हमारी हैण्डराइटिंग पर बहुत जोर दिया जाता था। अक्षरों के मोड़, अंकों के मोड़ को विभिन्न वस्तुओं से उपमा देकर अभ्यास करवाया जाता था। नियमित रूप से एक पृष्ठ का सुलेख लिखवाया जाता था। वर्तनी एवं व्याकरण की शुद्धता के लिए देखकर लिखने व श्रुत लेख के अभ्यास करवाए जाते थे। देखकर लिखें में पाई जाने वाली गलतियों की संख्या को देखकर बच्चे की एकाग्रचित्तता का अंदाज लगाया जा सकता है। देख के भी सही नहीं लिखा का अर्थ यही है कि ध्यान कहीं और था अर्थात एकाग्रचित्त नहीं थे।

कुल मिलाकर मुझे अपना विद्यालय जीवन आज भी याद आता रहता है। एक गुरुजी काशीनाथ जी थे जो तुकबंदियाँ करके गीत कविताएँ लिखते थे। हमें सुनाते और लिखने के लिए प्रेरित करते थे। उस दौर में बीकानेर में बड़ा साहित्यिक वातावरण था। मैं आई.ए.एस. बना और देश की इस सर्वोच्च सेवा के बल पर जितनी बन सकी, जनसेवा भी की लेकिन उसका इंटलेक्च्यूअल डवलपमेंट उतना नहीं हो पाता जितना एक प्रोफेसर का होता है, एक शिक्षक का होता है। बीकानेर में गजब की गुरु-शिष्य परम्परा थी। छगन मोहता जैसे उद्भट विद्वान थे। विद्वान पब्लिक पार्क में घूमने जाते। जिज्ञासु लोग पीछे-पीछे हो लेते। वे अपनी जिज्ञासाएँ रखते और मनीषीगण उनका समाधान करते। मुझे वातायन आज भी याद है जिसने बीकानेर के साहित्यवर्द्धन में अपूर्व योगदान दिया था।

मेरी शिक्षकों में अपार श्रद्धा है। मैं शिक्षक बनना चाहता था। अधिकारी व अभियन्ता भौतिक विकास कर सकते हैं। नैतिक, चारित्रिक व आध्यात्मिक विकास तो गुरुजन ही कर सकते हैं। भारत की गुरु-शिष्य परम्परा को नमन करते हुए एक शिष्य व एक अभिभावक के रूप में मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे बच्चे का सर्वतोमुखी विकास कर एक आदर्श समाज व राष्ट्र के निर्माण के श्रेयदार बनें। उनमें ज्ञान की ताकत है जो किसी भी अन्य ताकत से बढ़कर है।

–अशोक सिन्हा
फ्लैट-13, ययाति बिल्डिंग सेक्टर-58ए,
पाम बीच रोड, नेरुल-वेस्ट, नवी मुम्बई-400706

(यह आलेख श्री अशोक सिन्हा के साथ सर्किट हाउस, जयपुर में शिविरा वरिष्ठ सम्पादक श्री ओमप्रकाश सारस्वत के साथ हुई भेंटवार्ता पर आधारित)

अवकाश का सदुपयोग

विद्यालय खुलने पर प्रधानाचार्य ने बच्चों से पूछा कि तुमने छुट्टियाँ कैसे बिताई, जिसने बढ़िया काम किया होगा उसे प्रथम पुरस्कार मिलेगा।

रोहित– वीडियो गेम खेले।

मयंक– सीडी प्लेयर पर खूब फिल्में देखी।

जयंत– माँ व पिताजी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर गया।

कैलाश– कम्प्यूटर का प्रशिक्षण लिया।

सुपर्णा– सिलाई का कोर्स किया।

सोनाली– माँ से रसोई का कार्य सीखा।

मेघा– नाना-नानी के यहाँ गये खूब मस्ती की।

नेहा– समय खूब मिला इसलिए रामायण व गीता को पूरा पढ़ा, समझने का प्रयास किया, पिताजी ने निर्देशन किया।

कमल– दादा-दादी के गाँव ढाणी पांच्यावाला गये और वहाँ 10 गरीब बच्चों को अक्षर ज्ञान, गिनती एवं छोटी कविताएँ पढ़ाकर याद कराई और उनमें शिक्षा के प्रति रुचि जगाई एवं दादा-दादी के साथ उन बच्चों के घर जाकर उनके माता-पिता को प्रेरित कर बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलवाया।

प्रधानाचार्य ने बड़ी प्रसन्नता के साथ छात्र कमल को प्रथम पुरस्कार से तथा नेहा को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया और सभी बच्चों को प्रेरित किया और समझाया कि निरक्षरों को पढ़ाना राष्ट्रीय सेवा है। यह भी सलाह दी कि लम्बी छुट्टियों का सदुपयोग किया करें।

–रूपनारायण काबरा
ए-438, किशोर कुटीर, वैशाली नगर, जयपुर-302021

गणित कठिन क्यों लगता है?

❑ प्रो. चंद्रकांत राजू

करोड़ों छात्रों को गणित कठिन लगता है और वे इसे स्कूल में ही छोड़ देते हैं। इसके लिए वे खुद को दोषी ठहराते हैं। राष्ट्रीय गणित वर्ष 2012 में क्या उनके लिए कोई उम्मीद है?

हाँ है। अधिकांश छात्र अंकगणित तो सीख लेते हैं, लेकिन कठिनाई कलन (कैल्कुलस) से शुरू होती है। कलन सीखने में स्कूल और स्नातक स्तर पर 2-3 साल लग जाते हैं। इसकी पाठ्यपुस्तकें 1400 पृष्ठों तक की (डबल कॉलम और छोटे प्रिंट में) और कई किलो वजनी होती है, लेकिन कलन सीखने का एक आसान तरीका भी है।

कुछ दिन पहले तेहरान में मैंने सिर्फ पाँच दिनों में मानविकी और इंजीनियरिंग के छात्रों को कलन सिखाया। उससे पहले मैंने अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में समाज शास्त्र के छात्रों को भी यही सिखाया। यह प्रयोग पहले भी छात्रों के पाँच समूहों के साथ सारनाथ और पेनांग में हो चुका है और परिणाम शोध पत्रिकाओं में छप चुके हैं। छात्र खुश थे कि गणित के डर से छुटकारा मिला।

इस आसानी का राज क्या है? कुछ वॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो अपनी याददाश्त खो बैठा है। याददाश्त खोने या पाने से हीरो की समझ पूरी तरह बदल जाती है। इसी तरह गणित का इतिहास बदलने से हमारी समझ बदलती है। जब तक हम यह मानते रहे कि कलन न्यूटन और लाइबनिट्स से शुरू हुआ, पश्चिम की नकल करना स्वाभाविक था। आज हम जानते हैं कि कलन भारत में शुरू हुआ तो कलन की एक नई समझ सामने आई है। दोनों में फर्क यह है कि भारतवासियों के लिए गणित उपयोगिता का विषय था, जबकि पश्चिम में मैथमेटिक्स की धार्मिक समझ और कलन की उपयोगिता में सामंजस्य लाने में लगातार मुश्किलें आई हैं। कलन का व्यावहारिक उपयोग भारत में धन के दो परंपरागत स्रोतों से जुड़ा है : कृषि और विदेशी व्यापार। भारतीय कृषि मानसून पर टिकी है। इसके लिए एक अच्छा कैलेंडर चाहिए, जो वर्षा के बारे में सटीक जानकारी दे सके और इसके लिए सही खगोलीय मॉडल चाहिए। विदेशी व्यापार के लिए नाविक शास्त्र की विश्वसनीय तकनीक आवश्यक है। दोनों के लिए सही त्रिकोणमितीय मान जरूरी थे। 5वीं

लेखक मलेशिया के विज्ञान विश्वविद्यालय में गणित के प्राध्यापक हैं।

शताब्दी में आर्यभट्ट ने 5 दशमलव स्थानों तक सही त्रिकोणमितीय मान निकाले। इसके लिए आर्यभट्ट ने क्रांतिकारी नवीनता से अंतर समीकरण हल किए, लेकिन सिर्फ उसी त्रैराशिक से, जो हम प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में सीखते हैं। (त्रैराशिक से जुड़े सवाल याद होंगे: 'यदि 5 लोग एक काम 10 दिन में करते हैं तो 10 लोग इसे कितने दिन में करेंगे?') अगले हजार साल में केरल में आर्यभट्ट के अनुयायियों ने अनंत श्रेढी के जरिये त्रिकोणमितीय मान 9 दशमलव स्थान तक सही निकाले।

अनंत श्रेढी की एक परिष्कृत समझ थी। इसे मैंने जीरोइज्म कहा है, क्योंकि यह बौद्ध शून्यवाद के समान है। व्यावहारिक पक्ष से अनंत श्रेढी सरल है। जैसे कि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को 3.1415 लिखते हैं। व्यवहार में जितनी परिशुद्धता चाहिए, उतने दशमलव स्थानों तक लिखते हैं, जैसे कि 3.14 या 3.14159 आदि। रॉकेट विज्ञान में 16 से भी अधिक दशमलव स्थानों की जरूरत पड़ती है। जीरोइज्म इस व्यावहारिक प्रक्रिया का दार्शनिक पक्ष है।

नेविगेशन के लिए कलन की उपयोगिता तो जेसुइट्स भी जानते थे। इसीलिए वे कलन को भारत से यूरोप ले गए। लेकिन मैथमैटिक्स से जुड़ी धार्मिकता की वजह से पश्चिमी विद्वानों को अनंत श्रेढी समझ में नहीं आई। यह धार्मिकता कोई अचरज की बात नहीं। मैथमैटिक्स शब्द की उत्पत्ति 'मैथेसिस' यानी 'सीखने' से होती है।

प्लेटो ने बताया कि सीखने का मतलब है आत्मा में शाश्वत सत्यों की याद जगाना। उसने कहा मैथमैटिक्स की आत्मा की भलाई के लिए पढ़ाना चाहिए, न कि उसके व्यावहारिक उपयोग के लिए। सुकरात ने एक गुलाम लड़के से मैथमैटिक्स के बारे में पूछताछ कर प्लेटो के इस सिद्धान्त को दर्शाया। टीकाकार ने समझाया कि सुकरात ने मैथमैटिक्स का प्रयोग किया, किसी अन्य विषय पर नहीं, क्योंकि मैथमैटिक्स में ही शाश्वत सत्य है, जो शाश्वत आत्मा को जगाता है।

आत्मा की इस धारणा को चर्च ने अंगीकार नहीं किया था। कई सदियों बाद क्रूसेड के दौरान चर्च ने मैथमैटिक्स को पुनः स्वीकारा, लेकिन मैथमैटिक्स की पुनर्व्याख्या की। उसे 'मैथेसिस' और आत्मा से अलग कर महज तर्क पढ़ाने का एक उपकरण बनाया, अन्य धर्मावलम्बियों से बहस करने के लिए। फिर भी, यह परम्परा जारी रही कि मैथमैटिक्स शाश्वत सत्य है। अब अगर अनंत श्रेढी का फल एक-एक पद जोड़कर निकाला जाए तो इसमें अनंत काल लग जाएगा, लेकिन देकार्ते ने सोचा कि अगर किसी पद पर रुके तो यह शाश्वत सत्य नहीं, अतः मैथमैटिक्स नहीं। उपरोक्त अनंत श्रेढी वृत्त की परिधि से जुड़ी थी, इसलिए उसने कहा कि वक्र रेखा की लंबाई मनुष्य के दिमाग से परे है, हालांकि भारत में बच्चों को सुतली से वक्र रेखा को नापना सिखाया जाता था। इस पश्चिमी मानसिकता की घुसपैठ ने ही मैथमैटिक्स को कठिन बना दिया है। यह गणित के व्यावहारिक अनुप्रयोगों में बाधा डालती है। न्यूटन की भौतिकी इसलिए विफल हुई, क्योंकि उसने कलन 'सही' तरह से करने की कोशिश की थी, लेकिन वह अलग कहानी है।

आज भी कलन के अनुप्रयोग अंतर समीकरणों से होते हैं। आर्यभट्ट की तकनीक से आज भी उन्हें हल किया जा सकता है। यह संख्यात्मक तकनीक कम्प्यूटर के लिए बहुत अनुकूल है। इस ऐतिहासिक मार्ग से सिखाने की कलन की शुरुआत अंतर समीकरण से होती है। हल के लिए त्रैराशिक काफी है। इससे कलन बहुत आसान हो जाता है और फोकस उसकी उपयोगिता पर रहता है।

हर साल गणित को 'ड्रॉप' करने वाले करोड़ों छात्र और उनके माता-पिता पाठ्यक्रम में हितधारक हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। अधिकांश पाठ्यक्रम चंद पश्चिमी प्रशिक्षित 'विशेषज्ञों' द्वारा चंद दरवाजों के पीछे बनाए जाते हैं। गणित को आसान बनाने के लिए हमें 'शैक्षिक स्वराज' चाहिए, जो हमें इस अंधविश्वास से छुटकारा दिलाए कि पश्चिम की नकल ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

(साभार : दैनिक भास्कर; शनिवार, 9 जून, 2012)

पुस्तक प्रेमी शिक्षक मास्टर मोतीलाल जी

(21 अप्रैल 1876 - 17 जनवरी 1949)

❑ शिवरतन थानवी

जयपुर में पहले जिसे सेठी कॉलोनी कहा जाता था आजकल उसे अर्जुनलाल सेठी नगर कहते हैं। वहाँ एक पुस्तकालय है जिसकी स्थापना एक शिक्षक ने अपने स्वयं के व्यय पर पहले अपने घर में फिर पास के एक मकान में सन् 1920 में की थी। नाम रखा श्री सन्मति पुस्तकालय। अच्छी मति देने वाला पुस्तकालय। पुस्तकें जो पढ़ेगा उसकी बुद्धि तो अच्छी बनेगी ही, ऐसा विश्वास था उनका। इस कारण वे आशा करते थे कि उनके शिष्य अच्छी पुस्तकें पढ़ा करें। उनका नाम था मास्टर मोतीलाल जी संघी। राजस्थान में पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे वे। पुस्तकों से उन्हें अगाध प्रेम था। खुद पढ़ते और चाहते कि और लोग भी उस पुस्तक को पढ़ें जो उन्होंने पढ़ी है और जिसे उन्होंने औरों के लिए भी पढ़ने योग्य पाया है।

पसंद करना और पसंद की पुस्तकें पढ़ना उन्होंने 1916 में ही शुरू कर दिया था। उनके पास अपनी जेब से खरीदी करीब 1500 उत्तम पुस्तकों का संग्रह 1920 तक इकट्ठा हो गया था। वे ऊँचे खयालों के आदर्श पुरुष थे। देश-प्रेम और जनकल्याण उनके जीवन का अंग था। वे स्वदेशी के भी भक्त थे। अर्जुनलाल जी सेठी तथा घासीलाल जी गोलेछा जैसे प्रगतिशील देशभक्तों के सम्पर्क में आ चुके थे। सेठी जी के शिक्षा प्रसार सम्बन्धी कामों में भी सहायता करने लग गये थे। सेठीजी क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे और मास्टर मोतीलाल जी आध्यात्मिकता, चारित्रिक शुद्धता और जनशिक्षण के मार्ग से समाज-निर्माण के काम में आगे बढ़े।

जैसा कि हमने ऊपर बताया, वे ऊँचे खयालों के आदर्श पुरुष थे, तो वे यह भी चाहते थे कि उनके शिष्य और उनके सम्पर्क में आने वाले और लोग भी ऊँचे खयालों के व्यक्ति बनें। इसका साधन था पुस्तकें। वे पुस्तकें खरीदते, पढ़ते और दूसरों से भी अपेक्षा रखते कि वे भी पढ़ें। खुद न खरीदें तो मास्टर जी की खरीदी

मास्टर मोतीलाल जी

पुस्तकों का ही उपयोग करें, किन्तु पढ़ें जरूर।

उनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1876 को चौमूं (जयपुर) में। छठी कक्षा (अपर प्राइमरी) तक चौमूं में पढ़े। आगे की शिक्षा व्यवस्था चौमूं में थी नहीं सो 1897 में प्रयाग विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी न कर सके और 1899 में पढ़ाई छोड़ दी और 1907 में जयपुर की वर्नाक्यूलर मिडल स्कूल के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। वेतन था 15 रुपये प्रति माह। फिर आ गए शिवपोल मिडल स्कूल में जहाँ उन्हें मिलने लगे 5 रुपये अधिक अर्थात् 20 रुपये। मास्टर जी की समाज-सुधार, देशप्रेम और जनशिक्षण की धुन ऐसी कि स्कूल में तो तन-मन से पूरी निष्ठा के साथ शिक्षा देते ही थे, स्कूल के बाद और अवकाश के दिनों में भी वे पुस्तकों के माध्यम से समाज-शिक्षा का अपना कार्यक्रम उसी मनोयोग से जारी रखते थे। सुबह शाम जब भी समय मिलता कुछ चुनी हुई पुस्तकें एक थैले में डालकर निकल जाते और अपने परिचित मिलने वालों व छोटे-बड़े शिष्यों के घरों पर जाते और वहाँ उनकी योग्यता व रुचि के अनुरूप पुस्तकें पढ़ने को दे आते। वहाँ वे उन्हें आत्मज्ञान की आवश्यकता भी समझाते तथा सन्मार्ग पर बढ़ने की आवश्यकता पर जोर देते। कुछ दिनों बाद वे स्वयं पुस्तकें लेने पहुँच जाते और दूसरी पुस्तकें दे आते। यदि वे देखते कि किसी में आलस्य है, पुस्तक पढ़ नहीं पाता, तो वे उसे पढ़ने का महत्व बताते, स्वाध्याय से लाभ की बात कहते, पढ़ने में रुचि उत्पन्न करते और पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा देते।

जब 1000 से भी अधिक पुस्तकें उनके पास हो गईं तो उनके मन में आने लगा कि कोई पुस्तकालय की स्थापना ही क्यों न कर दें? अभी तक तो थैला या झोला पुस्तकालय ही चल रहा था और वे पुस्तक प्रेमी पैदा करने की कोशिशें ही कर रहे थे, लेकिन अब वे इतने पुस्तक प्रेमी पैदा कर चुके थे कि लोग उनके घर पुस्तकें लेने-देने आने लगे। इन्होंने घर के पास ही एक मकान में अपनी सभी किताबें रख दीं और उसका नाम रख दिया श्री सन्मति पुस्तकालय। वेतन 20 रुपये का आधा भाग 10 रुपये वे इस पुस्तकालय की पुस्तकों का संग्रह बढ़ाने में लगाने लगे। गरीबों को भोजन कराने में और कबूतरों को ज्वार डालने में भी वे कुछ धन जरूर व्यय करते थे। जब वे 37 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। एक पुत्र था। दूसरी शादी उन्होंने नहीं की। गाँव में हाथ की बनी रेजी या दुसूती या सामान्य चौखाने का स्थानीय कपड़ा ही काम में लेते थे। सादा जीवन और उच्च विचार। उच्च विचारों की साधना के लिए ही उन्होंने पुस्तकों का साधन अपनाया था। अधिक पुस्तकें पढ़ोगे, अधिक अच्छी-अच्छी पुस्तकों की पहचान करोगे, भिन्न विचारों को जानोगे, उनका आदर करोगे और सही विचारों की पहचान करना सीखोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व उदार बनेगा, विशाल बनेगा और श्रेष्ठ बनेगा, ऐसा सोचकर वे पुस्तकें पढ़ने पर जोर देते थे।

पढ़ाने में भी निष्णात थे और अपने पुस्तकालय की सार सम्हाल में पूर्ण निष्ठावान तथा निपुण थे। इसका एक उदाहरण हमें आज भी हमारे बीच विद्यमान 101 वर्ष के महान् (गणित) शिक्षक श्री तेजकरण डंडिया के उस अनुभव से मिलता है जो उन्होंने एक साक्षात्कार में प्रसिद्ध कवयित्री व लेखिका सावित्री परमार को सुनाया था और जो उनके 65वें जन्म दिवस पर 1975 में समर्पित अभिनंदन ग्रंथ में मिलता है। घटना यों हुई कि डंडिया जी छठी में थे। तब छठी की भी विभागीय परीक्षा होती थी। डंडिया जी कमजोर थे गणित में। समझ गए कि फेल होना है, और मेला होने वाला था, सो वे मेला जाना चाहते थे और उनके पिताजी चाहते थे कि वे घर ही रहें और गणित विषय की कमजोरी दूर करें। पिताजी ले गए मास्टर मोतीलाल जी के पास। मास्टर जी ने इनकी गणित ऐसी अच्छी कर दी कि एक समय आया जब डंडिया जी की लिखी गणित की किताब इतनी पसंद की गई कि 45 वर्षों तक दूर-दूर तक पढ़ाई जाती रही। वही डंडिया जी वहाँ का अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि मास्टर मोतीलाल जी जितना पढ़ाने में निपुण थे उतने ही वे अपने पुस्तकालय की सार-सम्हाल में भी निपुण थे। खुद ही पुस्तकों पर गत्ते चढ़ाया करते, खुद ही पुस्तक देने-लेने का हिसाब रजिस्टर में लिखते, पुस्तकालय का झाड़ू भी लगाते और झाड़-पोंछ कर पुस्तकों की साफ-सफाई भी खुद ही किया करते थे। पुस्तकालयाध्यक्ष भी वे ही, लिपिक भी वे ही और चपरासी भी वे ही। और पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा देकर पुस्तक-पुस्तक का महत्व समझाने वाले शिक्षक भी वे ही।

मास्टर जी अध्यात्मप्रेमी थे, उन्हें चारित्रिक उत्थान की दृष्टि से धार्मिक पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता था किन्तु पाठकों पर अपनी इच्छाएँ थोपते नहीं थे। धार्मिक थे लेकिन धर्मांध नहीं थे। वे सुधारक थे किन्तु डिक्टेटर नहीं थे। पाठकों की रुचियाँ देखते और उनकी पसंद की भिन्न-भिन्न विषयों की पुस्तकें मँगाने में भी खुली दृष्टि रखते थे। कथा-कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सब मँगाते थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि किसी एक खास उम्र के लोगों के लिए या एक खास विश्वास या दृष्टि के लोगों के लिए पुस्तकें मँगाई जाएँ। बालक, किशोर, युवा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष सबकी रुचि को ध्यान में रखकर खुले दिमाग से वे सबकी सेवा कर सकें ऐसी पुस्तकें मँगाया करते थे।

एक और मजेदार बात थी। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई ही और कभी ही पढ़ता है। किन्तु कोई पुस्तक ऐसी होती है जिसे या तो परीक्षाओं के कारण या तात्कालिक विशेष लोकप्रियता के कारण या अन्य उपयोग के कारण कई लोग एक साथ पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसी पुस्तकें कभी दस-बीस तो कभी सौ-सौ प्रतियों में भी मँगा लेते थे। यह थी सच्चे पुस्तक प्रेमी और सच्चे पाठक की दृष्टि। वही पहचान सकता है कि पुस्तक पढ़ने को आतुर पाठक की प्रतीक्षा कितनी पीड़ादायक हो सकती होगी। ऐसी विशेष रोचक, ज्ञानवर्द्धक या किसी भी दृष्टि से विशेष पठनीय पुस्तक का वे विद्यार्थियों, युवकों व वृद्धों में खूब प्रचार किया करते थे। पाठकों की रुचि और झुकाव का वे अध्ययन करते थे तथा उन्हें धैर्यपूर्वक सही दिशा में मोड़ने की कोशिश करते रहते थे। अपने जीवन-काल में ही उन्होंने इस प्रकार 30000 (तीस हजार) पुस्तकें एकत्रित कर ली थीं।

एक बात का और ध्यान रखा उन्होंने। कोई प्रवेश शुल्क, डिपोजिट या मासिक या वार्षिक शुल्क पुस्तकालय की सदस्यता के लिए नहीं रखा। सदस्यों को देने को पुस्तकों की संख्या की सीमा भी नहीं रखी। और लौटाने के समय का नियम या बंधन भी नहीं रखा। न कोई जमानत माँगी। नए से नए व्यक्ति को भी मात्र पता-ठिकाना लिखाने के बाद पुस्तकें दे देते थे।

आज इस पुस्तकालय का सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर में भव्य विशाल भवन है। पचास हजार (50000) से भी अधिक पुस्तकें हैं और 30-40 पत्रिकाएँ आती हैं। पाँच सौ (500) ग्राहक हैं। सबेरे 8 बजे से शाम 8 बजे तक सैकड़ों पाठक इस पुस्तकालय की सेवाओं का लाभ प्रतिदिन आज भी उठाते हैं।

मास्टर जी का 17 जनवरी 1949 को 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके देहांत के बाद एक ट्रस्ट का गठन किया गया जो एक कार्य समिति के सहयोग से विधानानुसार मास्टर जी द्वारा निर्देशित आधार पर इस पुस्तकालय का संचालन करता है।

आज हजारों शिक्षित नागरिक जयपुर में ऐसे हैं जो मास्टर जी को इस कारण याद करते हैं कि यदि मास्टर जी ने उनकी सहायता न की होती तो उन्होंने जो शिक्षा पाई है वह उन्हें नहीं मिल पाती और आज जिस पद पर हैं और जिस स्तर का जीवनयापन कर रहे हैं वह कदापि संभव नहीं हो पाता। सभी शिक्षक जानते हैं कि हमारे कितने ही विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साधनहीन होते हैं और जिन्हें अनेक कठिनाइयों और अभावों का सामना करना पड़ता है। जो शिक्षक मास्टर मोतीलाल जी की तरह दयालु होते हैं वे यथाशक्य अभावग्रस्त और जरूरतमंद विद्यार्थियों की जरूर सहायता करते होंगे। मोतीलाल जी का हृदय करुणासिंधु था। लोगों को दुःखी देखकर वे दुःखी होते थे। भौतिक और मानसिक सहायता तो करते ही थे किन्तु अपने शुद्ध और करुणापूर्ण हृदय के कारण दूसरों के दुःख और वेदना को स्वयं अनुभव करने लगते थे। कभी-कभी तो इतने दुःखी हो जाते थे कि रोने लगते थे। वे किसी की सहायता करते थे तो यह नहीं देखते थे कि किस जाति या धर्म का है, कि सवर्ण है या अवर्ण। जो करते थे बिना किसी भेद-भाव के करते थे। यह भी अंतर नहीं करते थे कि विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा का है या माध्यमिक, कॉलेज या टेक्नीकल शिक्षा का। यही देखते थे कि अभावग्रस्त है और सुशील तथा योग्य है। उनका ध्येय यही था कि वंचित न रहे कोई। जिन्हें पुस्तकें दिलवाते उनसे कहते कि परीक्षाओं में सफल होने के बाद उनके काम में आ चुकने वाली पुस्तकें पुस्तकालय को प्रदान कर दें ताकि वे दूसरे विद्यार्थियों के काम आ सकें। कभी-कभी वे सीधे गरीब विद्यार्थियों को ये पुस्तकें दिलवा दिया करते थे।

गरीब विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें दिलवाते और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का फार्म भरवाने में शुल्क के प्रबंध की भी चिंता करते थे। कइयों का परीक्षा शुल्क उन्होंने नकदी अपनी जेब से कई बार दिया था। उनका पूरा जीवन समाज के उन वंचितों की सेवा को अर्पित था जिनका कोई और सहारा नहीं था। परिचितों और सहयोगियों से भी मदद दिलवाते। अधिक गरीब विद्यार्थियों के खाने-पीने, रहने-सोने तथा कपड़ों की भी व्यवस्था मास्टर जी करते। और इतना कुछ करते हुए भी कोशिश यह करते कि जो कुछ किया उसका आभास भी किसी को न हो।

भारत में पुस्तकालय-विज्ञान के जनक स्व. डॉ. एस.आर. रंगनाथन ने मास्टर मोतीलाल जी की तुलना एण्ड्रयू कार्नेगी से की। दोनों में एक चीज समान है और वह समान चीज उनके जीवन के सिद्धान्त से सम्बन्धित है। यह सिद्धान्त कार्नेगी की पुस्तक 'सम्पत्ति का संदेश' में बतलाया गया है। इस संदेश के अनुसार किसी व्यक्ति के पास उसके जीवन, भोजन साधारण सुविधा के अतिरिक्त बचा हुआ रुपया-पैसा उसकी अपनी सम्पत्ति नहीं है। वह तो केवल जनता की सम्पत्ति है। मोतीलाल जी के जीवन का भी यही सिद्धान्त रहा। एण्ड्रयू कार्नेगी के पास धन रूप था किन्तु उन्होंने अपने सीमित साधन से भी अपने हाथों पुस्तकालय खड़ा कर दिया, पाठक एकत्रित कर दिए और पुस्तकालय के विकास को बल देने वाले अनेक सहयोगी भी तैयार कर लिए। पुस्तक के जरिए लोगों को सन्मार्ग पर लाना उनके जीवन का ध्येय था। जीवन भर वे इसी काम में लगे रहे। श्री सन्मति पुस्तकालय में स्थापित उनकी आवक्ष मूर्ति के अनावरण के अवसर पर जो भाषण डॉ. रंगनाथन ने टेप करके भेजा था उसमें उन्होंने मास्टर मोतीलाल जी को विश्व के महानतम पुस्तकालयाध्यक्षों में से एक बताया था क्योंकि वे प्रारम्भ में धन की व्यवस्था से लेकर अन्त में पुस्तकें पढ़ी जाएँ वहाँ तक की व्यवस्था भी वे स्वयं करते थे और साथ ही यह भी ध्यान रखते थे कि पुस्तक गंदी न हो और भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। डॉ. रंगनाथन ने कहा था– 'मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी नहीं है जिसने यह सब स्वयं किया हो।' डॉ. रंगनाथन ने कहा कि वे ऐसे व्यक्तियों को तो जानते हैं जिन्होंने परोपकार के रूप में पुस्तकालयों की मदद की हो। एक इंजीनियर था जिसने अपनी कमाई की बचत से एक पुस्तकालय-गाड़ी बनवाई और अपने कस्बे के चारों ओर बीस मील के क्षेत्र में गाँवों में पुस्तकें भिजवाई। एक ऐसे व्यक्ति को भी वे जानते थे जिसने धान की फसल वाले अपने बीस एकड़ खेत की आय एक पुस्तकालय को चलाने के लिए दे दी। यों होते हैं लोग जो रुपया देकर सहायता करते हैं, किन्तु मोतीलाल जी ने न केवल रुपया जुटाया अपितु पुस्तकों के उपयोग के लिए हर संभव काम किया, हर संभव वस्तु जुटाई।

मोतीलाल जी को याद करते हुए एक और महानुभाव का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। वे हैं डॉ. कमलचंद जी सोगाणी जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में दर्शनशास्त्र के जब प्रोफेसर थे तभी से उन्होंने मोतीलाल जी की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के उपाय प्रारम्भ कर दिये थे। उन्होंने मास्टर जी के शिष्यों को एकत्रित किया और समिति बनाकर तय किया कि हल्दियों के रास्ते से मास्टर जी का सन्मति पुस्तकालय सेठी कॉलोनी जयपुर में नया भवन बनाकर उसमें स्थापित किया जाए। मास्टर जी की जीवनी, डॉ. रंगनाथन का भाषण, स्मारिका व अन्य सूचना सामग्री तैयार कराने का काम डॉ. कमलचंद जी सोगाणी ने किया। जयपुर प्रिन्टर्स, जयपुर के श्री सोहनलाल जी जैन ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सारा साहित्य निःशुल्क छापा और वितरित किया। इनका छापा वही साहित्य आज भी सूचनार्थ काम आ रहा है।

मास्टर जी के शिष्यों के प्रयत्नों से राज्य सरकार ने भूमि दी, भवन-निर्माण के लिए राशि का प्रबंध हुआ और मास्टर जी के ही शिष्य दौलतमल जी भंडारी (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान) के हाथों 31 मई 1969 को भवन का शिलान्यास किया गया। तीन साल में भवन बना और 29 अक्टूबर 1972 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बरकतुल्ला खां ने नए भवन का उद्घाटन किया। सन्मति पुस्तकालय एक ऐसे महापुरुष का स्मारक है जिसने ज्ञान के द्वारा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज इसका संचालन जो ट्रस्ट मंडल करता है उसके अध्यक्ष डॉ. कमलचंद सोगाणी हैं, प्रबंध ट्रस्टी श्री सौभाग्य चंद्र जी हाड़ा हैं तथा चार ट्रस्टी और हैं। जो कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष श्री विवेक काला, उपाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सिंह भंडारी तथा मंत्री श्री सुरेश कुमार ठोलिया हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष सौम्य स्वभाव राजकुमारी जी जो पुस्तकालयाध्यक्ष सम्बन्धी कोई भी सूचना उपलब्ध कराने को सदैव तत्पर रहती हैं (फोन-0141-2615855)। पुस्तकालय का संचालन उसी निःशुल्क पद्धति से हो रहा है जिस पद्धति का निर्धारण मास्टर जी ने किया था।

अद्भुत शिक्षक थे मास्टर मोतीलाल जी। हर शिक्षक और अभिभावक को उनके जीवन से पुस्तक-प्रेम, पुस्तकालय निर्माण और पुस्तकालयों के समुचित संधारण व भरपूर निःशुल्क उपयोग की शिक्षा मिलती है।

–मोची स्ट्रीट, फलोदी-342301, जोधपुर (राज.)

ग़ज़ब मगर सच

96 साल की दादी, दौड़ देखे तो बोल्ट भी दंग रह जाएं

रफ्तार का जिक्र होते ही उसैन बोल्ट की याद आती है। लेकिन चंडीगढ़ की 96 वर्षीय दादी मां मान कौर का फर्राटा देखकर तो वह भी दंग रह जाएँ। बोल्ट की ही तरह मान भी अपनी श्रेणी में 100 और 200 मीटर की विश्व चैंपियन हैं। उनके नाम इसके रिकॉर्ड भी हैं। दावा करती हैं कि अगले साल का वेटरन ओलम्पिक गोल्ड भी वह ही जीतेंगी।

चंडीगढ़ के वेटरन एथलीट व बेटे गुरुदेव सिंह की प्रैक्टिस देखकर ही मान कौर को दौड़ने का चस्का लगा। सिर्फ चार साल पहले ही उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। आज तक उन्हें कभी भी दूसरे स्थान पर नहीं रहना पड़ा। 2009 में स्टेट और नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स में 100 और 200 मीटर का गोल्ड मेडल जीतकर विश्वस्तरीय स्पर्धा के लिए टिकिट हासिल किया।

अमेरिका में पिछले साल वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स में मान ने न केवल 100 और 200 मीटर में विश्व रिकॉर्ड बनाया बल्कि एथलीट ऑफ द ईयर भी बनीं। अब वह 2013 में इटली में होने वाले वेटरन ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं।

97 की उम्र में हाईस्कूल डिप्लोमा

बचपन में देखा गया हाईस्कूल से डिप्लोमा पाने का सपना जिंदगी के अंतिम वर्षों में आकर पूरा हुआ। 1930 में पढ़ाई छोड़ चुकी अमरीका की ऐन कोलागियोवानी ने शेकर हाइट्स हाई स्कूल के 2012 की बैच में डिप्लोमा लिया है। 17 वर्ष की उम्र में एन ने पढ़ाई छोड़ अपने पिता के स्टोर में काम करना शुरू कर दिया था। वे बताती है कि वह मंदी का दौर था और उस वक्त कमाई का पढ़ाई से ज्यादा महत्व था। ऐन के ग्रेजुएट होने के एक दिन बाद ही उनका पोता भी ग्रेजुएट हुआ।

1. राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 की पालना कराने बाबत्। □ 2. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 - Prohibition of deployment of teachers for non-educational purposes. **□ 3. सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 व 6 के क्रियान्वयन के संदर्भ में □ 4. नवक्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन व्यवस्था के सम्बन्ध में। □ 5. शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2012 में सहयोग प्रदान करने हेतु। □ 6. बजट कन्ट्रोल रजिस्टर संधारण कर पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत। □ 7. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम वर्ष 2012-13 के अंतर्गत नामांकन सूचना प्रेषण हेतु। □ 8. कक्षा 6 व 7 के लिए नई विषयवार कालांश व्यवस्था जारी करने बाबत। □ 9. विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2012-13 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत्। □ 10. 2008-09 एवं 2009-10 में मा. स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन आहरण हेतु अधिकृति के सम्बन्ध में। □ 11. लुप्त/अप्राप्त कटौतियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु □ 12. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर में संशोधन □ 13. इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजनान्तर्गत इसी वर्ष से सामान्य वर्ग की बालिकाओं को भी सम्मिलित किये जाने बाबत। □ 14. इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वर्ष 2012 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में। □ 15. कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा प्रति विद्यार्थी एक पेड़ लगाना एवं रख-रखाव करना। □ 16. भवन मरम्मत हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत् □ 17. अतिरिक्त निदेशक, प्रथम अपील अधिकारी □ 18. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) केन्द्र प्रवर्तित योजना केअन्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2012-13 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत □ 19. अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम के सम्बन्ध में। □ 20. अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम (प्रा.शिक्षा) □ 21. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक के पात्र छात्र/छात्राओं को देय छात्रवृत्ति वर्ष 2012-13 के प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में। □ 22. गैर सरकारी विद्यालयों को निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रति बालक व्यय (Unit Cost) की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिशा निर्देश। □ 23. माध्यमिक कक्षाओं में कालांश व्यवस्था सत्र 2012-13 □ 24. विद्यालय शुल्क (रा.मा.वि./उ.मा.वि.) विवरण।**

1. राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 की पालना कराने बाबत्।

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी-एफ/19626/12-13 दिनांक : 16.3.12 • विषय : राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि)(संशोधन) नियम, 2011 की पालना कराने बाबत्। • प्रसंग : राजस्थान राज-पत्र विशेषांक प्रकाशन दिनांक 14.10.11 • उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 को संशोधित कर राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि)(संशोधन) नियम, 2011 लागू किया है। उक्त नियमों को राज-पत्र में प्रकाशित कराया गया है। प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र की छाया प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

शिक्षा सत्र 2011-12 में गैर-सरकारी विद्यालयों की मान्यता/क्रमोन्नति हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति क्रमांक :-शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/11-12 दिनांक 10.07.11 के द्वारा भी आपको उक्त संशोधित नियम के अंग्रेजी अनुवाद की प्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई गई थी। • ह. अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक), प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE EXTRAORDINARY

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 22, शुक्रवार, शाके 1933-अक्टूबर 14, 2011

Asvina 22, Friday, Saka 1933–October 14, 2011

भाग 4(ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 2, 2011

जी.एस.आर. 82 :– राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं. 19) की धारा 43 और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्– **1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 है। (2) ये राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. अध्याय-2 के शीर्षक का प्रतिस्थापन– राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अध्याय-2 के विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्– **'प्रारम्भिक शिक्षा' (कक्षा 1 से 8 तक) दे रही संस्थाओं से भिन्न संस्थाओं की मान्यता, उसका इन्कार किया जाना और वापस लिया जाना'। 3. नियम 3 का संशोधन–** उक्त नियमों के नियम 3 में,– (i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या बोर्ड द्वारा मान्य' के पश्चात् और अभिव्यक्ति 'को छोड़कर मान्यता चाहने वाली प्रत्येक संस्था' के पूर्व अभिव्यक्ति 'या कक्षा 1 से 8 तक प्रारम्भिक शिक्षा दे रही' अन्तःस्थापित की जायेगी। (ii) उप-नियम(2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या बोर्ड द्वारा मान्य' के पश्चात् और अभिव्यक्ति 'संस्थाओं के मामले को छोड़कर' के पूर्व अभिव्यक्ति 'या कक्षा 1 से 8 तक प्रारम्भिक शिक्षा दे रही' अन्तःस्थापित की जायेगी।

4. नियम 5 का संशोधन– उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'बोर्ड द्वारा मान्य' के पश्चात् और अभिव्यक्ति 'को छोड़कर मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक' के पूर्व अभिव्यक्ति 'या कक्षा 1 से 8

तक प्रारम्भिक शिक्षा दे रही' प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नियम 6 का संशोधन– उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'जहाँ' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति 'किसी संस्था की मान्यता से इन्कार किया जाये' के पूर्व अभिव्यक्ति 'इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन' अन्तः स्थापित की जायेगी।

6. नियम 7 का संशोधन– उक्त नियमों के नियम 7 के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'समुचित अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित परिस्थितियों में' के पश्चात् और अभिव्यक्ति 'उसकी अस्थायी मान्यता या स्थायी मान्यता' के पूर्व अभिव्यक्ति 'इस अध्याय के अधीन मंजूर की गयी' अन्तःस्थापित की जायेगी।

7. नियम 8 का संशोधन– उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'जहाँ किसी संस्था की' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति 'मान्यता वापस ले ली गई हो' के पूर्व अभिव्यक्ति **'इस अध्याय के अधीन मंजूर की गई'** अन्तःस्थापित की जायेगी।

8. नये अध्याय 2-क का अन्तःस्थापन– विद्यमान अध्याय-2 के पश्चात् और विद्यमान अध्याय-3 के पूर्व, निम्नलिखित नया अध्याय 2-क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्–

अध्याय 2-क

प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) दे रही संस्थाओं की मान्यता, उसका इन्कार किया जाना और वापस लिया जाना।

8-क. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए प्रक्रिया– (1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 2009 के अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), के प्रारम्भ के पूर्व केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विद्यालय से भिन्न स्थापित प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, इन संशोधन नियमों के प्रारम्भ होने के तीन मास की कालावधि के भीतर सम्बन्धित जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को 2009 के अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुपालना और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में प्ररूप-1 में एक स्वतः घोषणा करेगा, अर्थात्–

(क) कि विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है–

(ख) कि विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है;

(ग) कि विद्यालय भारत के संविधान में स्थापित मूल्यों के समानुरूप है;

(घ) कि विद्यालय के भवनों या अन्य संरचनाओं या मैदानों का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(ङ) कि विद्यालय, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए खुला है; (च) कि विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और ऐसी सूचनाएँ देता है जिनकी समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों की पालना करता है जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय के कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए जारी किये जाएँ;

(2) प्ररूप–1 में प्राप्त प्रत्येक स्वतः घोषणा, उसकी प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लोक कार्यक्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में रखी जायेगी।

(3) जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, स्वतः घोषणा की प्राप्ति के तीन मास के भीतर ऐसे विद्यालय का स्थल निरीक्षण करेगा जो प्ररूप–1 में मान और मानकों और उप-नियम (1) में वर्णित शर्तों की पूर्ति करने का दावा करता है।

(4) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट निरीक्षण करने के पश्चात् निरीक्षण रिपोर्ट जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लोक कार्यक्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में रखी जायेगी और मान और मानकों, और शर्तों के समानुरूप विद्यालयों की, निरीक्षण की तारीख से पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर, प्ररूप-2 में जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता मंजूर की जायेगी।

(5) ऐसे विद्यालय जो उप-नियम (1) में वर्णित मान और मानकों और शर्तों के समानुरूप नहीं पाये जाते हैं, जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस आशय के लोक आदेश के माध्यम से सूचीबद्ध किये जाएँगे। ऐसे विद्यालय, 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन वर्ष की कालावधि के भीतर किसी भी समय मान्यता की मंजूरी के लिए स्थल निरीक्षण के लिए जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को अनुरोध कर सकेंगे।

(6) ऐसे विद्यालय, जो, 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन वर्ष के भीतर उप-नियम (1) में वर्णित मान, मानकों और शर्तों के समानुरूप नहीं है कार्य नहीं करेंगे।

(7) 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विद्यालय से मित्र स्थापित प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, इस नियम के अधीन मान्यता के लिए अर्हित होने के क्रम में उप-नियम (1) में वर्णित मान और मानकों और शर्तों के समानुरूप होगा।

8 ख. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता वापस लिए जाने के लिए प्रक्रिया– (1) जहाँ जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् उक्त अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) स्वप्रेरणा से या उसके पास किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर, विश्वास करने का कारण है, कारण लेखन द्वारा अभिलिखित किये जायें, कि नियम 8-क के अधीन मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय से मान्यता की मंजूरी की एक या अधिक शर्तों का अतिक्रमण किया है या 2009 के अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा करने में असफल रहा है तो उक्त अधिकारी निम्नलिखित रीति से कार्य करेगा,–

(क) मान्यता की मंजूरी की शर्तों के अतिक्रमण को विनिर्दिष्ट करते हुए विद्यालय को एक नोटिस जारी करेगा और एक मास के भीतर उसका स्पष्टीकरण माँगेगा।

(ख) यदि स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता है या नियत कालावधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो उक्त अधिकारी, शिक्षाविदों सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, मीडिया और सरकारी प्रतिनिधियों को समाविष्ट करते हुए तीन से पाँच सदस्यों की एक समिति द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करवायेगा जो सम्यक् रूप से जाँच करेगी और उक्त अधिकारी को उसकी मान्यता जारी रखने के लिए या उसके वापस लिये जाने की सिफारिशों के साथ, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ग) समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों की प्राप्ति पर उक्त अधिकारी मान्यता के वापस लिये जाने का आदेश पारित कर सकेगा :

परन्तु उक्त अधिकारी द्वारा मान्यता के वापस लिए जाने का कोई आदेश विद्यालय को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के

बिना उक्त अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

(2) उक्त अधिकारी द्वारा पारित मान्यता को वापस लिये जाने का आदेश ठीक पश्चात्वर्ती शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होगा और पड़ौस के उन विद्यालयों को विनिर्दिष्ट करेगा जिनमें उस विद्यालय के बालकों को प्रवेश दिलाया जायेगा।'

9. परिशिष्ट 2 का संशोधन– उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट-2 में,–

(i) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्या 3 और 4 में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटायी जाएँगी।

(ii) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्या 3 और 4 में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटायी जाएँगी।

(iii) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तम्भ संख्या 3 और 4 में 'प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटाई जाएँगी।

(iv) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तम्भ संख्या 3 और 4 में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटाई जाएँगी।

(v) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तम्भ संख्या 3 और 4 में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटाई जाएँगी।

(vi) क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तम्भ संख्या 3 और 4 में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटाई जाएँगी।

(vii) क्रम संख्यांक 8 के सामने स्तम्भ संख्या 3 और 4 में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटाई जाएँगी।

(viii) क्रम संख्यांक 9 के सामने स्तम्भ संख्या 3 और 4 में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटाई जाएँगी।

(ix) क्रम संख्यांक 10 के सामने स्तम्भ संख्या 3 और 4 में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटाई जाएँगी।

(x) क्रम संख्यांक 11 के सामने स्तम्भ संख्या 3 और 4 में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटाई जाएँगी।

(xi) क्रम संख्यांक 12 के सामने स्तम्भ संख्या 3 और 4 में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटाई जाएँगी।

(xii) क्रम संख्यांक 13 के सामने स्तम्भ संख्या 3 और 4 में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटाई जाएँगी।

(xiii) क्रम संख्यांक 14 के सामने स्तम्भ संख्या 3 और 4 में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटाई जाएँगी।

10. परिशिष्ट-3 का संशोधन– उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट-3 में, विद्यमान अभिव्यक्तियाँ '(1) प्राथमिक विद्यालय' और '(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय' हटाई जाएँगी।

11. नये प्ररूप–1 और प्ररूप-2 का अन्तःस्थापन,– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान परिशिष्ट-15 के पश्चात्, निम्नलिखित नये प्ररूप-1 और प्ररूप-2 जोड़े जाएँगे, अर्थात्–

प्ररूप-1

(नियम 8-क के उप-नियम (1) और (2) देखिए)

विद्यालय की मान्यता की मंजूरी के लिए स्वतःघोषणा एवं आवेदन

सेवा में,

जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,

..... (जिले का नाम),

राजस्थान।

श्रीमान्,

मैं इसके साथ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विहित मान और मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में स्वतः घोषणा और वर्ष 20 ..... से विद्यालय के प्रारम्भ से ..... (विद्यालय का नाम) ..... की मान्यता की मंजूरी के लिए विहित रूपविधान में आवेदन अग्रेषित करता हूँ।

भवदीय,
अध्यक्ष/प्रबंध समिति
का प्रबंधक

संलग्नक :
स्थान :
तारीख :

	क. विद्यालय के ब्योरे	
1.	विद्यालय का नाम	
2.	शैक्षणिक सत्र	
3.	जिला	
4.	डाक का पता	
5.	ग्राम/शहर	
6.	तहसील	
7.	पिन कोड़ :	
8.	एस.टी.डी. कोड सहित दूरभाष सं.	
9.	फैक्स सं.	
10.	ई मेल पता, यदि कोई हो	
11.	निकटस्थ पुलिस थाना	
	ख. सामान्य सूचना	
1.	स्थापना का वर्ष	
2.	विद्यालय के प्रथम प्रारम्भण की तारीख	
3.	न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति का नाम	
4.	क्या न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति रजिस्ट्रीकृत है	
5.	वह कालावधि, जिस तक न्यास/सोसाइटी/ प्रबंध समिति का रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य है।	
6.	क्या न्यास/सोसाइटी/का प्रबंध समिति की गैर-साम्पत्तिक हैसियत होने का सबूत है, प्रतिलिपि में शपथ-पत्र पर सदस्यों की उनके पते सहित सूची द्वारा समर्थित हो।	
7.	विद्यालय के प्रबंधक/प्रधान/अध्यक्ष का शासकीय पता	
	नाम	
	पदनाम	
	पता	
	दूरभाष	(कार्यालय)... ..... (निवास)... .....

8.	गत तीन वर्षों के दौरान कुल आय और व्यय, अवशेष/घाटा			
	वर्ष	आय	व्यय	अधिशेष/ घाटा

ग. विद्यालय की प्रकृति और क्षेत्र

1.	शिक्षण का माध्यम	
2.	विद्यालय का प्रकार (प्रवेश और निकास कक्षाएं विनिर्दिष्ट करें)	
3.	यदि अनुदानित है तो अभिकरण का नाम और अनुदान का प्रतिशत	
4.	क्या विद्यालय मान्यताप्राप्त है	
5.	यदि है तो किस प्राधिकारी से मान्यता संख्यांक	
6.	क्या विद्यालय का स्वयं का भवन है या क्या यह किराये के भवन में चल रहा है।	
7.	क्या विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएँ या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं।	
8.	विद्यालय का कुल क्षेत्र	
9.	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र	

घ. नामांकन प्रस्थिति

क्र.सं.	कक्ष-कक्षा	सेक्शनों की सं.	विद्यार्थियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**
1.	पूर्व-प्राथमिक		
2.	1 से 5		
3.	6 से 8		

ङ. अवसंरचना के ब्यौरे और स्वच्छता की स्थिति

क्र.सं.	कक्ष	सं.	औसत आकार
1.	कक्ष		
2.	कार्यालय कक्ष एवं भंडार कक्ष एवं प्रधानाध्यापक कक्ष		
3.	रसोई एवं भंडार		

च. अन्य सुविधाएँ

1.	क्या सभी सुविधाओं में रोध मुक्त पहुँच है	
2.	अध्यापन विज्ञता सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3.	क्रीड़ा और खेलकूद के उपस्कर (सूची संलग्न करें)	
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा	
	- पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या)	
	- नियतकालिक पत्रिका/समाचारपत्र	
5.	पीने के पानी की सुविधा का प्रकार और संख्या	
6.	स्वच्छता की स्थिति	
	(i) शौचालय और मूत्रालय के प्रकार	
	(ii) लड़कों के लिए पृथक रूप से मूत्रालयों/शौचालयों की संख्या	
	(iii) लड़कियों के लिए पृथक रूप से मूत्रालयों/शौचालयों की संख्या	

छ. अध्यापन कर्मचारीवृन्द की विशिष्टियाँ

1.	अनन्य रूप से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक में अध्यापन (प्रत्येक अध्यापक के पृथक-पृथक ब्यौरे)		
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शैक्षणिक अर्हता (4)	वृतिक अर्हता (5)	अध्यापन अनुभव (6)
	समनुदेशित कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2.	प्रारम्भिक और माध्यमिक दोनों में अध्यापन (प्रत्येक अध्यापक के पृथक-पृथक ब्यौरे)		
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शैक्षणिक अर्हता (4)	वृत्तिक अर्हता (5)	अध्यापन अनुभव (6)
	समनुदेशित कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
3.	प्रधान अध्यापक		
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शैक्षणिक अर्हता (4)	वृत्तिक अर्हता (5)	अध्यापन अनुभव (6)
	समनुदेशित कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

ज. पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण

1.	प्रत्येक कक्षा (8वीं तक) में अनुसरण किये जाने वाले पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण के ब्यौरे	
2.	छात्र के निर्धारण की प्रणाली	

3.	क्या विद्यालय के छात्रों का 8वीं कक्षा तक की किसी बोर्ड की परीक्षा में प्रविष्ठ होना अपेक्षित है।	

(झ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन के साथ शिक्षा की जिला सूचना प्रणाली के इस डाटा केपचर प्रारूप में सूचना भी प्रस्तुत कर दी हैं।

(ञ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुला है।

(ट) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा-अपेक्षित ऐसी रिपोर्ट और सूचना देने और समुचित प्राधिकारी या जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के ऐसे निर्देशों, जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय के कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा समय-समय पर जारी किये जाएँ, का पालन करने का वचन देता है।

(ठ) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बद्ध विद्यालय के अभिलेख जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए किसी भी समय खुले रहेंगे और विद्यालय राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या प्रशासन को ऐसी समस्त सूचनाएँ देगा जो राज्य विधानमण्डल/पंचायत/नगरपालिका, यथास्थिति के प्रति उसकी बाध्यताओं के निर्वहन को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

हस्ताक्षर
(नाम)
अध्यक्ष/प्रबंधक, प्रबंध समिति
..... विद्यालय।

स्थान :
तारीख :

प्ररूप-2

[नियम 8-क का उप-नियम (4) देखिए]
कार्यालय जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
[..... (जिले का नाम), राजस्थान]

संख्या : दिनांक :

अध्यक्ष/प्रबंधक,
प्रबंध समिति,
..... विद्यालय।

विषय : नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन दिनांक ..... और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं..... (विद्यालय का नाम और पता) ..... को ..... से ..... तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा ..... से ..... तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी–

मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्निहित नहीं होगी।

विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र-संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।

पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छँटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।

6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इंकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि–

(i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;

(ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;

(iii) किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा– अधिकथित प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा;

(v) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये;

(vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाएँ;

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर

न्यूनतम अर्हताएँ नहीं रखते हैं, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे;

(vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं; और

(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगाएँगे।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई सुविधाएँ निम्नानुसार हैं–
विद्यालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित क्षेत्र
खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र
कक्षा के कमरों की संख्या
प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्ष
लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर
पीने के पानी की सुविधा
मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई
अवरोध मुक्त पहुँच
अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएँगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएँ या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जाएँगे।

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।

13. किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जाएगी।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या ..... है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जाएँ।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है।

जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
[संख्या एफ.8(29)ऐजु-5/ई.ई./2009]
राज्यपाल के आदेश से,
अशोक सम्पतराम
प्रमुख शासन सचिव

2. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 - Prohibition of deployment of teachers for non-educational purposes.

• Government of Rajasthan, Office of the Chief Secretary. No. F.21(19)Shiksha/Gr.-1/EE/09 Dated : April 20, 2012 • Subject : The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 - Prohibition of deployment of teachers for non-educational purposes.• As you are aware, Section 27 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 expressly prohibits the deployment of teachers for non-educational purposes, except for the purposes specified therein. For your ready reference this section is reproduced hereinafter:

27. No teacher shall be deployed for any non-educational purposes other than the decennial population, census, disaster relief duties or duties relating to elections to the local authority or the State Legislature or Parliament, as the case may be.

Instructions have been issued from time to time by the Principal Secretary, School Education and my predecessor in office for ensuring compliance of this statutory provision. However, it has been brought to notice of the undersigned that in several districts the Collectors/Sub-Divisional Officers/ Tehsildars are still deploying the teachers for various non-educational tasks. In some cases, the teachers are being deployed through verbal directions so that on record there is no violation of the provisions of the RTE Act. This is highly objectionable.

You are directed to ensure that teachers are not deployed for any non-educational work in contravention of the provisions of the RTE Act. You may immediately review the position in your district and ensure that all those teachers who have been deployed for any non-educational work are immediately relieved and sent back to their actual place of posting in the schools latest by 30th April 2012. Thereafter, a certificate may be furnished to the undersigned stating that

no engaged in non-educational work in your district. • Sd/-, Chief Secretary. • क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा/स/अ.बा. शिक्षा अधि. 2009/10 दिनांक 27.4.12 • ह., उपनिदेशक (माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

3. सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 व 6 के क्रियान्वयन के संदर्भ में

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/3630/धूम्रपान निषेध/07-09 दिनांक 2.5.120 • विषय : सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 व 6 के क्रियान्वयन के संदर्भ में। • प्रसंग : राज्य सरकार के पत्रांक पं.16(15) शिक्षा-6/2008 पार्ट-III दिनांक 25.04.2012 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में निर्देशित किया जाता है कि तम्बाकू सेवन मानव निर्मित सबसे बड़ी त्रासदी है, इसके सेवन से देश में प्रति घण्टे 115 व प्रतिवर्ष 10 लाख लोगों की असमय मौत होती है। प्रतिघण्टे 230 बच्चे तम्बाकू निर्मित उत्पादों जैसे सिगरेट, बीडी, गुटखा, पान-मसाला आदि की शुरुआत कर इसकी गिरफ्त में आते हैं। राजस्थान राज्य में 32.3 प्रतिशत लोक तम्बाकू सेवन के आदी हैं। यदि समय रहते इन्हें इस आदत से मुक्त कराया जाए तो कैंसर, हृदयाघात एवं श्वांस रोगों से उन्हें बचाया जा सकता है। इसी सोच को लेकर भारत सरकार द्वारा एक व्यापक कानून ''सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003'' लागू किया था, जिसका उद्देश्य तम्बाकू सेवन को कम कर इससे होने वाले रोगों से नागरिकों की रक्षा करना है।

कोटपा, 2003 के क्रियान्वयन हेतु आप अपने अधीनस्थ सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में निम्न बिन्दु सुनिश्चित करावें–

1. विद्यालय प्रवेश द्वार, प्रत्येक मंजिल के विशिष्ट स्थान पर ''धूम्रपान निषेध'' का बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 2. उस बोर्ड पर विद्यालय के प्रभारी व्यक्ति का नाम, पद व फोन नम्बर जिससे शिकायत की जा सके, प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 3. धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली वस्तुएँ जैसे एस्ट्रे, मैचबॉक्स, लाइटर इत्यादि उपलब्ध नहीं होने चाहिए। 4. अगर कोई व्यक्ति विद्यालय में धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो उस विद्यालय परिसर का प्रभारी 200 रुपये तक का जुर्माना चालान के रूप में लगा सकता है। उक्त नियमों की उल्लंघन की सूचना के बावजूद सम्बन्धित प्रभारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में सम्बन्धित प्रभारी पर उल्लंघनों की संख्या के बराबर दण्ड लगाया जावे। 5. किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचा जाए। 6. शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाध्यापक/प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक संस्था के परिसर के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पर लिखा हो 'शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में गुटखा, बीडी, सिगरेट या अन्य कोई तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है, इसका उल्लंघन किये जाने पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।'' 7. विद्यालय/शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक, छात्र या आगन्तुक कोई भी तम्बाकू उत्पाद का उपयोग नहीं करेंगे। 8. शिक्षण संस्थाओं में एक तम्बाकू नियंत्रण कमेटी का गठन किया जावे जिसमें शिक्षक, छात्र, जन प्रतिनिधि एवं स्थानीय पुलिस थाना प्रतिनिधि आदि शामिल हों। 9. शिक्षण संस्थाओं में तम्बाकू, नियंत्रण कार्यक्रम प्रमुखता से आयोजित किये जावें, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम तम्बाकू नियंत्रण पर केन्द्रित हो और तम्बाकू नियंत्रण से सम्बन्धित पोस्टर्स व अन्य आईईसी प्रमुखता से प्रदर्शित की जावे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत कराने का श्रम करें। • ह., उप निदेशक।

4. नवक्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25577/2012-13 दिनांक 03.5.12 • विषय : नवक्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन व्यवस्था के सम्बन्ध में। • प्रसंग : इस कार्यालय का पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 13.04.2012 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.02.10, 15.06.11, 19.03.2012 एवं 13.04.2012 के द्वारा नव क्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन आहरण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। दिनांक 13.04.2012 के आदेश द्वारा जिन नवक्रमोन्नत विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पदस्थापन नहीं हुआ है अथवा 03 पावर के साथ अन्य किसी अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी घोषित नहीं किया गया जा सका है उन विद्यालयों में DDO CODE तथा ट्रेजरी कोड के अभाव में विद्यालयों की मैपिंग नहीं होने के कारण उन समस्त विद्यालयों के लिए लेखामदवार/विद्यालयवार बजट का आवंटन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए समस्त जिला शिक्षा अधिकारी नीचे लिखी कार्यवाही/पालना कर पालना रिपोर्ट बजट अनुभाग माध्यमिक निदेशालय बीकानेर में व्यक्तिशः सात दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें– 1. इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा-माध्य/बजट/बी-5/25416/2012-13 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा विभिन्न लेखामदों के 4994 विद्यालयों के पदों को आयोजना व्यय (PLAN) से आयोजना भिन्न व्यय (NON PLAN) में सम्मिलित/विलय किया गया है। उपर्युक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, अतः सभी सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) इसकी प्रति डाउनलोड कर कार्यालय में इसका पूर्ण रिकार्ड संधारित कर लेवें तथा जिले के सभी विद्यालयों को अपने स्तर पर सूचित (UP DATE) करावें। 2. आयोजना व्यय (PLAN) के अन्तर्गत शेष विद्यालयों को पद/बजट का आवंटन इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.04.2012, 12.04.2012 एवं 02.05.2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए पूर्ण अवधि का बजट आवंटन जारी किया जा चुका है। 3. आयोजना भिन्न व्यय (NON PLAN) में पद/बजट का आवंटन 01.04.2012, 05.04.2012 एवं 03.05.2012 को पूर्ण अवधि (2012-13) के लिए जारी कर दिया गया है, जिसकी कॉपी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी गई है। अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय स्तर पर लेखामद/विद्यालयवार बजट कन्ट्रोल रजिस्टर का संधारण करें एवं प्रत्येक माह के व्यय का इन्द्राज करें। 01 संवेतन में बजट की आवश्यकता का आकलन कर अगस्त, 2012 के प्रथम सप्ताह तक लेखामदवार/विद्यालयवार विवरण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित

करावें। इस हेतु 01 संवेतन उप मद में **अतिरिक्त मांग पत्र विद्यालयवार/ लेखामदवार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर तैयार कर भिजवाया जावे तभी आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। विद्यालय द्वारा सीधे मांग पत्र इस कार्यालय को नहीं भिजवाया जावे। इस बाबत अधीनस्थ विद्यालयों को आपके स्तर पर सूचित कर देवें।** 4. कार्यालय आदेश दिनांक 13.04.2012 के द्वारा नवक्रमोन्नत विद्यालयों के लिये जिनकी IFMS में MAPPING नहीं हो पाई के लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को लेखामदवार बजट का आवंटन जारी कर दिया गया है। अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधीन नवक्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों का वेतन समय पर आहरित होना सुनिश्चित करावें। 5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने कार्यालय में सभी लेखामदवार/विद्यालयवार पदों का बजट का रजिस्टर संधारित कर निदेशालय बजट अनुभाग से मई के आखिरी सप्ताह में मिलान कराना सुनिश्चित करावें। 6. जिन नवक्रमोन्नत विद्यालयों के लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को बजट आवंटन किया गया है, उनमें 03 के पावर अन्य किसी अधिकारी को दिये जाने के पश्चात् DDO CODE. ट्रेजरी से आवंटन कराकर सूचना भिजवाई जावे ताकि उनकी IFMS में MAPPING करवाई जा सके। इस हेतु विद्यालय स्टाफ को वाहक स्तर पर निदेशालय नहीं भिजवाया जावे तथा DDO CODE, ट्रेजरी कोड की सूचना नीचे लिखे प्रपत्र में भिजवाई जावें-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	जिला	ऑफिस आईडी	डी.डी.ओ. कोड नम्बर	ट्रेजरी/सब ट्रेजरी कोड नाम सहित (जहाँ से सम्बन्धित विद्यालय का वेतन आहरित होना है)	क्रमोन्नत वर्ष
1	2	3	4	5	6	7

• ह., मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25577/2012-13 दिनांक 03.05.12

5. शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2012 में सहयोग प्रदान करने हेतु

• प्रतिलिपि पत्र क्रमांक-पं.16(36)शिक्षा-6/04 जयपुर, दिनांक 20.4.12 ओर- से उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर वास्ते- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • विषय : शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2012 में सहयोग प्रदान करने हेतु। • उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी शांति कुंज हरिद्वार द्वारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन दिनांक **5 अक्टूबर, 2012 को दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे** तक किया जायेगा।

अतः आप अपने अधीनस्थ शाला प्रधानों को निर्देशित करें कि अन्य वर्षों की भाँति इस वर्ष भी सहयोग प्रदान करने का श्रम करें। आप द्वारा की गई कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करावें। • ह., उप शासन सचिव • कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा/स/22448/99 दिनांक : 3.5.12

6. बजट कन्ट्रोल रजिस्टर संधारण कर पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25577/2012-13 दिनांक : 03.05.2012 • विषय : बजट कन्ट्रोल रजिस्टर संधारण कर पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत। • प्रसंग : इस कार्यालय का पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 03.05.2012 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए अधीनस्थ कार्यालयों/ विद्यालयों को जारी बजट के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, ताकि अधीनस्थ समस्त विद्यालयों के शिक्षकों/कार्मिकों को वेतन व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। गत वर्ष का यह अनुभव रहा है कि विद्यालयों द्वारा या तो आवश्यकता से अधिक राशि माँग ली जाती है अथवा बार-बार 01 संवेतन में अतिरिक्त बजट आवंटन के लिए मांग पत्र भिजवाया जाता है। विद्यालयों द्वारा एक ही मांग पत्र को दो या अधिक बार डाक/फैक्स से भेज देते हैं, जिससे सही मांग पत्र राशि का आकलन नहीं हो पाता है। अतः सभी अधीनस्थ विद्यालयों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उनके विद्यालय में विभिन्न लेखा मदों के इस कार्यालय द्वारा आवंटित राशि का बजट कन्ट्रोल रजिस्टर नीचे लिखे प्रारूपानुसार आवश्यक रूप से संधारित करना सुनिश्चित करेंगे–

लेखा मद : ..... बजट कन्ट्रोल रजिस्टर : ..... वित्तीय वर्षः....

प्रपत्र

क्र. सं.	सम्बन्धित उप मद	वर्ष के प्रारम्भ में स्वीकृत राशि	अति. आवंटन यदि कोई है तो	कुल प्राप्त राशि	व्यय राशि	अब तक कुल व्यय राशि	बचत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

कॉलम संख्या 5 में से कॉलम संख्या 7 को घटाकर बचत राशि निकाली जावे एवं 01 संवेतन में मांग राशि का तीन माह पूर्व आकलन कर मांग पत्र सम्बन्धित जि.शि.अ. (मा.) को पूर्ण विवरण सहित भिजवायेंगे। जिसमें अब तक आहरित राशि का पूर्ण विवरण तथा मांग राशि का पूर्ण औचित्य/आवश्यकता अनुसार उल्लेख होना चाहिए। सम्बन्धित जि.शि.अ. अधीनस्थ विद्यालयों से प्राप्त होने वाले मांग पत्रों को लेखामदवार संधारित कर अपने कार्यालय के रजिस्टर में इन्द्राज कर 02 माह पूर्व निदेशालय को अतिरिक्त बजट आवंटन के लिए भिजवाएँगे। जिसके लिए उन्हें पूर्व प्रासंगिक पत्र द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं। • ह., मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25577/2012-13 दिनांक : 03.05.12

7. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम वर्ष 2012-13 के अंतर्गत नामांकन सूचना प्रेषण हेतु।

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं./सां/प्रवेशोत्सव/2012-13 दिनांक : 07.5.12 • विषय : प्रवेशोत्सव कार्यक्रम वर्ष 2012-13 के अंतर्गत नामांकन सूचना प्रेषण हेतु। • प्रसंग : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/जी/4166/प्र.उ./2012-13 दिनांक 17.04.12 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शैक्षिक अनुभाग कार्यालय हाजा के प्रासंगिक पत्र दिनांक 17.04.12 का अवलोकन करें। इस पत्र के द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम सत्र 2012-13 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अंतर्गत नामांकन सूचना प्रेषण हेतु आपको विशेष रूप से यह पत्र पृथक से जारी करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के पश्चात् नामांकन सूचना प्रपत्र 1 (अ व ब) एवं प्रपत्र 2 (अ व ब) में अधीनस्थ जिलों से दिनांक 30.08.12 को मण्डल स्तर पर जिलेवार संकलित व समेकित कर दिनांक 04.09.12 को सम्बन्धित लिपिक के साथ मय सॉफ्ट कॉपी प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के सांख्यिकी अनुभाग में उपलब्ध करवावें।

नामांकन सूचना का निर्धारित कार्यक्रम ध्यान रखें। आपके कार्यालय से प्राप्त सूचना को निदेशालय स्तर पर राज्य स्तरीय सूचना संकलित कर राज्य सरकार को प्रेषित करनी होती है। स्मरण रखें कि दिनांक 04.09.12 को यदि किसी मण्डल/जिले की सूचना निदेशालय को प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

नामांकन अभियान के सम्बन्ध में शैक्षिक अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्र दिनांक 17.04.12 में जारी अन्य निर्देश यथावत हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार प्रपत्र 1 व 2 (अ व ब) • ह., निदेशक।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) .....

प्रपत्र-1(अ) समस्त राजकीय विद्यालय (रा.प्रा.वि., रा.उ.प्रा.वि., रा.मा.वि./रा.उ.मा.वि. में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक राजकीय वैकल्पिक विद्यालय, एस.एस.ए. द्वारा संचालित अन्य विद्यालय के नामांकन की सूचना)

नामांकन अभियान के दौरान कुल नामांकन 2012-13																
विवरण	गतवर्ष नामांकन की स्थिति 2011-12			नामांकन पश्चात् ड्रोप आउट 2011-12			शेष नामांकन 2011-12			अभियान के दौरान नामांकन 2012-13			कुल नामांकन			वि.वि.
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
पूर्व प्राथमिक से कक्षा 5																
कक्षा 6 से 8																
योग																

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) .....

प्रपत्र-1(ब) समस्त गैर राजकीय विद्यालय (यथा समस्त निजी, प्रा.वि., उ.प्रा.वि., मा.वि./उ.मा.वि. में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक, अन्य निजी विद्यालय के नामांकन की सूचना)

नामांकन अभियान के दौरान कुल नामांकन 2012-13																
विवरण	गतवर्ष नामांकन की स्थिति 2011-12			नामांकन पश्चात् ड्रोप आउट 2011-12			शेष नामांकन 2011-12			अभियान के दौरान नामांकन 2012-13			कुल नामांकन			वि.वि.
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
पूर्व प्राथमिक से कक्षा 5																
कक्षा 6 से 8																
योग																

नोट :- मैं (नाम) ..... जि.शि.अ.प्रा.शि. ..... यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सूचना में समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों व अपने कार्यालय की नामांकन सूचना संकलित एवं मेरे द्वारा परीक्षण के उपरान्त प्रेषित है। गलत पाई जाने की स्थिति में मैं व्यक्तिशः उत्तरदायी हूँगा।

जि.शि.अ. हस्ताक्षर/मोहर

नोट :- उपरोक्त प्रपत्र 1 अ व प्रपत्र 1 ब उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अपने अधीनस्थ जिलों से दिनांक 01.09.12 को पृथक-पृथक प्रपत्र संकलित कर दिनांक 04.09.12 को निदेशालय वाहक स्तर सम्बन्धित लिपिक के साथ मय सॉफ्ट कॉपी प्रेषित करेंगे।

जि.शि.अ. हस्ताक्षर/मोहर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक).....

प्रपत्र-2(अ)

समस्त राजकीय विद्यालय (रा.प्रा.वि., रा.उ.प्रा.वि., रा.मा.वि./ रा.उ.मा.वि. में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक, राजकीय वैकल्पिक विद्यालय, एस.एस.ए. द्वारा संचालित अन्य विद्यालय के नामांकन की सूचना)

नामांकन अभियान (संख्या हजारों में)			
विवरण	**गतवर्ष नामांकन की स्थिति (2011-12)**	**नामांकन अतिरिक्त (2012-13)**	**कुल उपलब्धियाँ**
प्राथमिक शिक्षा का नामांकन			
आयु 6 से 11 वर्ष (कक्षा पूर्व प्राथमिक से 5वीं तक)			
समस्त जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अनु. जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अनु. जन जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अन्य पिछड़ा वर्ग			
छात्र			
छात्रा			
योग			
आयु 11 से 14 वर्ष (कक्षा 6 से 8 तक)			
समस्त जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			

विवरण	गतवर्ष नामांकन की स्थिति (2011-12)	नामांकन अतिरिक्त (2012-13)	कुल उपलब्धियाँ
अनु. जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अनु. जन जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अन्य पिछड़ा वर्ग			
छात्र			
छात्रा			
योग			
आयु 6 से 14 वर्ष (कक्षा प्राथमिक से 8 तक)			
समस्त जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अनु. जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अनु. जन जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अन्य पिछड़ा वर्ग			
छात्र			
छात्रा			
योग			

नोट :- मैं (नाम) ..... जि.शि.अ.प्रा.शि. ..... यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सूचना में समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों व अपने कार्यालय की नामांकन सूचना संकलित एवं मेरे द्वारा परीक्षण के उपरान्त प्रेषित है। गलत पाई जाने की स्थिति में मैं व्यक्तिशः उत्तरदायी हूँगा।

जि.शि.अ. हस्ताक्षर/मोहर

नोट :- उपरोक्त प्रपत्र 2 अ व प्रपत्र 2 ब उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अपने अधीनस्थ जिलों से दिनांक 01 सितम्बर, 2012 को पृथक-पृथक प्रपत्र संकलित कर दिनांक 04 सितम्बर, 2012 को निदेशालय वाहक स्तर सम्बन्धित लिपिक के साथ मय सॉफ्ट कॉपी प्रेषित करेंगे।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक).....

प्रपत्र-2(ब)

समस्त गैर राजकीय विद्यालय

(यथा समस्त निजी प्रा.वि., उ.प्रा.वि., मा.वि./उ.मा.वि. में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक, अन्य निजी विद्यालय के नामांकन की सूचना)

नामांकन अभियान (संख्या हजारों में)			
विवरण	**गतवर्ष नामांकन की स्थिति (2011-12)**	**नामांकन अतिरिक्त (2012-13)**	**कुल उपलब्धियाँ**
प्राथमिक शिक्षा का नामांकन			
आयु 6 से 11 वर्ष (कक्षा पूर्व प्राथमिक से 5वीं तक)			
समस्त जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अनु. जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अनु. जन जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अन्य पिछड़ा वर्ग			
छात्र			
छात्रा			
योग			
आयु 11 से 14 वर्ष (कक्षा 6 से 8 तक)			
समस्त जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अनु. जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अनु. जन जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अन्य पिछड़ा वर्ग			
छात्र			
छात्रा			
योग			
आयु 6 से 14 वर्ष (कक्षा प्राथमिक से 8 तक)			
समस्त जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अनु. जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अनु. जन जाति			
छात्र			
छात्रा			
योग			
अन्य पिछड़ा वर्ग			
छात्र			
छात्रा			
योग			

नोट :- मैं (नाम) ..... जि.शि.अ.प्रा.शि. ..... यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सूचना में समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों व अपने कार्यालय की नामांकन सूचना संकलित एवं मेरे द्वारा परीक्षण के उपरान्त प्रेषित है। गलत पाई जाने की स्थिति में मैं व्यक्तिशः उत्तरदायी हूँगा।

जि.शि.अ. हस्ताक्षर/मोहर

नोट :- उपरोक्त प्रपत्र 2 अ व प्रपत्र 2 ब उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अपने अधीनस्थ जिलों से दिनांक 01.09.12 को पृथक-पृथक प्रपत्र संकलित कर दिनांक 04.09.12 को निदेशालय वाहक स्तर सम्बन्धित लिपिक के साथ मय सॉफ्ट कॉपी प्रेषित करेंगे।

8. कक्षा 6 व 7 के लिए नई विषयवार कालांश व्यवस्था जारी करने बाबत।

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं./शैक्षिक/एबी/3521/कालांश/2009 दिनांक : 09.05.12 • विषय : कक्षा 6 व 7 के लिए नई विषयवार कालांश व्यवस्था जारी करने बाबत। • उपर्युक्त विषयान्तर्गत कक्षा 6 व 7 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो सत्र 2012-13 से प्रारम्भ हुआ है के अन्तर्गत निम्नानुसार कालांश व्यवस्था एवं आवश्यक निर्देश इस पत्र के साथ जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पालनार्थ जारी करावें–

क्र.सं.	*जिला*	*कालांश व्यवस्था*
1.	अंग्रेजी	6
2.	हिन्दी	6
3.	संस्कृत	6
4.	गणित	6
5.	विज्ञान	6
6.	सामाजिक विज्ञान	6
7.	कार्यानुभव	2
8.	कला शिक्षा	2
9.	पुस्तकालय	1
10.	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	2
11.	निदानात्मक शिक्षण	5
	योग	48 कालांश प्रति सप्ताह

आप द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें। • ह., निदेशक।

आवश्यक निर्देश–

– एन.सी.एफ. 2005, आर.टी.ई. एवं सी.सी.ई अन्तर्गत एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों के प्रभावी शिक्षण हेतु निदानात्मक शिक्षण के लिए 5 कालांश प्रस्तावित किए हैं। ये कालांश हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान विषय शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अनुभूत कठिनाईयों के निवारण एवं उस कक्षा का स्तर प्राप्त करवाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है।

– पूर्व में राज्य में कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए पृथक-पृथक पाठ्यपुस्तकें प्रचलित थीं तथा इनके लिए 4-4 कालांश निर्धारित थे। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में इन विषयों के लिए पृथक से पुस्तक नहीं है, किन्तु एनसीएफ 2005 कला, कार्य स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पर बल देता है। अतः इनके पाठ्यक्रम अनुसार इन विषयों हेतु निर्धारित 2-2 कालांश में दी जानी प्रस्तावित है।

कार्य एवं शिक्षा– कार्यानुभव के अन्तर्गत सृजनात्मक कार्य, उत्पादक कार्य, दैनिक जीवन में उपयोगी उपकरणों का रखरखाव एवं सामुदायिक कार्यों की जानकारी दी जाए।

कला शिक्षा– सौन्दर्य बोध एवं सौन्दर्यपरक जीवन जीने की क्षमता, सृजनात्मकता, मौलिकता, अपनी संस्कृति, संगीत, लोक संगीत व लोक परम्पराओं की जानकारी, कल्पनाशीलता का विकास, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आदि से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जावे।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा– के अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक उपचार, संतुलित भोजन, योग, स्काउट/गाइड एवं खेलों से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जावे।

– एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में यथा स्थान संदर्भ पुस्तकों सन्दर्भ साहित्य के अध्ययन हेतु निर्देशित किया गया है तथा एनसीएफ 2005 भी पुस्तकालय पर बल देता है। अतः निर्धारित कालांश में विद्यार्थियों को पुस्तकालय में अध्ययन का अवसर दिया जाए।

9. विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2012-13 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत्।

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/वि.पि. वर्ग/पूमै/विज्ञप्ति/2011-12 दिनांक : 07.05.12 • विषय : विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2012-13 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत्। • राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ.1(4)शिक्षा-1/2011 दिनांक 20.05.2011, पत्रांक एफ.1(4)शिक्षा-1 दिनांक 12.07.2011 एवं 05.01.12 द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग [**1. बंजारा, बालदिया, लावाना। 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)**] के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति वितरण करने के निर्देशानुसार नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के समेकित प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्ध कार्यक्रम

क्र.सं.	*विवरण*	*निर्धारित तिथि*
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	25.07.2012
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ. कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	27.07.2012
3.	जि.शि.अ. द्वारा समेकित प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना	01.08.2012

पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार हैं–

A. आवेदन– विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु नवीन आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। यह नवीन आवेदन पत्र ही मान्य होगा एवं उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। उन्हें वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से डाउन लोड कर पर्याप्त मात्रा में फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।

B. पात्रता– 1. विशेष पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्य विशेष पिछड़ी जाति की सूची में जाति का शामिल होना अनिवार्य है। 2. छात्र/छात्राओं, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।

शिक्षा विभाग, राजस्थान

पंचांग 2012–13

राजस्थान की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2012–2013 का यह शिविरा पंचांग प्रस्तुत है। इसके अनुसार ही सत्रपर्यन्त विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह परिवर्तन सम्बन्धी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को प्रस्तुत करें। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) मांग के औचित्य की जांच करेंगे तथा उनकी अनुशंसा पर निदेशक, प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

सामान्य निर्देश :– 1. शिक्षण सत्र 2012–2013 दिनांक 01 मई, 2012 से आरम्भ है तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया एवं शिक्षण कार्य भी 01 मई 2012 से आरम्भ है, पुनः नियमित शिक्षण कार्य 1 जुलाई, 2012 से आरम्भ होगा। 2. प्रवेश की अंतिम तिथि 16 जुलाई, 2012 रहेंगी। (माध्यमिक कक्षाओं हेतु) 3. मध्यावधि अवकाश 07 से 17 नवम्बर, 2012 तक रहेगा। 4. ग्रीष्मावकाश 17 मई से 30 जून, 2013 तक रहेगा। 5. केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो/दूरदर्शन पर घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे। 6. यदि किसी कारणवश रेडियो/दूरदर्शन/लिखित आदेश द्वारा राज्य में कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाये, तो वह भी विद्यालयों में मान्य होगा। 7. यदि किसी वर्ग/कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेक्शनल/रीजनल अवकाश सरकार द्वारा घोषित किया जाये तो वह अवकाश सभी विद्यालयों मे लागू नहीं होगा। 8. शिविरा पंचांग एवं राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लिखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को ठीक मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाये।

प्रवेश :– 1. कक्षा–1 में प्रवेश के समय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार बालकों की आयु 6 वर्ष निर्धारित है। 2. निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने से प्रारम्भिक शिक्षा में छात्र/छात्राओं का प्रवेश सत्रपर्यन्त जारी रहेगा। 3. राज्य कर्मचारी/माता–पिता/ अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जावे। 4. यदि किसी परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गये परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किये जाते हैं तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के सात दिवस के भीतर प्रवेश दिया जावे। 5. सत्र 2011–12 में ड्राप आउट एवं अनामांकित बच्चों के लिए संचालित आवासीय/गैर आवासीय शिविरों के बालक–बालिकाओं को मुख्य धारा में जोड़ना सुनिश्चित करें। संस्था प्रधान प्रतिमाह इनकी ट्रेकिंग कर सूचना प्रेषित करें। 6. चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे में चिह्नित ड्रापआउट एवं अनामांकित बालक–बालिकाओं के माता–पिता/अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना, उनके विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना एवं आवश्यकतानुसार संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। 7. ड्रापआउट एवं अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात, स्कूल रैडीनेस कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा तथा इन बच्चों एवं विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक– बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेन्ट करवाया जाकर, पात्र बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क अंग–उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे एवं होमबेस्ड एज्युकेशन से जोड़े गये बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा। (प्रारम्भिक शिक्षा) 8. ऐसे बालक–बालिकाएँ, जो अनामांकित श्रेणी के हैं तथा जिन्हें कक्षा 1 से विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना है उनके लिये एक पृथक कक्षा का गठन कर उसे समय विभाग चक्र में प्रदर्शित कर कालांशवार शिक्षकों को उस कक्षा में भिजवाकर उनको संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन करवाना।

प्रार्थना सभा :– प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 20 मिनट (दो पारी विद्यालयों में विद्यालय समय के निर्देश बिन्दु एक के अनुसार) का समय निर्धारित है। जिसमें वन्दे मातरम्, प्रार्थना, श्लोक पाठ, अनमोल वचन, प्रेरक प्रसंग, देशभक्ति गीत, दैनिक समाचार, ध्यान/मौन, प्रतिज्ञा, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के विषयों पर चर्चा, राष्ट्रगान आदि कार्यक्रम आयोजित किये जावें।

विद्यालय प्रबन्धन :– विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी) द्वारा किया जायेगा। विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जायेंगी :– 1. एक मुश्त स्कूल ग्रान्ट जिसमें दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं जैसे चॉक, डस्टर, डस्टबिन, बाल्टी, लोटा, दरी पट्टी आदि क्रय की जा सकती हैं। इस राशि में से प्रतिमाह शौचालय/मूत्रालयों की साफ–सफाई हेतु 100 रु. का उपयोग कर इनका उपयुक्त रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए। 2. विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव हेतु आवश्यकता आधारित राशि निर्धारित मानदण्डानुसार प्रदान की जायेगी, जिससे विद्यालय का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। 3. प्रत्येक विद्यार्थी की शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य जाँच की जावे तथा रिकॉर्ड संधारित किया जावे।

विद्यालय समय :– एक पारी/दो पारी विद्यालयों की व्यवस्था निम्न प्रकार से रहेगी :–

एक पारी विद्यालय :– 1. 1 जुलाई, 2012 से 30 सितम्बर, 2012 तक प्रातः 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक। 2. 1 अक्टूबर, 2012 से 15 मार्च, 2013 तक प्रातः 10.30 से सायं 4.30 बजे तक। 3. 16 मार्च, 2013 से ग्रीष्मावकाश तक प्रातः 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक।

दो पारी विद्यालय :– 1. 1 जुलाई, 2012 से 30 सितम्बर, 2012 तक प्रातः 7.00 से सायं 6.00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे) 2. 1 अक्टूबर, 2012 से 28 फरवरी, 2013 तक प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घंटे) 3. 1 मार्च, 2013 से ग्रीष्मावकाश तक प्रातः 7.00 से सायं 6.00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे)

विद्यालय समय संबंधी निर्देश :– 1. दो पारियों के मध्य 10 मिनट का अन्तराल रहेगा। इस 10 मिनट की पूर्ति दोनों पारियों की प्रार्थना सभाओं में से 5–5 मिनट कम करके की जायेगी। 2. 1 जुलाई 2012 से सभी विद्यालय यथासंभव एक पारी में चलाये जायेंगे। यदि विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तो विद्यालय की परिस्थितिवश 1 जुलाई, 2012 के आगे भी दो पारी/आंशिक दो पारी में चलाना हो तो संस्था प्रधान पर्याप्त औचित्य के साथ प्रस्ताव सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) औचित्य की जांच कर संबंधित उप निदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक) से स्वीकृति प्राप्त कर ही विद्यालय को दो पारी में चलाने की स्वीकृति देंगे और सूचना निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित करेंगे। 3. दो पारी विद्यालय (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) के संस्था प्रधान का समय प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक रहेगा। वे स्वेच्छा से कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। 4. समस्त संस्था प्रधान विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अनुसार छात्र/छात्राओं को शिक्षण का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अनिवार्यतः व्यवस्था करेंगे। यह कार्यक्रम 1 जुलाई, 2012 से मार्च, 2013 तक वार्षिक परीक्षा आरम्भ होने के पूर्व तक दोपहर 2.10 बजे से 2.30 तक कार्यक्रमानुसार कार्य दिवस को प्रसारित किया जायेगा। 5. जिन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टेलीविजन सेट उपलब्ध है, वहां विद्यालय समय प्रातः 9.30 से 3.30 तक रहेगा। 6. रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जावे। यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक छात्र/छात्रा पुस्तकालय सुविधा से लाभान्वित हो। 7. कल्प हेतु चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था) में भी प्रति सप्ताह रोटेशन के आधार पर प्रति कक्षा एक कालांश का निर्धारण किया जावे। (प्रारम्भिक शिक्षा) 8. पाठ्यक्रम विभाजन पुस्तिका के अनुसार प्रारम्भिक योजना तैयार कर सभी विद्यालय में शिक्षण कार्य कराया जावे। (प्रारम्भिक शिक्षा) 9. राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक कक्षाएं एवं राजकीय प्राथमिक

शिविरा पंचांग 2012-13

जुलाई, 2012

रवि	1	8	15	22	29
सोम	2	9	16	23	30
मंगल	3	10	17	24	31
बुध	4	11	18	25	
गुरु	5	12	19	26	
शुक्र	6	13	20	27	
शनि	7	14	21	28	

अगस्त, 2012

रवि		5	12	19	26
सोम		6	13	20	27
मंगल		7	14	21	28
बुध	1	8	15	22	29
गुरु	2	9	16	23	30
शुक्र	3	10	17	24	31
शनि	4	11	18	25	

सितम्बर, 2012

रवि	30	2	9	16	23
सोम		3	10	17	24
मंगल		4	11	18	25
बुध		5	12	19	26
गुरु		6	13	20	27
शुक्र		7	14	21	28
शनि	1	8	15	22	29

अक्टूबर, 2012

रवि		7	14	21	28
सोम	1	8	15	22	29
मंगल	2	9	16	23	30
बुध	3	10	17	24	31
गुरु	4	11	18	25	
शुक्र	5	12	19	26	
शनि	6	13	20	27	

नवम्बर, 2012

रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1	8	15	22	29
शुक्र	2	9	16	23	30
शनि	3	10	17	24	

दिसम्बर, 2012

रवि	30	2	9	16	23
सोम	31	3	10	17	24
मंगल		4	11	18	25
बुध		5	12	19	26
गुरु		6	13	20	27
शुक्र		7	14	21	28
शनि	1	8	15	22	29

जुलाई 2012 ● **कार्य दिवस 26, रविवार 05, अवकाश 00, उत्सव 03 ● 1 जुलाई**– शिक्षण कार्य का पुनः प्रारम्भ एवं एक पारी विद्यालय प्रातः 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक एवं दो पारी विद्यालय प्रातः 7.00 से सायं 6.00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घन्टे) **1–7 जुलाई**– वन महोत्सव/केजीबीवी में वृक्षारोपण। **1–15 जुलाई**– प्रत्येक विद्यालय में प्रवेशोत्सव **(शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना एवं उनकी दक्षता का आकलन कर विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना)** /केजीबीवी बालिका शिक्षा सम्बलन अभियान। सर्वाधिक आउट ऑफ स्कूल वाले ग्राम पंचायत में केजीबीवी के परिचय हेतु मोटिवेशन कैम्प का आयोजन। **3 जुलाई**– गुरु पूर्णिमा (उत्सव) **3–7 जुलाई**– गत वर्ष के नामांकित बालक–बालिकाओं के ठहराव का अपडेशन कराना। **7 जुलाई**– शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम–जिला स्तरीय संयुक्त तैयारी बैठक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/पंचायती राज/शिक्षा विभाग)। **9–14 जुलाई**– अभिभावकों एवं शिक्षकों की संयुक्त बैठक का आयोजन एवं बालक–बालिकाओं का नामांकन/शैक्षिक प्रगति हेतु विचार–विमर्श (प्रारम्भिक) **10 जुलाई तक**– पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चों को ब्रेल पुस्तकों का एवं लो विजन वाले बच्चों को लार्ज प्रिन्ट की पुस्तकों का वितरण (प्रारम्भिक) **11 जुलाई**– विश्व जनसंख्या दिवस/राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस (उत्सव) **14जुलाई– शिक्षा शनिवार आयोजन एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक। 16 जुलाई**– माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि। **19 जुलाई**– शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम–ब्लॉक स्तरीय संयुक्त तैयारी बैठक, (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/पंचायती राज/शिक्षा विभाग)। **21 जुलाई**– शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य परीक्षण तैयारी बैठक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/पंचायती राज/शिक्षा विभाग के स्थानीय कार्मिकों के साथ)। **23 जुलाई**– लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जयन्ती (उत्सव)। **23–28 जुलाई के मध्य**– विद्यालय प्रबन्धन समिति की साधारण सभा की बैठक (प्रारम्भिक)। **25 जुलाई**– संस्था प्रधान द्वारा समस्त छात्रवृति योजना के बजट आवंटन हेतु प्रस्ताव एवं सूचियां संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को भेजना। ट्रांसपोर्ट एवं एस्कॉर्ट भत्ते हेतु पात्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आवेदन सम्बन्धी संस्था प्रधान द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के ब्लॉक/जिला कार्यालय को भेजने की अन्तिम तिथि। (प्रारम्भिक शिक्षा)। **28 जुलाई**– विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों की कक्षावार अद्यतन सूची प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपलब्ध कराना (प्रारम्भिक)। **मीना मंच के अन्तर्गत "हमें किताबे पसन्द हैं" कहानी का वाचन एवं समूह चर्चा। 30 जुलाई**– संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक आयोजित कर विद्यालय की शैक्षिक, सहशैक्षिक, भौतिक उन्नयन स्थिति पर विचार–विमर्श कर निर्णय लेना। **30 जुलाई**– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) द्वारा समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियां एवं बजट आवंटन के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित कर प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, को प्रेषित करना एवं शिक्षक–अभिभावक संघ की बैठक का आयोजन कराना (प्रारम्भिक)। **नोट :– 1.** 1 से 31 जुलाई तक सघन नामांकन अभियान एवं सीटीएस अद्यतन करना। **2.** समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का विद्यार्थियों के समक्ष जुलाई के अन्त तक प्रचार करना। **3.** अंतिम सप्ताह में दो दिवसीय प्रथम संस्था प्रधान वाकपीठ का आयोजन करना। **4.** विद्यालयों द्वारा वर्षा आरम्भ होते ही वृक्षारोपण का कार्य करना। **5.** विद्यालयों द्वारा विषयवार टीएलएम चिह्निकरण करना। **6.** प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना। **7. जिले द्वारा विद्यालयों को अनुदान राशि हस्तान्तरित करना। 8.** 1 से 15 जुलाई के मध्य– प्रीपरेटरी कैम्प (केजीबीवी), **एमसीएस स्तर पर** माँ–बेटी सम्मेलन (एनपीईजीईएल)। **9.** विद्यालय प्रबन्धन समिति के खाता संख्या का नोडल प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणीकरण। **10.** मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान हेतु विद्यालयों द्वारा प्रस्ताव ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित करना। **11.** केआरपी प्रशिक्षण (6 दिवसीय), कम्प्यूटर प्रशिक्षण, बीईईओ व एबीईईओ, इंडेक्शन, शिक्षा सहयोगी एवं डी–वर्मिंग प्रशिक्षण। **12. 1 से 31 जुलाई के मध्य विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की सूची का अपडेशन किया जाना। 13. 1 से 31 जुलाई के मध्य 'पढवा का हेलो'' गतिविधि का आयोजन (कला जत्थों के माध्यम से), मीना मंच के अन्तर्गत प्रवेशोत्सव मनाना, घर–घर जाना गतिविधि का आयोजन, दूसरे व चौथे शनिवार को उपस्थिति चार्ट का निर्माण करना।**

अगस्त, 2012 ● **कार्य दिवस 23, रविवार 04, अवकाश 04, उत्सव 03 ● 1 अगस्त से– 15 सितम्बर**– विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच एवं अभिलेख संधारण, सामुदायिक मुखियाओं की एक दिवसीय कार्यशाला (एससी/एसटी/अल्पसंख्यक) का आयोजन। **02 अगस्त**– रक्षा बन्धन (अवकाश), संस्कृत दिवस (उत्सव) **7 अगस्त– बालिका शिक्षा (नवाचार) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापिका मंच की प्रथम बैठक का आयोजन। 06 से 10 अगस्त– प्रत्येक विद्यालय में बाल संसद का गठन। 10 अगस्त**– जन्माष्टमी (अवकाश–उत्सव)। **11 अगस्त**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर पूर्व तैयारी। **मीना मंच के अन्तर्गत कहानी "अन्धेरे में देखना'' वाचन एवं समूह चर्चा। 13 अगस्त**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर आयोजन। **15 अगस्त**– स्वतन्त्रता दिवस (अवकाश–उत्सव अनिवार्य), **केजीबीवी में कक्षा 8 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एससी/एसटी** बालिकाओं को अवार्ड का वितरण **17 अगस्त**– इस दिनांक से पूर्व प्रथम/द्वितीय/तृतीय समूह (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक) कक्षावार, दलवार खेलकूद प्रतियोगिता एवं नेहरू हॉकी का आयोजन (15 वर्ष छात्र) **18–19 अगस्त**– जिला स्तरीय नेहरु हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन (15 वर्ष छात्र), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता के लिए तहसील स्तर पर पूर्व तैयारी। **20 अगस्त**– ईदुलफितर (अवकाश चन्द्रदर्शनानुसार) **21–23 अगस्त**– प्रथम परख (सभी कक्षाओं के लिए) **25 अगस्त**– डाइस हेतु संकुल/ब्लॉकवार विद्यालयों की सूची तैयार करना (प्रारम्भिक) **मीना मंच के अन्तर्गत '' लड़कियों की वापसी'' कहानी पर चर्चा। 25–31 अगस्त– एनपीईजीईएल के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर ''आओ देखो सीखो'' प्रतियोगिता का आयोजन। 27–28 अगस्त**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की तहसील स्तर पर सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन। **27–29 अगस्त**– राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता। **29 अगस्त**– ध्यानचन्द जयन्ती पर विद्यालयों द्वारा खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना। **31 अगस्त**– श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार–2012 के लिए राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) को आवेदन करना। अभिभावकों एवं शिक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर प्रथम परख के प्रगति–पत्र विद्यार्थियों/अभिभावकों को वितरण एवं शैक्षिक प्रगति हेतु विचार विमर्श। **नोट :–** प्रा. शिक्षा 1.कक्षा–शिक्षण की समेकित आवश्यकता के आधार पर टी.एल.एम. का क्रय **2. लहर (तीन दिवसीय), इंडेक्शन, समावेशित शिक्षा, एसएमसी, कम्प्यूटर, ई–कन्टेंट व स्वेस प्रशिक्षण। 3.** कक्षा–शिक्षण प्रक्रिया सम्बलन के लिए अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का अवलोकन **4.** टीएलएम/एसएफजी/एमआर वितरण की कार्ययोजना एवं राशि हस्तान्तरण। **5.** प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना। **6.** केजीबीवी शैक्षिक भ्रमण 22 अगस्त से 31 अगस्त 2011 के मध्य ।

सितम्बर, 2012 ● **कार्य दिवस 24, रविवार 05, अवकाश 01, उत्सव 05 ● 1–7 सितम्बर– एनपीईजीईएल के अन्तर्गत मॉडल कलस्टर स्तर पर ''आओ देखो सीखो'' प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का आयोजन। 1 सितम्बर से 9 सितम्बर**– प्रथम एवं द्वितीय समूह (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (अधिकतम चार दिवस), केजीबीवी जिला स्तरीय प्रतियोगिता। **4 – 5 सितम्बर**– विज्ञान एवं जनसंख्या व विकास शिक्षा मेला (विद्यालय स्तर)। **5 सितम्बर**– शिक्षक दिवस (उत्सव), राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झंडियों की बिक्री का शुभारम्भ। **7–8 सितम्बर**– जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन (शिक्षकों के लिए अवकाश) **8 सितम्बर**– विश्व साक्षरता दिवस (उत्सव), **मीना मंच के अन्तर्गत मीना दिवस कैसे मनावें पर चर्चा व प्रतियोगिताओं का आयोजन।** 8–11 सितम्बर– **एनपीईजीईएल के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर ''आओ देखो सीखो'' प्रतियोगिता का आयोजन। 12 सितम्बर– डी–वर्मिंग डे। विद्यार्थियों को डी वर्मिंग की दवा दिया जाना एवं स्वच्छता उत्सव का प्रारम्भ। 13–18 सितम्बर**– प्रथम समूह राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन (प्रारम्भिक/माध्यमिक)। **13–15 सितम्बर**– प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता साथ में निःशक्त विद्यार्थियों हेतु खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन (प्रारम्भिक)। **14 सितम्बर**– हिन्दी दिवस (उत्सव)। **15 सितम्बर**– श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार–2012 के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) द्वारा मण्डल अधिकारी को प्रेषित करना। **17–19 सितम्बर**– निःशक्त विद्यार्थियों की सामान्य विद्यार्थियों के साथ–साथ जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (प्रारम्भिक)। **18 – 21 सितम्बर**– विज्ञान एवं जनसंख्या व विकास शिक्षा मेला (जिला स्तर)। **19– 20 सितम्बर**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर पूर्व तैयारी। **21 – 26 सितम्बर**– द्वितीय समूह राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक)। **22 सितम्बर**– किशोर जागृति दिवस (उत्सव), **शिक्षा शनिवार आयोजन एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक, मीना मंच के अन्तर्गत प्रथम मौहल्ला बैठक का आयोजन करना। 24 सितम्बर**– राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस (जिन विद्यालयों में यह योजना संचालित है), **मीना मंच के अन्तर्गत ''मीना दिवस'' का आयोजन एवं बैठकों का आयोजन करना। 24–30 सितम्बर– एनपीईजीईएल के अन्तर्गत जिला स्तर पर ''आओ देखो सीखो'' प्रतियोगिता का आयोजन। 25 सितम्बर**– रामदेव जयन्ती/तेजादशमी (अवकाश–उत्सव)। **26–27 सितम्बर**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का जिला स्तर पर आयोजन। **29, सितम्बर से 1 अक्टूबर**– प्राथमिक विद्यालय जिला स्तर खेलकूद प्रतियोगिता। **29 सितम्बर**– राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत झंडियों की बिक्री से प्राप्त राशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से बनाकर प्रेषित करना एवं श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार 2012 के प्रस्तावों की समीक्षा कर मण्डल अधिकारी द्वारा आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा को भेजना। इस तिथि तक निःशक्त विद्यार्थियों की वैयक्तिक शिक्षा योजना भिजवाना, निःशक्त विद्यार्थियों को उपकरणों का वितरण, फंक्शनल एसेसमेन्ट कैम्पों का आयोजन, चिह्नित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सूची को अंतिम रूप देना एवं प्रेषण (प्रारम्भिक शिक्षा), **विद्यालय में अध्ययनरत ऐसे बालक–बालिकाओं का चिह्निकरण करना, जो अपने माता–पिता के साथ आजीविका हेतु पलायन करते हैं एवं उनके लिये माइग्रेटरी छात्रावास के प्रस्ताव तैयार करना एवं उन्हें प्रारम्भ कराना। 30 सितम्बर– डाइस प्रपत्र भरने की आधार तिथि। 30 सितम्बर से – 03 अक्टूबर**– तृतीय समूह जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (माध्यमिक/प्रारम्भिक)। **नोट :–** प्रा. शिक्षा **1.** समस्त छात्रवृत्तियों के लिए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त बजट की मांग एवं ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृति योजना के नवीनीकरण के शेष प्रस्तावों को सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रेषित करना एवं भामाशाह योजना का त्रैमासिक प्रतिवेदन निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को प्रेषित करना। **2.** सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करना। **3.** कम्प्यूटर, प्रधानाध्यापक (प्रावि), लहर, ई–कन्टेंट प्रशिक्षण। **4.** शिक्षक टीएलएम क्रय एवं कच्ची सामग्री से टीएलएम का निर्माण करना। **5.** प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना। **6.** कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के सम्बलन के लिए अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का अवलोकन करना। **7.** केजीबीवी में अन्तर जिला पैनल निरीक्षण दिनांक 15 से 30 सितम्बर। **विशेष नोट– 12 सितम्बर को डी–वर्मिंग डे निर्धारित किये जाने के कारण अन्य कोई गतिविधि इस दिवस को नहीं रखी जावे। जिससे डी–वर्मिंग की दवा सभी बच्चों को दी जा सके।**

अक्टूबर, 2012 ● **कार्य दिवस 23, रविवार 04, अवकाश 04, उत्सव 02 ● 1 अक्टूबर**– समय परिवर्तन, एक पारी विद्यालय 10.30 से 4.30 तक एवं दो पारी विद्यालय प्रातः 7.30 से सायं 5.30 तक (प्रत्येक पारी 5 घन्टे)। **1 – 15 अक्टूबर**– डाइस के प्रपत्रों का भरा जाना (प्रारम्भिक)। **2 अक्टूबर**– गाँधी जयंती व शास्त्री जयंती (उत्सव), मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, अप्रेल से सितम्बर तक की छात्रवृति का वितरण। **9 अक्टूबर– बालिका शिक्षा (नवाचारी) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत ''अध्यापिका मंच'' की द्वितीय बैठक का आयोजन। 10 अक्टूबर**– राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी सम्मान समारोह (निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर)। **13 अक्टूबर– मीना मंच के अन्तर्गत अन्य मीना मंचो से मुलाकात एवं ''मीना एवं उसका दोस्त'' कहानी पर चर्चा। 10–15 अक्टूबर**– तृतीय समूह राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (माध्यमिक/प्रारम्भिक), केजीबीवी राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता। **15 अक्टूबर**– विश्व हाथ धुलाई दिवस का विद्यालयों में आयोजन। **16 अक्टूबर**– नवरात्रि स्थापना (अवकाश)। **17–18 अक्टूबर**– जिला स्तरीय जीवन कौशल विकास बाल मेले के आयोजन। **18–20 अक्टूबर**– द्वितीय परख (सभी कक्षाओं के लिए), गृह कार्य का प्रथम मूल्यांकन, (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु)। **22 अक्टूबर**– दुर्गाष्टमी (अवकाश) **24 अक्टूबर**– विजया दशमी (अवकाश) एवं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस (उत्सव) **25–31 अक्टूबर– एनपीईजीईएल के अन्तर्गत राज्य स्तर पर ''आओ देखो सीखो'' प्रतियोगिता का आयोजन। 27 अक्टूबर**– ईदुल जुहा (अवकाश चन्द्रदर्शनानुसार) **31 अक्टूबर**– इन्दिरा गांधी पुण्य तिथि (संकल्प दिवस), अभिभावकों/शिक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर द्वितीय परख के प्रगति पत्र विद्यार्थियों/अभिभावकों को वितरण एवं शैक्षिक प्रगति हेतु विचार विमर्श। समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए अतिरिक्त बजट की मांग के प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक/आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करना एवं संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर विद्यालय के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक भौतिक उन्नयन पर विचार–विमर्श कर निर्णय लेना। शिक्षक–अभिभावक संघ की बैठक आयोजित करना एवं विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना। **नोट :– 1.** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदत पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति के लिए जिला मुख्यालय पर चयन। चयन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) से प्राप्त करना, कक्षाध्यापकों द्वारा योजना का प्रचार–प्रसार करना, विद्यार्थियों के आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को 30 नवम्बर तक प्रस्तुत करना। **2.** सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन। (प्रारम्भिक) **3.** कम्प्यूटर, ई–कन्टेंट एवं प्रधानाध्यापक (प्रावि) प्रशिक्षण। **4.** टीएलएम सामग्री से शिक्षकों द्वारा टीएलएम का निर्माण। (प्रारम्भिक) **5.** प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना। **6.** अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं की मध्यावधि अवकाश के दौरान एक्सपोजर विजिट।

नवम्बर, 2012 ● **कार्य दिवस 15, रविवार 04, अवकाश 11, उत्सव 04 ● 1 नवम्बर**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तर पर आयोजन प्रस्तावित। **3 नवम्बर– शिक्षा शनिवार आयोजन एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक। 7 –17 नवम्बर**– मध्यावधि अवकाश। **10 नवम्बर– मीना मंच के अन्तर्गत द्वितीय मौहल्ला बैठक का आयोजन करना। 11 नवम्बर**– राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (उत्सव) **। 13 नवम्बर**– दीपावली (अवकाश)। **14 नवम्बर**– गोवर्धन पूजा (अवकाश) एवं बाल दिवस (उत्सव), विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु पीयर सेन्सटाईजेशन हेतु गतिविधियों का आयोजन। **एनपीईजीईएल के अन्तर्गत श्रेष्ठ बालिकाओं को पुरस्कृत करना। (बाल दिवस के आयोजन के साथ)। 15 नवम्बर**– भैया दूज अवकाश। **19–25 नवम्बर**– कौमी एकता सप्ताह का आयोजन। **20–24 नवम्बर**– विज्ञान एवं जनसंख्या व विकास शिक्षा मेला(राज्य स्तर)। **23–24 नवम्बर**– शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु तहसील स्तर पर चयन। **24 नवम्बर– मीना मंच के अन्तर्गत ''बदल गया है जीवन'' कहानी का वाचन एवं चर्चा। 25 नवम्बर**– मौहर्रम (अवकाश), कालीदास जयन्ती (उत्सव)। **26–27 नवम्बर**– राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन (शिक्षकों के लिए अवकाश)। **28–नवम्बर**– गुरुनानक जयन्ती (अवकाश–उत्सव)। **29–30 नवम्बर**– शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु जिला स्तर पर चयन। **30 नवम्बर**– शिक्षक टीएलएम, विद्यालय सुविधा अनुदान एवं मरम्मत व रखरखाव अनुदान के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का प्रेषण (प्रारम्भिक)। **नोटः–** 1. विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता/एस.यू.पी.डब्ल्यू शिविर/वार्षिक उत्सव 30 नवम्बर, तक अनिवार्यतः सम्पन्न किये जावें। **2.** विद्यालय सौदर्यकरण में मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान का उपयोग सुनिश्चित करना। (प्रारम्भिक)। **3.** प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना। **4. कम्प्यूटर, ई–कन्टेंट प्रशिक्षण। 5.** द्वितीय/तृतीय रविवार NTSE (प्रथम स्तर) व NMMS राज्य स्तरीय परीक्षा का आयोजन। **6. मध्यावधि अवकाश के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु एक्सपोजर विजिट का आयोजन।**

दिसम्बर, 2012 ● **कार्य दिवस 20, रविवार 05, अवकाश 06, उत्सव 02 ● 1 दिसम्बर**– विश्व एड्स दिवस एवं विश्व एकता दिवस (उत्सव)। **1–2 दिसम्बर– विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता। 1 – 10 दिसम्बर**– ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन (प्रारम्भिक)। **03 दिसम्बर**– विश्व विंकंगांगता दिवस का आयोजन (समावेशित शिक्षा के उन्नयन हेतु)। **10 दिसम्बर**– मानव अधिकार दिवस (उत्सव) **। 12 –24 दिसम्बर**– अर्द्धवार्षिक परीक्षा (सभी कक्षाओं के लिए)। **13 –14 दिसम्बर**– राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु जिला स्तर पर चयन। **14 –21 दिसम्बर**– राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन। **18 –19 दिसम्बर**– राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर चयन एवं दल गठन। **19 दिसम्बर**– भामाशाह योजना का अर्द्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करना। **21 –25 दिसम्बर**– राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर। **25 –26 दिसम्बर**– राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। **25 –31 दिसम्बर**– शीतकालीन अवकाश (25 दिसम्बर को क्रिसमस अवकाश सहित) नव नियुक्त शिक्षकों हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन। राज्य कर्मचारियों के हितकारी निधि के वार्षिक अंशदान को दिसम्बर के वेतन से निर्धारित दर पर कटौती की कार्यवाही करना। **27 –29 दिसम्बर**– राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता। **27 –30 दिसम्बर**– राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को अंग–उपकरण का वितरण। **नोट :–** माह में कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं विषय आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे, **प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण (उप्रावि)।**

जनवरी, 2013 ● **कार्य दिवस 24, रविवार 04, अवकाश 03, उत्सव 05 ● 4 जनवरी– जिला मुख्यालय पर लूई ब्रेल जयंती का आयोजन। 8 जनवरी– बालिका शिक्षा (नवाचारी) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत ''अध्यापिका मंच'' की तृतीय बैठक का आयोजन। 12 जनवरी**– स्वामी विवेकानन्द जयन्ती (राष्ट्रीय युवा दिवस उत्सव), केरियर डे का आयोजन (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय), **मीना मंच के अन्तर्गत ''तृतीय मौहल्ला बैठक'' एवं ''दादी–नानी दिवस'' का आयोजन। 14 जनवरी**– मकर सक्रांन्ति (उत्सव)। **14 –31 जनवरी**– जीवजन्तु संरक्षण पखवाड़े का आयोजन। **18 जनवरी**– गुरु गोविन्द सिंह जयंती (अवकाश–उत्सव)। **19 जनवरी**– महाराणा प्रताप पुण्य तिथि, अभिभावकों एवं शिक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के प्रगति पत्रों का वितरण एवं शैक्षिक प्रगति हेतु विचार–विमर्श, **शिक्षा शनिवार आयोजन एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक। 20 –22 जनवरी**– विद्यार्थियों की द्वितीय स्वास्थ्य जांच एवं अभिलेख संधारण। **23 जनवरी**– सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती, देश प्रेम दिवस (उत्सव)। **24 जनवरी**– बालिका दिवस। **25 जनवरी**– बाराबफात (अवकाश चन्द्रदर्शनानुसार)। **26 जनवरी**– गणतंत्र दिवस (अवकाश–उत्सव अनिवार्य), एनपीईजीईएल अन्तर्गत श्रेष्ठ विद्यालय/शिक्षक को पुरस्कार, डाइस स्कूल रिपोर्ट कार्ड का जनवाचन। **30 जनवरी**– शहीद दिवस (प्रातः 11.00 बजे दो मिनट का मौन), संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर परीक्षा परिणाम उन्नयन की कार्य योजना बनाना। **नोट :– 1.** कम्प्यूटर, **राज्य व जिला स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। 2.** प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना।

फरवरी, 2013 ● **कार्य दिवस 24, रविवार 04, अवकाश 00, उत्सव 02 ● 1–15 फरवरी– मीना मंच के अन्तर्गत मीना सुगमकर्ता, मीना प्रेरक एवं अन्य सदस्यों द्वारा सभी गतिविधियों का मूल्यांकन। 4 – 6 फरवरी**– तृतीय परख कक्षा 9 से 12 तक, गृह कार्य का द्वितीय मूल्यांकन (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु) **। 9 फरवरी**– अभिभावकों एवं शिक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर तृतीय परख के प्रगति पत्र का विद्यार्थियों/अभिभावकों को वितरण एवं शैक्षिक प्रगति हेतु विचार–विमर्श, **शिक्षा शनिवार आयोजन एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक। 11 –14 फरवरी**– जीवन कौशल विकास बाल मेला (राज्य स्तर)। **14 फरवरी**– बसन्त पंचमी एवं सरस्वती जयन्ती (उत्सव), गार्गी पुरस्कार समारोह। **28 फरवरी**– राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (उत्सव)। **नोट :– 1.** तृतीय सप्ताह में दो दिवसीय द्वितीय संस्था प्रधान वाकपीठ का आयोजन। **2.** कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में सम्बलन के लिए अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का अवलोकन करना। (प्रारम्भिक)। **3.** माह के अन्त में निर्माण कार्यों व अन्य गतिविधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करना। (प्रारम्भिक)। **4. राज्य व जिला स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। 5.** प्रत

विद्यालय/प्राथमिक कक्षाएं निम्नलिखित व्यवस्थानुसार संचालित की जावे :–

1.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 11 एवं 12 द्वितीय पारी कक्षा 9 एवं 10
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8
3.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8
4.	माध्यमिक विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय सहित)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 6 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 5

कक्षा शिक्षण (प्रारम्भिक शिक्षा) :– **1. (अ)** राज्य के सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विज्ञान एवं गणित की एक–एक किट उपलब्ध कराई गई है। इन विषयों के विषयाध्यापक कक्षा शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बनाने हेतु उपलब्ध किटों का उपयोग सुनिश्चित करें। **(ब)** कक्षा 1 एवं 2 हेतु अंग्रेजी व गणित, कक्षा 3 हेतु अंग्रेजी, गणित व पर्यावरण–अध्ययन, कक्षा 4 एवं 5 हेतु अंग्रेजी, गणित व विज्ञान तथा कक्षा 8 की गणित विषय की निःशुल्क कार्यपुस्तकें (Workbooks) उपलब्ध करवाई गई हैं। संस्था प्रधान एवं शिक्षक कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने में प्रत्येक पाठ के पश्चात् कार्यपुस्तिकाओं में विद्यार्थियों से अभ्यास कार्य करावें एवं विषयाध्यापक द्वारा किये गये कार्य की जाँच करना सुनिश्चित किया जाये। अत्यन्त आवश्यक होने पर ही पृथक नोट बुक का उपयोग किया जाये। **2.** कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कराने वाले शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण 1 मई 2012 से 31 मार्च 2013 तक आयोजित होंगे। कम्प्यूटर के लिए 10 एवं 12 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। कुछ प्रशिक्षण 1 या 2 दिवसीय भी होंगे। प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण 15 अप्रैल 2012 के बाद प्रारम्भ किए जायेंगे। कुछ विशिष्ट प्रकार के एक दिवसीय प्रशिक्षण एज्यूसेट के माध्यम से दिये जायेंगे, एज्यूसेट सुविधा प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ को छोड़कर सभी डाइट में तथा ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध है। राजीव गांधी एज्यूसेट कार्यक्रम, संबंधित जिलों सीकर, जयपुर, बून्दी, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं भरतपुर के चुने हुए विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु विषयवार प्रसारित होंगे। सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक विद्यार्थियों एवं शनिवार को शिक्षकों हेतु प्रातः 10.30 से 12.35 तक उक्त कार्यक्रम प्रसारित होंगे। **3.** चयनित शिक्षकों को कम्प्यूटर आधारित विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षित शिक्षक कल्प विद्यालयों में 6, 7 एवं 8 वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी की कठिन पाठ्य वस्तु के आधार पर उपलब्ध मल्टीमीडिया आधारित ई–कन्टेन्ट सीडीज एवं कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान करवायेंगे। **4.** रेडियो संवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के अंग्रेजी भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाया जावे। रेडियो लर्निंग कार्यक्रम कक्षा 1 से 4 के लिए सत्र 2008–09 से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयावधि में अंग्रेजी विषय का शिक्षण कराया जावे। **5.** सत्र 2010–11 तक 6650 राजकीय विद्यालयों की उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कल्प कार्यक्रम संचालित है। इन विद्यालयों में एसएसए द्वारा उपलब्ध करायी गई उक्त ई–कन्टेन्ट सीडीज को शिक्षण में काम में लेने हेतु 6 से 8 के लिए विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों में प्रति सप्ताह एक कालांश तय किया जावे। कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों एवं एन.पी.ई.जी.ई.एल. के मॉडल कलस्टर विद्यालयों में भी कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गये है। उक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर की सहायता से विद्यार्थी आवश्यक रूप से अध्ययन करें। ऐसी व्यवस्था की जाए। **6.** लहर चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 शिक्षण का दायित्व लहर प्रशिक्षित शिक्षकों को ही दिया जावे। इन विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 के लिए विशेष कक्षा कक्ष निर्माण, अतिरिक्त शिक्षण अधिगम सामग्री एवं शिक्षण किट का रखरखाव एवं प्रतिदिन प्रयोग सुनिश्चित किया जावेगा। इन विद्यालयों में समय विभाग–चक्र का निर्धारण इस प्रकार किया जावे कि प्रतिदिन दो विषयों का बारी–बारी से अधिगम कार्य कराया जा सके। **7.** लहर शिक्षक/शिक्षिकाओं की एक दिवसीय मासिक समीक्षा एवं नियोजन बैठक होगी। **8.** कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में समस्त नवप्रवेशी बालिकाओं को संघनित पाठ्यक्रम (Condensed Course) के माध्यम से आरम्भिक शिक्षण कार्य कराया जावे।

सहशैक्षिक गतिविधियां :– **1.** समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन प्रसारित आदेशों के अनुसार किया जावे। **2.** कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जावे। बाल सभा एवं उत्सव आयोजन के अवसर पर स्कूल द्वारा स्थानीय क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों जो उसी विद्यालय से पढ़कर महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित है, को बुलाकर उनसे संबोधन कराया जावे। ● शिक्षा शनिवार, निर्धारित शनिवार को आवश्यक रूप से मनाया जाये। इसके अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक होगी, विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति पर विचार–विमर्श होगा एवं बालसभा आयोजित की जायेगी। ● सभी विद्यालय वार्षिक उत्सव 30 नवम्बर, 2012 तक मनायेंगे। विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएं/एसयूपीडब्ल्यू शिविर/वार्षिक उत्सव सहित अन्य गतिविधियां यथा उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले संस्था प्रधान/शिक्षक एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में 30 नवम्बर, 2012 तक वार्षिक उत्सव नहीं मनाया जा सके तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर बाद में भी मनाया जा सकता है। इसके बाद मात्र उच्चतम कक्षाओं के संक्षिप्त विदाई समारोह आयोजित किये जावे। **3.** नेशनल प्रोग्राम फॉर एज्युकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलीमेन्टरी लेवल (NPEGEL) के अन्तर्गत मां–बेटी सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक चयनित मॉडल कलस्टर स्कूल पर बालिकाओं के व्यावसायिक कौशल विकास हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई कार्य प्रशिक्षण एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जावेगा। शिक्षकों को जेण्डर संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जायेगा। **4.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृत्तियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा। **5.** प्रत्येक राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक–अभिभावक संघ की बैठक माह के अंतिम कार्य दिवस को प्रातः 9.00 से 10.00 बजे तक आयोजित की जावे। **6.** प्रत्येक राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक–अभिभावक संघ की त्रैमासिक बैठक उक्तानुसार आयोजित की जावे। **7.** सितम्बर 2012 व मार्च 2013 में विद्यार्थियों को डी–वर्मिंग की खुराक दी जाये।

शिक्षण तंत्र का प्रबोधन एवं प्रबन्धन (प्रारम्भिक शिक्षा) :– जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर जिले के राजकीय/केन्द्रीय/निजी आदि समस्त विद्यालयों जिनमें कक्षा 1–8 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएं यथा विद्यार्थियों/शिक्षकों/विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जावे। सभी शिक्षक/संस्था प्रधान डाइस सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें।

उत्सव एवं अवकाश :– **1.** प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यतः मनाये जावे। **2.** उत्सव के दिन रविवार/स्वीकृत अवकाश हो तो उसे एक दिन पहले/बाद में मनाया जावे। **3.** उत्सव के दिन निर्धारित आठ कालांश में शिक्षण कार्य हो एवं प्रत्येक कालांश में से 5–5 मिनट घटाकर शेष रहे समय में उत्सव मनाया जावे। **4.** 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे। **5.** प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में दो दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिनमें से एक दीपावली से पहले एवं दूसरा दीपावली के बाद किया जावे। संस्था प्रधान इसकी सूचना 31 जुलाई, 2012 से पूर्व नियन्त्रण अधिकारी को भेजें। अवकाश हेतु दिवसों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि महत्वपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम अप्रभावित रहें। **6.** जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश सम्बन्धित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे।

जांच एवं परीक्षा :– **1.** समस्त कक्षाओं की परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएं (कक्षा 10 एवं 12 को छोड़कर) इस पंचांग के अनुसार सम्पन्न की जावे तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 30 अप्रैल, 2013 तक किया जावे। **2.** सभी स्तर के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः एक तथा दो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख तथा व्यवस्था संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार अथवा अन्य राजपत्रित अवकाश छोड़कर किया जावे। **3.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। प्रथम सात दिवस में विद्यार्थियों हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन इस ढंग से किया जावे कि उनकी परीक्षा में अधिकतम शैक्षिक उपलब्धि हो। **4.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालय में परीक्षा के समय कक्षा 1 से 8, 9 एवं 11 के लिए अध्यापन कार्य की समायवधि दोपहर 12.00 से 2.30 बजे तक रहेगी। **5.** राज्य में 12000 विद्यालयों में लहर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है सत्र 2012–13 में उक्त 12000 लहर संचालित विद्यालयों में से 3077 विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 5 तक संचालित होगा। अतः उक्त विद्यालयों में पारम्परिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा।

पूरक परीक्षा :– माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन 07 से 10 मई, 2013 तक पूर्ण कर लिया जावे। परीक्षा परीणाम 14 मई, 2013 तक घोषित कर प्रगति पत्र वितरण कर दिये जावें।

© सर्वाधिकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पास सुरक्षित है।

3. छात्र/छात्राओं के माता-पिता जीवित हों, या उनके जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 1,44,000 (एक लाख चौवालीस हजार) रुपये की सीमा तक हो तथा उन्हें तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 5. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा। 6. छात्रवृत्ति दरें निम्नानुसार हैं–

क्र.सं.	*वर्ग*	*कक्षा*	*दरें (10 माह हेतु)*
1.	छात्र	6 से 8	40/- प्र. माह
2.	छात्रा	6 से 8	75/- प्र. माह
3.	छात्र	9 से 10	50/- प्र. माह
4.	छात्रा	9 से 10	100/- प्र. माह

C. संलग्न दस्तावेज– आवेदन पत्र के साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों की मूल/सत्यापित फोटो प्रतियाँ ही मान्य होंगी। 1. आय प्रमाण-पत्र (मूल), 2. जाति प्रमाण-पत्र, 3. परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित छायाप्रति।

D. आपके कार्यालय में शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राप्ति रजिस्टर संधारण किया जावे। रजिस्टर में प्रविष्ट का क्रमांक एवं आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किया जावे। आवेदन पत्र की गहनता से जाँच की जाए एवं जाँच से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही की जाए। छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्र 'अ' में कार्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखे जावें।

ऊपर अंकित पात्रता मानदण्डों, निर्देशों एवं शर्तों का गहनता से अध्ययन कर तत्काल अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए छात्र/छात्राओं के आवेदन प्राप्त कर आपके जिले के समेकित प्रस्ताव प्रपत्र 'ब' में मय प्रमाण-पत्र के हार्ड कॉपी सहित वाहक स्तर पर दिनांक 01.08.2012 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाएँगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न :- प्रपत्र 'अ' व 'ब', आवेदन पत्र। • ह., निदेशक • क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प./द/वि.पि.व./पूमै/विज्ञप्ति/2011-12 दिनांक : 07.05.12

प्रपत्र-अ
(विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति की सूचियाँ जि.शि.अ. कार्यालय रिकार्ड में संधारित रखने का प्रपत्र)

क्र.सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जाएँ)	माता/पिता/ संरक्षक की वार्षिक आय	विशेष पिछड़ा वर्ग में जाति

प्रपत्र-ब
(मांग राशि के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र)

क्र.सं.	जिला	कक्षा 6 से 8			चाही गई राशि	कक्षा 9 से 10			चाही गई राशि	कुल मांग (कॉलम 6 व 10 का योग)
		छात्र	छात्रा	योग		छात्र	छात्रा	योग		

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना में वर्णित शर्तों के अनुसार ही पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं कोई भी पात्र छात्र/छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

हस्ताक्षर जि.शि.अ. (माध्य.)

राजस्थान सरकार

विशेष पिछड़ा वर्ग (बंजारा, बालदिया, लबाना/गाडिया लोहार, गाडोलिया/गुजर, गुर्जर/राईका, रेबारी, देबासी)

आवेदन-पत्र

(नवीन (फ्रेस) छात्रवृत्ति हेतु सन् 20.....–20.....)

1. छात्र/छात्रा का नाम .....
2. जाति ..... उपजाति.....
3. पिता का नाम व व्यवसाय .....

आवेदक अपना नवीन फोटो चिपकाएं

4. परिवार की कुल वार्षिक आय .....
5. प्रार्थी का निवास स्थान ..... ग्राम ..... पोस्ट ..... तहसील .....
6. वर्तमान स्कूल का विवरण जहाँ छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।
   (अ) शाला का नाम ..... स्थान .....
   (ब) पोस्ट ऑफिस ..... तहसील ..... जिला .....
7. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि .....
8. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ

है– स्कूल का नाम ..... स्थान .....

9. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है .....

10. परीक्षा फल ..... उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण .....

गत परीक्षा में अंकों का विवरण

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

कक्षा में स्थान ..... श्रेणी ..... योग ..... प्राप्तांक .....

11. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हाँ तो –

(अ) कहाँ से मिलती है .....

(ब) कितनी मिलती है .....

(स) दर .....

(द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त .....

माता-पिता/संरक्षक और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि– योजना सम्बन्धी सभी नियमों/निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा प्रदत्त तथ्यों (संलग्न दस्तावेजों) में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर **छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर**

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
2. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
3. छात्र/छात्रा समाज कल्याण विभाग या राजकीय या स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
(मोहर सहित)

सम्बन्धित सरपंच, पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूँ कि छात्र/छात्रा की जाति ..... है जो विशेष पिछड़ी जाति की गणना में आती है।

हस्ताक्षर
पद (मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को ..... रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह ..... से तक की छात्रवृत्ति के कुल ..... रुपये स्वीकृत किये जाते हैं।

हस्ताक्षर स्वीकृति अधिकारी
पद (मय सील सहित)

नोट :- जाति के कॉलम नं. 2 बंजारा, बालदिया, लबाना/गाडिया लोहार, गाडोलिया/गुजर, गुर्जर/राईका, रेबारी, देबासी आदि लिखना अत्यन्त आवश्यक है।

10. 2008-09 एवं 2009-10 में मा. स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन आहरण हेतु अधिकृति के सम्बन्ध में

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/माध्य/बजट/बी-4/25577/2012-13/ दिनांक : 05.06.12 • विषय : 2008-09 एवं 2009-10 में मा. स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन आहरण हेतु अधिकृति के सम्बन्ध में। • प्रसंग : इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 13.04.2012 • उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा नवक्रमोन्नत विद्यालयों में जहाँ प्रधानाध्यापक का पदस्थापन नहीं होने/अन्य किसी अधिकारी को 03 का पावर के आहरण वितरण का अधिकार नहीं दिये जा सकने के कारण विद्यालयों में DDO Code, T. Code की मैपिंग IFMS में नहीं होने के कारण Plan/Non Plan के विभिन्न लेखा मदों में विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों के वेतन आहरण हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को विद्यालयों की सूची सहित 01 संवेतन में बजट आवंटन जारी किया गया था।

प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी बजट आवंटन के सम्बन्ध में आप द्वारा किन-किन विद्यालयों के कार्मिकों हेतु वेतन आहरण किया गया है एवं शेष वित्तीय वर्ष हेतु पूर्व में संलग्न सूची के विद्यालयों हेतु किन-किन लेखामदों में 01 संवेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजट मदवार अलग-अलग माँग पत्र 3 दिवस में इस कार्यालय में Gmail Address : nutanharshaao@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी कार्मिक का वेतन बकाया न रहे। **इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।** • ह., मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

11. लुप्त/अप्राप्त कटौतियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु

• कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर • क्रमांक : एफ.1/व्य.एवं प./पीएफ/305-365 दिनांक : 23.05.2012 • कार्यालय निर्देश 1/2012-13 • सामान्य प्रावधायी निधि योजना में अंशदाता/मनोनीत को अंतिम भुगतान करते समय उसकी लुप्त कटौतियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु आपको सम संख्यक पत्रांक 496 से 545 दिनांक 7.7.2006 के द्वारा निर्देशित किया गया था, लेकिन यह ध्यान में आया है कि अभी भी कई अंशदाताओं को उनकी लुप्त कटौतियों का विवरण सूचित नहीं किया जाता है,

जिससे अंशदाता/मनोनीत द्वारा कम भुगतान की शिकायत की जाती है तथा उनके द्वारा लुप्त कटौतियों की सूचना के अभाव में आवश्यक कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पाता है, जैसे जी.ए. 55 अथवा सत्यापित पास बुक, बिल नं., टी.वी. नं. व भुगतान तिथि आदि की सूचना उपलब्ध कराना इत्यादि।

अतः आपको निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि भविष्य में प्रत्येक अंशदाता/मनोनीत को अंतिम भुगतान के समय उसकी लुप्त/अप्राप्त कटौतियों का पूर्ण विवरण आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जावे।

इन निर्देशों की कड़ाई से पालना किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों की पालना में शिथिलता बरतने के प्रकरणों को भविष्य में गंभीरता से लिया जायेगा। • ह., अतिरिक्त निदेशक (पीएफ, एनपीएस), राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर। • क्रमांक : एफ.1/व्य.एवं प./पीएफ/305-365 दिनांक : 23.05.2012

12. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर में संशोधन

• राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग • क्रमांक : पं.19(1)शिक्षा-6/2012 जयपुर, दिनांक : 8.5.12 • आदेश • अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से संशोधित की जाती हैं–

क्र.सं.	*कक्षा*	*वर्तमान मासिक दर*	*संशोधित मासिक दर*
1.	कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक छात्र	15/- रुपये	50/- रुपये
2.	कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक की छात्राएँ	75/- रुपये	100/- रुपये
3.	कक्षा 9 एवं 10वीं तक के छात्र	30/- रुपये	60/- रुपये
4.	कक्षा 9 एवं 10वीं तक की छात्राएँ	100/- रुपये	120/- रुपये

नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से उनकी आई.डी. संख्या–151200493/वित्त/व्यय-1/2012 दिनांक : 01.05.2012 के अनुसरण में प्रसारित किये जाते हैं। • महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, ह., उप शासन सचिव • क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/SC-ST/पूर्व मैट्रिक/2011-12 दिनांक : 16.5.2012

13. इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजनान्तर्गत इसी वर्ष से सामान्य वर्ग की बालिकाओं को भी सम्मिलित किये जाने बाबत।

• राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग • क्रमांक : प.17(13)शिक्षा-1/2008 जयपुर, दिनांक : 01.05.2012 • विषय : इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजनान्तर्गत इसी वर्ष से सामान्य वर्ग की बालिकाओं को भी सम्मिलित किये जाने बाबत। • सन्दर्भ : माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 28 व 29 दिसम्बर, 2011 को उदयपुर भ्रमण के दौरान की गई घोषणा के क्रम में। • उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 28 व 29 दिसम्बर, 2011 को उदयपुर भ्रमण के दौरान इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजनान्तर्गत इसी वर्ष से सामान्य वर्ग की बालिकाओं को भी सम्मिलित किये जाने की घोषणा की है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार लेख है कि इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में सामान्य वर्ग की बालिकाओं को भी इसी वर्ष से सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। इस विभाग द्वारा योजना के सम्बन्ध में जारी परिपत्र की शर्तें यथावत रहेंगी। • ह., उप शासन सचिव, प्रथम • कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स-1/इं.प्रि.द.पु./2012-2013 दिनांक : 30.05.12

14. इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वर्ष 2012 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स-I/इं.प्रि.पु./2011-12/ दिनांक : 30.05.2012 • विषय : इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वर्ष 2012 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में। • उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : प.17(13)शिक्षा-I/2008 दिनांक 21.05.2011 एवं संशोधित आदेश दिनांक 17.08.11 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं निःशक्त की ऐसी बालिकाओं को जो बोर्ड की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है को क्रमशः 40000 एवं 50000 रुपये का इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर द्वारा प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष इस योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग को भी सम्मिलित किए जाने के आदेश दिनांक 01.05.2012 द्वारा जारी किए जा चुके हैं (प्रति संलग्न है)।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के उक्त छः वर्गों की बालिकाओं की सूची जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 व 12वीं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है की सूची वर्गानुसार संलग्न प्रपत्र-'अ' व 'ब' में मय प्रमाण-पत्र के हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सहित दिनांक **01.08.2012** तक इस कार्यालय को उपलब्ध करावें। **कक्षा 12वीं के लिए प्रत्येक वर्ग को देय पुरस्कार में सभी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान, ललित कला) में से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली छात्रा का चयन करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है।**

आपको विदित है कि उपरोक्त पुरस्कार प्रति वर्ष 19 नवम्बर को बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर के माध्यम से प्रदत्त किया जाता है। अतः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से यथा समय उक्त परिणामों की जिला स्तरीय वरीयता सूचियाँ (प्रत्येक वर्गानुसार) प्राप्त करें एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जावे। • ह., निदेशक।

प्रपत्र - अ (कक्षा 10 के लिए)

क्र.सं.	वर्ग (कैटेगरी)	छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	प्राप्तांक/प्रतिशत	जिला
1.	सामान्य					
2.	अनुसूचित जाति					
3.	अनुसूचित जनजाति					
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग					
5.	अल्पसंख्यक					
6.	निःशक्त					

प्रपत्र - ब (कक्षा 12 के लिए)

क्र.सं.	वर्ग (कैटेगरी)	छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	प्राप्तांक/प्रतिशत	जिला
1.	सामान्य					
2.	अनुसूचित जाति					
3.	अनुसूचित जनजाति					
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग					
5.	अल्पसंख्यक					
6.	निःशक्त					

नोट :– कक्षा 12 के लिए जिले में प्रत्येक वर्ग को देय पुरस्कार में सभी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान, ललित कला) में से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली एक ही छात्रा का चयन करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से प्राप्त श्रेणी/वर्ग वार प्राप्त सूचियों के अनुसार मिलान के पश्चात् ही पात्र छात्राओं को वर्ष 2012-13 के लिए देय इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के उक्त प्रस्तुत प्रस्तावों में कोई भी अपात्र छात्रा का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर जि.शि.अ.

15. कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा प्रति विद्यार्थी एक पेड़ लगाना एवं रख-रखाव करना।

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/विविध/कालांश/12-13/37 दिनांक : 31.05.2012 • विषय : कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा प्रति विद्यार्थी एक पेड़ लगाना एवं रखरखाव करना। • प्रसंग : अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद का पत्रांक रा.प्रा.सी.प./जय/औ.शि./2012-13/2165 दिनांक : 16.05.12 • उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि आप अपने अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधानों को यह निर्देश जारी करें, कि विद्यालय में कक्षा 5 से 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा एक पेड़ लगाया जाना सुनिश्चित करावें, साथ ही पेड़ की नियमित देख-रेख एवं सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी की जावे। विद्यार्थी के उक्त कार्य का वार्षिक मूल्यांकन करते हुए विद्यार्थी के प्रगति पत्र में उसका आवश्यक रूप से उल्लेख भी किया जावे। इसकी पालना सुनिश्चित करावें। • ह., उप निदेशक।

16. भवन मरम्मत हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत्

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-माध्य/साप्र/डी-2/3517/मरम्मत/12-13/18 दिनांक : 29.05.2012 • विषय : भवन मरम्मत हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत्। • उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले के अन्तर्गत कार्यालय/विद्यालयों जिनमें भवन मरम्मत आदि की आवश्यकता है, उनके प्रस्ताव साधारण मरम्मत, रंग रोगन अथवा शौचालय मरम्मत, जिनमें अनुमानित व्यय लगभग–0.50 लाख (मात्र पचास हजार रुपये) तक होना हो, के प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को निम्नांकित सूचनाओं के साथ शीघ्र भिजवाने की कार्यवाही करें– 1. सम्बन्धित कार्यालय/विद्यालय भवन का उक्त वर्णित कार्य करवाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी अधिकारी द्वारा मरम्मत हेतु लागत राशि के तकमीना/अवमान। 2. सम्बन्धित उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी की स्पष्ट अभिशंसा। 3. विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भिजवाये जावें (निर्धारित प्रपत्र संलग्न)। • ह., संयुक्त निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

शाला भवनों को मरम्मत हेतु भिजवाये जाने वाले प्रस्तावों का प्रपत्र

जिले का नाम :– मण्डल का नाम :–

1. विद्यालय का नाम : .....

2. भवन राजकीय/किराये का है : .....
   दानदाता द्वारा निर्मित है : .....
3. प्रस्तावित मरम्मत कार्य का विवरण : .....
   (प्रस्ताव संलग्न करें)
4. अनुमानित लागत राशि : .....
   (तकनीकी अधिकारी के अवमान की प्रति लगावें)
5. जन सहयोग से प्राप्त की जाने वाली राशि का विवरण : .....
6. विभाग द्वारा स्वीकृत योग्य राशि : .....
7. भवन सा.नि.वि. की सूची में है? अथवा विभागीय सूची में है : .....
8. भवन शहरी क्षेत्र में स्थित है या ग्रामीण क्षेत्राधीन माना जाता है : .....
9. गत 05 वर्षों में मरम्मत हेतु स्वीकृत की गई राशि का वर्षवार विवरण मय स्कीम योजना सहित प्रस्तुत करें :–

वर्ष	*स्वीकृत राशि*	*किस योजना के तहत*

10. भवन के राज्याधीन एवं विभाग की सूची में शामिल होने का वर्ष :.....
11. भवन कच्चा/पक्का बना हुआ है : .....
12. भवन में वर्तमान निर्मित कमरों का विवरण-साईज सहित लिखें : .....
13. शाला परिसर में खाली पड़ी भूमि का विवरण-साईज सहित लिखें : .....
14. विशेष विवरण : .....

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
पदनाम की मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी की पूर्ण औचित्यपूर्ण अनुशंसा : .....
.....

उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मोहर

17. अतिरिक्त निदेशक, प्रथम अपील अधिकारी

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • कार्यालय-आदेश • निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर स्तर पर शिविरा-माध्य/निजी/कार्य-विभा/6-12 दिनांक : 8 मई, 2012 द्वारा संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जाने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पूर्व में जारी आदेश क्रमांक : शिविरा-मा/निजी/कार्य.विभा./2012 दिनांक : 01/03/2012 में संशोधन करते हुए इस कार्यालय के अतिरिक्त निदेशक, को प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

ये आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। • ह., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा-माध्य/सतर्कता/रा.सू.आ. निर्देश/बोल-I/2011/71 दिनांक : 30.05.12

18. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2012-13 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.एवं प्रो. प्रको./22600/ओबीसी/पूमै/2011-12 दिनांक : 07.05.2012 • विषय : अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2012-13 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत। • केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक प.1(14)शिक्षा-1/2004 दिनांक 25.11.2009 के अनुसार नवीन निर्देश एवं पात्रता मानदण्ड तैयार किये गये थे। इन आदेशों की पालना में आप नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के समेकित प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्ध कार्यक्रम

क्र.सं.	*विवरण*	*निर्धारित तिथि*
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	25.07.2012
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ. कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	27.07.2012
3.	समेकित प्रस्ताव निदेशालय माध्यमिक को प्रस्तुत करना	01.08.2012

पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार हैं–

A. आवेदन : अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु नवीन आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। यह नवीन आवेदन पत्र ही मान्य होगा एवं उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है। उन्हें वेबसाईट से डाउन लोड कर पर्याप्त मात्रा में फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।

B. पात्रता/शर्तें :

1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़े वर्ग की जाति की सूची में आवेदक छात्र/छात्रा की जाति का होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्राओं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहे हों।

3. छात्र/छात्राओं के माता-पिता जीवित हो या उनके न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 44500/- रुपये की सीमा तक हो तथा उन्हें तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिलता हो।

5. छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति देने हेतु पूर्व उत्तीर्ण कक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

6. यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

7. छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय के अनुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित करते हुए छात्रवृत्ति स्वीकृति पर विचार किया जाये।

8. छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि 30 प्रतिशत छात्राओं को सम्मिलित करना अनिवार्य है।

9. छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जावे कि सर्वप्रथम बी.पी.एल. परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जावे, यह कार्यवाही करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार ए.पी.एल. परिवारों को शामिल किया जावे।

10. छात्रवृत्ति के विस्तृत प्रचार-प्रसार की व्यवस्था व्यापक स्तर पर की जाना सुनिश्चित की जावे ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्र/छात्राओं को योजना का लाभ मिल सके।

11. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु निम्नांकित प्राथमिकता क्रम का भी आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे– 1. बी.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी। 2. ए.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी। 3. निःशक्त विद्यार्थी। 4. विधवा महिला के पुत्र/पुत्री विद्यार्थी। 5. तलाकशुदा महिला के पुत्र/पुत्री विद्यार्थी।

12. छात्रवृत्ति दरें निम्नानुसार हैं–

क्र.सं.	*वर्ग*	*कक्षा*	*दरें (10 माह हेतु)*
1.	छात्र/छात्रा	6 से 8	40/- प्र. माह
2.	छात्र/छात्रा	9 से 10	50/- प्र. माह

C. संलग्न दस्तावेज :– आवेदन पत्र के साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियाँ ही मान्य होंगी।

1. तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण-पत्र (मूल में)
2. परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित छायाप्रति।
3. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार से है तो उनके कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।
4. यदि आवेदक निःशक्त/विधवा/तलाकशुदा महिला के पुत्र-पुत्री/विधवा महिला के पुत्र/पुत्री श्रेणी से सम्बन्धित है तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों का लेखा-जोखा संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में संधारित कर कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाये। रजिस्टर में प्रविष्टि का क्रमांक एवं आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किया जाए। आवेदन पत्र की गहनता से जाँच की जाए एवं जाँच से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही उपरोक्त मानदण्ड/शर्तें एवं प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही की जाए तथा मांग राशि के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित **प्रपत्र 'अ'** में मय प्रमाण-पत्र के हार्ड कॉपी सहित वाहक स्तर पर दिनांक 01.08.2012 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाएँगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न– प्रपत्र 'अ' व 'ब', आवेदन पत्र। • ह. निदेशक • क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प./द/अ.पि.व./पूमै/विज्ञप्ति/2011-12 दिनांक : 7.5.12

प्रपत्र-अ : पूर्व मैट्रिक ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति प्रस्ताव हेतु

क्र.सं.	*जिला*	*कक्षा 6 से 8*			*चाही गई राशि (कुल छात्र/ छात्रा संख्या× 400/-)*	*कक्षा 9 से 10*			*चाही गई राशि (कुल छात्र/ छात्रा संख्या× 500/-)*	*कुल माँग (कॉलम संख्या 6 एवं 10 का योग)*
		छात्र	*छात्रा*	*योग*		*छात्र*	*छात्रा*	*योग*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाण-पत्र

'यह प्रमाणित किया जाता है कि योजना में वर्णित शर्तों के अनुसार ही पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं कोई भी पात्र छात्र/छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।'

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी

प्रपत्र-ब : पूर्व मैट्रिक ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति की सूचियाँ कार्यालय रिकॉर्ड से संधारित रखने हेतु प्रपत्र

क्र.सं.	*जिला*	*छात्र/छात्रा का नाम*	*पिता का नाम*	*विद्यालय का नाम व पूर्ण पता*	*कक्षा*	*छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता*	*गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जायें)*	*माता/पिता/ संरक्षक की वार्षिक आय*	*अन्य पिछड़ा वर्ग में जाति*	*माता/पिता/ संरक्षक की श्रेणी (बीपीएल/ एपीएल/निशक्त/ विधवा/ तलाकशुदा)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का आवेदन पत्र

सत्र 20.....– 20.....

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो

1. छात्र/छात्रा का नाम : .....
2. जन्मतिथि (अंकों में) : .....
   (शब्दों में) : .....
3. पिता का नाम : .....
4. माता का नाम : .....
5. निवासी : (1) राजस्थान (2) जिले का नाम .....
6. अन्य पिछड़ा वर्ग में जाति का नाम : .....
7. माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय (गत सत्र की वार्षिक आय भरें)
   .....
8. माता-पिता/संरक्षक की श्रेणी : ☐ 1. बीपीएल 2. निःशक्त 3. विधवा 4. तलाकशुदा
9. माता-पिता/संरक्षक आयकर दाता : है/नहीं
10. गत उत्तीर्ण की गई कक्षा : .....
11. गत उत्तीर्ण कक्षा के प्राप्तांक :

कुल पूर्णांक	*कुल प्राप्तांक*	*प्राप्तांक प्रतिशत*

वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र होंगे।

12. गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम एवं पूरा पता : .....
    .....
13. स्थायी पता : छात्र/छात्रा का नाम : .....
    गांव ..... पोस्ट .....
    वाया ..... जिला .....
    फोन नं. मय एसटीडी कोड .....
    मोबाईल नं. .....

माता-पिता/संरक्षक और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि ..... योजना सम्बन्धी सभी नियमों/निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा प्रदत्त तथ्यों (संलग्न दस्तावेजों) में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर **छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर**

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा ..... पुत्र/पुत्री ..... के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की पूर्ण जाँच कर ली गई है तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों से सम्बन्धित दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमें अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा को सत्र 2012-13 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

19. अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम के सम्बन्ध में

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/माध्य/निप्र/डी-2/21760/निरी.मानदण्ड/2005 दिनांक : 05.06.12 • विषय : अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम के सम्बन्ध में। • विभाग द्वारा समय-समय पर समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों को भिजवाते हुए उनके अनुसार निरीक्षण करने के निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं। यह देखने में आता है कि अधिकारीगण निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम पूर्ण रूप से नहीं करते हैं। अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि आप स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम करना सुनिश्चित करावें। मानदण्ड आपको पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं। मानदण्ड निम्नानुसार है–

क्र.सं.	*अधिकारी का पद*	*भ्रमण दिवस*	*रात्रि विश्राम*
1.	उप निदेशक	90	60
2.	जिला शिक्षा अधिकारी	90	60

निरीक्षण कार्य में निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें– 1. प्रति माह कम से कम 5 विद्यालयों का असूचित निरीक्षण। 2. उप निदेशक (माध्यमिक) द्वारा वर्ष में 20 उ.मा. विद्यालयों का सूचित/विस्तृत निरीक्षण। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य) द्वारा वर्ष में 20 उ.मा. विद्यालयों तथा 20 माध्यमिक विद्यालयों का सूचित/विस्तृत निरीक्षण। 4. उप निदेशक (माध्यमिक) द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ 2 माह

में एक बैठक का आयोजन।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें तथा किये गये निरीक्षणों की सूचना प्रति माह मंडल अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करें। ध्यान रहे कि मानदण्डों की पूर्ति न होने पर सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। • ह., निदेशक।

20. अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम (प्रा.शिक्षा)

• निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/निरी/3518(मु)/11-12 दिनांक : 05.06.12 • विषय : अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम के सम्बन्ध में। • विभाग द्वारा समय-समय पर समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निरीक्षण के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों को भिजवाते हुए उनके अनुसार निरीक्षण करने के निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं। यह देखने में आता है कि अधिकारीगण निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम पूर्ण रूप से नहीं करते हैं। अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि आप स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम करना सुनिश्चित करावें। मानदण्ड आपको पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं। मानदण्ड निम्नानुसार हैं–

क्र.सं.	*अधिकारी का पद*	*भ्रमण दिवस*	*रात्रि विश्राम*
1.	उप निदेशक	90	60
2.	जिला शिक्षा अधिकारी	90	60
3.	प्रधानाचार्य एवं व्याख्याता, डाईट	प्रतिमाह 1 शाला तथा वर्ष भर में 10 शालाएँ	
4.	ब्लॉक प्रा.शिक्षा अधिकारी	1. अपने क्षेत्र की लगभग 50 प्रतिशत शालाओं का निरीक्षण परन्तु दो वर्ष में समस्त शालाओं का निरीक्षण पूर्ण करना। एक माह में कम से कम 10 शालाओं का निरीक्षण।	
5.	उप जिला शिक्षा अधिकारी/अवर जिला शिक्षा अधिकारी	1. अपने क्षेत्र की समस्त शालाओं का वर्ष में एक बार निरीक्षण। 2. एक माह में कम से कम 15 शालाओं का निरीक्षण।	

यहाँ यह भी सुनिश्चित करें कि समय-समय पर विभागाध्यक्ष को किये गये निरीक्षणों की प्रगति से अवगत करवावें। • ह., निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

21. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक के पात्र छात्र/छात्राओं को देय छात्रवृत्ति वर्ष 2012-13 के प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में।

• कार्यालय निदेशक, माध्यम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/द/एस.सी.एस.टी./पूमै/2012-13 दिनांक : 06.06.12 • विषय : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक के पात्र छात्र/छात्राओं को देय छात्रवृत्ति वर्ष 2012-13 के प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में। • माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि की घोषणा की गई है। इन दरों के अनुसार गणना करते हुए प्रतिवर्ष की भाँति छात्र/छात्राओं की कक्षावार संख्या एवं वास्तविक वाँछित राशि के अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के समेकित प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में दिनांक **01.08.2012** तक आवश्यक रूप से छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ को भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्ध कार्यक्रम

क्र.सं.	*विवरण*	*निर्धारित तिथि*
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना।	25.07.2012
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ. कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना।	27.07.2012
3.	जि.शि.अ. द्वारा समेकित प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना।	01.08.2012

पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार हैं–

पात्रता– 1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो। **2.** छात्र/छात्राएँ राजकीय विद्यालय अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो। **3.** छात्र/छात्राओं के माता-पिता जीवित हों या उनके जीवित न होने पर संरक्षक आयकर दाता न हो। **4.** छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। **5.** छात्र/छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। **6.** छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा। **7.** छात्रवृत्ति दरें निम्नानुसार हैं–

क्र.सं.	*वर्ग*	*कक्षा*	*दरें (10 माह हेतु)*
1.	छात्र	6 से 8	50/- प्र. माह
2.	छात्रा	6 से 8	100/- प्र. माह
3.	छात्र	9 से 10	60/- प्र. माह
4.	छात्रा	9 से 10	120/- प्र. माह

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(5)शिक्षा-6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 की सुनिश्चित पालना करते हुए अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पाबन्द किया जावे कि विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे। छात्र/छात्राओं को देय पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र भरने हेतु स्थानीय स्तर पर निःशुल्क जन हितार्थ प्रकाशन द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाना सुनिश्चित करें तथा संस्था प्रधानों को भी पाबन्द करें कि अभिभावकों को छात्रवृत्ति की जानकारी हेतु आवेदन पत्र विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे। नवीन प्रवेशार्थी पात्र छात्र/छात्राओं से प्रवेश के साथ ही आवेदन पत्र भरवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई पात्र छात्र/छात्रा इस छात्रवृत्ति से वंचित रहता है तो इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न : प्रपत्र एवं आवेदन पत्र। • ह., निदेशक।

वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव-प्रपत्र

क्र.सं.	योजना का नाम	कक्षा 6 से 8				कक्षा 9 से 10				कुल माँग (कॉलम 6 व 10 का योग)
		छात्र/छात्रा	दर (प्रतिमाह)	संख्या	राशि (10 माह हेतु)	छात्र/छात्रा	दर (प्रतिमाह)	संख्या	राशि (10 माह हेतु)	
1.	अनुसूचित जाति	छात्र	50/-			छात्र	60/-			
		छात्रा	100/-			छात्रा	120/-			
2.	अनुसूचित जनजाति	छात्र	50/-			छात्र	60/-			
		छात्रा	100/-			छात्रा	120/-			

हस्ताक्षर, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक

राजस्थान सरकार

अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रवृत्ति

आवेदन-पत्र

(नवीन (फ्रेस) छात्रवृत्ति हेतु सन् 20....–20....)

1. छात्र/छात्रा का नाम .....
2. जाति ..... उपजाति .....
3. पिता का नाम व व्यवसाय .....
4. परिवार की कुल वार्षिक आय .....
5. प्रार्थी का निवास स्थान .....
   ग्राम ..... पोस्ट ..... तहसील .....
6. वर्तमान स्कूल का विवरण जहाँ छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।
   (अ) शाला का नाम ..... स्थान .....
   (ब) पोस्ट ऑफिस ..... तहसील ..... जिला .....
7. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है .....
8. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि .....
9. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है– स्कूल का नाम .....
   स्थान ..... पोस्ट ऑफिस .....
10. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है .....
11. परीक्षा फल ..... उत्तीर्ण ..... अनुत्तीर्ण .....

गत परीक्षा में अंकों का विवरण

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6			

कक्षा में स्थान ..... श्रेणी..... योग..... प्राप्तांक .....

12. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हां तो–
    (अ) कहाँ से मिलती है .....
    (ब) कितनी मिलती है .....
    (स) दर .....
    (द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त .....

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
2. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
3. छात्र/छात्रा समाज कल्याण विभाग या इस विभाग से अनुदान प्राप्त स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
(मोहर सहित)

सम्बन्धित सरपंच, पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूँ कि छात्र/छात्रा की जाति ..... है जो अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जाति/विमुक्त जाति/घुमक्कड़ जाति की गणना में आती है।
2. इनके परिवार की वार्षिक आय ..... है।

हस्ताक्षर
पद (मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को ..... रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह ..... से तक की छात्रवृत्ति के कुल ..... रुपये स्वीकृत किये जाते हैं।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार
पद (मय सील सहित)

नोट– राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(5)शिक्षा-6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे।

22. गैर सरकारी विद्यालयों को निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रति बालक व्यय (Unit Cost) की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./यूनिट कॉस्ट/वो-II/19626/12-13/57 दिनांक : 08.06.12 • विषय : गैर सरकारी विद्यालयों को निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रति बालक व्यय (Unit Cost) की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिशा निर्देश। • राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11(6) के अनुसार कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के सम्बन्ध में प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला धारा 2 खण्ड (ढ) के उक्त खण्ड (iii)(iv) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय अपना दावा विद्यालय में प्रवेश दिये गये कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों की सूची सहित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं प्रपत्र निम्नानुसार है जिनके अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें– **1.** प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम के सम्बन्ध में एक पृथक बैंक खाता रखेगा। **2.** प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे विद्यालय को दी जाएगी। अप्रैल से अगस्त की कालावधि के लिए पहली प्रतिपूर्ति अक्टूबर मास में की जाएगी और सितम्बर से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक भी कालावधि के लिए अंतिम प्रतिपूर्ति जून के अन्त में की जाएगी। **3.** कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के सम्बन्ध में प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला धारा 2 खण्ड (ढ) उपखण्ड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय अपना दावा विद्यालय में प्रवेश दिये गये कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों की सूची सहित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। दावा प्रत्येक वर्ष अगस्त और अप्रैल मास में प्रस्तुत किया जाएगा। **4.** ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अन्तिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा। **5.** प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रस्ताव विद्यालयों द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को प्रेरित किये जाएँगे। **6.** शुल्क के पुनर्भरण के कार्य का जिला स्तर पर मॉनिटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्तावों एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्तावों को समेकित करने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा का होगा। **7.** पुनर्भरण प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसमें संस्था को यह परिवचन देना होगा कि (i) 25 प्रतिशत की सीमा में दिये गये बालकों का प्रवेश कार्य पूर्णतया विभागीय निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से किया गया है। (ii) बालकों के माता-पिता एवं अभिभावकों से किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया गया है और न ही सत्र के दौरान लिया जाएगा। (iii) इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की विसंगति अन्यथा बात प्रमाणित होती है तो शिक्षा विभाग को संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

उपर्युक्त विवरणानुसार शुल्क का निम्न पंचांग के अनुसार पुनर्भरण किया जा सकेगा–

क्र.सं.	*कार्य का विवरण*	*प्रथम किश्त*	*द्वितीय किश्त*
1.	संस्था द्वारा बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक) को प्रस्ताव प्रेषित करना।	30 अप्रैल तक	30 अगस्त तक
2.	बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक) द्वारा परीक्षणोपरांत प्रस्ताव डीईईओ को प्रेषित करना।	31 जुलाई तक	31 दिसम्बर तक
3.	डीईईओ द्वारा समेकित प्रस्ताव निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को भेजना।	31 अगस्त तक	31 जनवरी तक
4.	निदेशालय द्वारा बजट आवंटन	30 सितम्बर तक	28 फरवरी तक
5.	संस्थाओं के खाते में राशि स्थानान्तरण	31अक्टूबर तक	30 जून तक

उपरोक्त दिशा निर्देशों एवं पंचांग के अनुसार संस्थाएँ अपना दावा प्रपत्र 'क' में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रपत्र 'ख' में अपने ब्लॉक से सम्बन्धित दावों को समेकित कर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को तथा प्रपत्र 'ग' में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा समेकित सूचना निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।

संलग्न : प्रपत्र 'क', 'ख', 'ग'। • ह., निदेशक।

गैर सरकारी विद्यालय द्वारा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाला प्रपत्र 'क'

दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के 25% निःशुल्क प्रवेशित बालकों के लिए प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्रपत्र सत्र 20...-20... (आर.टी.ई. नियम 11(6) के अन्तर्गत दावा)

जिला : ..... ब्लॉक : ..... नॉडल विद्यालय : .....

निजी विद्यालय का नाम व पता : .....

बैंक खाते का विवरण : खाता संख्या ..... बैंक का नाम : .....

क्र.सं.	*कक्षा*	*कक्षा के कुल स्थानों की 25 प्रतिशत संख्या*	*विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष नियमानुसार कक्षावार निर्धारित शुल्क की राशि*	*न्यूनतम 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या*								*क्या विद्यालय को कोई भूमि, भवन, उपस्कर व अन्य सुविधाएँ निःशुल्क अथवा रियायती दर पर प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो विवरण देवें।*	*निःशुल्क प्रवेशित बालकों की प्रमाणित सूची संलग्न है अथवा नहीं?*
				दुर्बल वर्ग के विद्यार्थी		*असुविधाग्रस्त समूह के विद्यार्थी*							
				बीपीएल	*न्यून आय वर्ग (आय 2.50 लाख तक)*	*एससी*	*एसटी*	*ओबीसी (आय 2.50 लाख तक)*	*एसबीसी (आय 2.50 लाख तक)*	*निःशक्त बालक*	*कुल निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थी*		

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि– 1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रमाणित सूची संलग्न की जा रही है। 2. इन बालकों के प्रवेश के लिए आर.टी.ई. के प्रावधानानुसार प्रवेश प्रक्रिया की पालना पूर्ण रूप से की गयी है तथा इन विद्यार्थियों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख संधारित कर लिये गये हैं। 3. विद्यालय को कोई भी भूमि, भवन, उपस्कर या अन्य सुविधाएँ निःशुल्क या रियायती दर से प्राप्त नहीं हुई है। 4. बालकों के माता-पिता एवं अभिभावकों से किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया गया है और न ही सत्र के दौरान वसूल किया जायेगा। 5. विभाग द्वारा जाँच करने पर किसी प्रकार की विसंगति अन्यथा बात प्रमाणित होती है तो शिक्षा विभाग को संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा और दी गई प्रतिपूर्ति की राशि लौटा दी जावेगी।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर एवं मोहर

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..... विद्यालय ..... द्वारा प्रस्तुत दावे के नामांकन का सत्यापन करवाकर दावे की विश्वसनीयता व वैधता की जाँच कर ली गई है तथा दावा आर.टी.ई. के प्रावधानानुसार सही एवं प्रतिपूर्ति के योग्य है।

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मोहर

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को प्रस्तुत किये जाने वाला प्रपत्र-'ख'

दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के 25% निःशुल्क प्रवेशित बालकों के लिए प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्रपत्र सत्र 20...-20... (आर.टी.ई. नियम 11(6) के अन्तर्गत दावा)

ब्लॉक : ..... जिले का नाम : .....

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय द्वारा निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थी संख्या									शुल्क के आधार पर देय प्रतिपूर्ति की राशि	राज्य सरकार द्वारा तय यूनिट कॉस्ट के आधार पर देय राशि	कॉलम संख्या 11 व कॉलम 12 में जो कम है वह राशि	वि. वि.
		पूर्व प्राथमिक	कक्षा-1	कक्षा-2	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5	कक्षा-6		योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रपत्र में सम्मिलित सभी विद्यालयों का दावा प्रपत्र 'क' में प्रस्तुत दावे के नामांकन का सत्यापन करवाकर दावे की विश्वसनीयता व वैधता की जाँच कर ली गई है तथा दावा आर.टी.ई. प्रावधानानुसार सही एवं प्रतिपूर्ति के योग्य है।

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) द्वारा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को प्रस्तुत किये जाने वाला प्रपत्र 'ग'

दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के 25% निःशुल्क प्रवेशित बालकों के लिए प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्रपत्र सत्र 20...-20... (आर.टी.ई. नियम 11(6) के अन्तर्गत दावा)

जिला : .....

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	आर.टी.ई. एक्ट, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानानुसार निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों की कक्षावार संख्या										निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के लिए प्रतिपूर्ति की राशि	वि. वि.
		पूर्व प्राथमिक	कक्षा-1	कक्षा-2	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5	कक्षा-6	कक्षा-7	कक्षा-8	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रमाणित किया जाता है कि– 1. कॉलम संख्या 13 में माँग की गई राशि विद्यालय द्वारा कक्षावार वसूल की जा रही फीस/विभाग द्वारा तय प्रति बालक प्रतिपूर्ति की राशि दोनों में जो न्यून है उसके आधार पर गणना की गई है। 2. गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिपूर्ति के दावों के नामांकन का सत्यापन करवाकर दावे की विश्वसनीयता व वैधता की जाँच करवा ली गई है तथा दावा आर.टी.ई. एक्ट के प्रावधानानुसार सही एवं प्रतिपूर्ति के योग्य है।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा

23. माध्यमिक कक्षाओं में कालांश व्यवस्था सत्र 2012-13

• माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शैक्षिक सत्र 2012-13 के लिए कक्षा 9 से 12 तक की कालांश व्यवस्था अपनी विवरणिका में प्रकाशित की है। सभी शिक्षण संस्थाओं की जानकारी हेतु इसे प्रकाशित किया जा रहा है।

-वरिष्ठ सम्पादक (शिविरा पत्रिका)

शैक्षिक सत्र 2012-13 कालांश व्यवस्था कक्षा-9 तथा कक्षा-10

क्र.सं.	विषय		कालांश : 48
1.	भाषाएँ :		17
	(1) हिन्दी	6	
	(2) अंग्रेजी	6	
	(3) तृतीय भाषा	5	
2.	विज्ञान		8
3.	सामाजिक विज्ञान		8
4.	गणित		8
5.	राजस्थान अध्ययन		2
6.	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (खेल प्रवृत्तियाँ '0' कालांश)		2
7.	'फाउण्डेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी'		2
8.	(1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (2) कला शिक्षा		1+'0' (कालांश)
9.	नैतिक शिक्षा : प्रार्थना के साथ तथा अन्य सभी विषयों के अध्ययन के साथ समाहित		
10.	पुस्तकालय : पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान '0' कालांश/मध्य अन्तराल में		

नोट : ऐसे विद्यालय जहाँ कम्प्यूटर लेब की सुविधा नहीं है, वहाँ के संस्था प्रधान, पाठ्यक्रम एवं शाला की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार 'फाउण्डेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी' के लिए निर्धारित कालांशों का समायोजन अन्य विषयों के शिक्षण में कर सकते हैं।

शैक्षिक सत्र 2012-13 कालांश व्यवस्था कक्षा-11

क्र.सं.	विषय		कालांश : 48
1.	हिन्दी		6
2.	अंग्रेजी		6
3.	राजस्थान अध्ययन		3
4.	जीवन कौशल		3
5.	ऐच्छिक विषय		30
	प्रथम	10	
	द्वितीय	10	
	तृतीय	10	
6.	नैतिक शिक्षा : प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजनों एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।		
7.	पुस्तकालय : पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान '0' कालांश/मध्य अन्तराल में।		
8.	शारीरिक शिक्षा : शारीरिक शिक्षा एवं खेल गतिविधियाँ विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात् अपेक्षित।		

नोट : कक्षा-11/उपाध्याय उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश समाज सेवा योजना शिविर में भाग लेना अनिवार्य होगा। शिविर की ग्रेडिंग का अंकन कक्षा-12 की अंकतालिका/प्रमाणपत्र में किया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) में भाग लेने वाले विद्यार्थी इस शिविर से मुक्त रहेंगे, किन्तु इन विद्यार्थियों की अंकतालिका/प्रमाणपत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) में भाग लिया का अंकन किया जायेगा।

शैक्षिक सत्र 2012-13 कालांश व्यवस्था कक्षा-12

क्र.सं.	विषय	कालांश : 48
1.	हिन्दी	6
2.	अंग्रेजी	6
3.	राजस्थान अध्ययन	3
4.	समाज सेवा योजना (नियमित विद्यार्थियों के लिए) कक्षा 11 उत्तीर्णोपरान्त ग्रीष्मावकाश में।	
5.	ऐच्छिक विषय प्रथम- 11, द्वितीय- 11, तृतीय- 11 (प्रयोगात्मक कार्य वाले विषयों में 7 कालांश सैद्धान्तिक एवं 4 कालांश प्रायोगिक के)	33
6.	नैतिक शिक्षा : प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजनों एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।	
7.	पुस्तकालय : पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान '0' कालांश/मध्य अन्तराल में।	
8.	शारीरिक शिक्षा : शारीरिक शिक्षा एवं खेल गतिविधियाँ विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात् अपेक्षित।	

24. विद्यालय शुल्क (रा.मा.वि./उ.मा.वि.) विवरण

• राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-9 से 12 तक वर्तमान में प्रचलित विद्यालय शुल्क का विवरण विद्यालयों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। **-वरिष्ठ सम्पादक (शिविरा पत्रिका)**

वर्ग	कक्षा 9-10(प्रति वर्ष)	कक्षा 11-12(प्रति वर्ष)
1. छात्र निधि	200/-	300/-
2. टंकण/विज्ञान	–	100/-
3. स्काउट/गाईड	5/-	5/-
4. एस यू पी डब्ल्यू	50/-	–

नोट : छात्रनिधि शुल्क अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्र एवं छात्राओं से 50 प्रतिशत लिया जाता है।

आत्मीय निवेदन

नया शैक्षिक सत्र शुरू हो गया है
आप शिविरा के प्रबुद्ध पाठक हैं
शिक्षक हैं, लेखक भी बनें
कलम उठाइये, शैक्षिक विचारों के साथ अपने आलेख
अपनी शिविरा में प्रकाशनार्थ भेजिए।

बेटियाँ हैं अनमोल

❑ सुनीता चावला

भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है। हमारे रीति-रिवाज, नैतिक मूल्य एवं परम्पराएँ इसका अलंकार हैं। बुजुर्गों का मान सम्मान, स्नेह, अपने से छोटों के प्रति प्यार इसकी आत्मा है। हमारे जीवन का आधार सत्य, अहिंसा एवं प्रेम है। हमारे देश में दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है *'यत्रनार्यास्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता'* लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि जिस कन्या को हमारी संस्कृति पूज्य मानती है हममें से कुछ लोग माँ की कोख में ही उसका कत्ल करवा देते हैं।

नवरात्रि में हमारे समाज में कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन समाज में कुछ माँ-बाप ऐसे भी हैं जब उन्हें पता चलता है कि माँ की कोख में कन्या भ्रूण है, उस मासूम की कोख में ही हत्या करवा दी जाती है। भावी माँ जो भविष्य में गर्भ धारण कर सृष्टि का विस्तार करती है जन्म से पहले ही उसको मौत के हवाले कर दिया जाता है। माँ-बाप जो पृथ्वी पर भगवान का रूप हैं, बच्चों को दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं वे अपनी बेटी को जन्म से पहले मृत्युदण्ड देते हैं। चिकित्सक जिसे भगवान का दूत माना जाता है। यह भली-भाँति जानता है कि भ्रूण हत्या इंसान की हत्या से भी बढ़ कर है। एक इंसान अपने जीवन में कोई अपराध कर सकता है लेकिन **एक अजन्मे मासूम का क्या अपराध** हो सकता है।

एक नन्हा जीव माँ की कोख में सुन्दर संसार में आकर मासूम किलकारियाँ भरने की कल्पना से आनन्दित हो रहा है अपने भाई-बहनों से खेलने, माँ के आंचल को छूने के सपने संजो रहा है लेकिन इसकी जन्मदायिनी कोख कब्र साबित होती है। माँ के गर्भ में एक टीके द्वारा मारा जाता है। टीके के द्रव्य से पहले चमड़ी को जला दिया जाता है। उस जीव ने जीवित अवस्था में द्रव को सूँघा, निगला और वह जल गया। इस अत्याचार के बाद एक नलिका द्वारा हवा के दबाव के साथ खींचकर गर्भाशय से बाहर निकाला गया। वह जीव मारा जा चुका था। ऐसे लग रहा था मानों अपनी माँ से कह रहा हो जितना अत्याचार मुझ बेगुनाह पर किया है, भगवान के लिए किसी और पर मत करना।

क्या हममें अब भी कुछ इंसानियत का

अंश है? क्या हम इस मासूम पुकार से द्रवित होंगे। जो लोग किसी कारणवश कन्या भ्रूण को समाप्त नहीं कर पाते हैं। वे अपनी बेटियों को जन्म के बाद बेच देते हैं या लावारिस छोड़ देते हैं।

आज देश भर में हजारों बेटियाँ कोख में ही नष्ट कर दी जाती हैं। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 947 महिलाएँ थीं, दस साल बाद स्थिति सुधरने के बजाए बिगड़ गई और महिलाओं की संख्या पुरुषों के सामने सिर्फ 927 ही रह गईं। हरियाणा में महिला पुरुष अनुपात 864 : 1000 है जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। यह स्थिति चिन्ताजनक है।

समाज में यह बुराई महामारी के रूप में फैल रही है। इसका कारण क्या है? हम बेटियाँ क्यों नहीं चाहते। नारी का मान सम्मान न करके हम नारी को बोझ क्यों समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। यह भारतीय संस्कृति नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं निश्चित रूप से संकीर्ण मानसिकता का शिकार हैं। परिवार में बहू और बेटी के लिए अलग-अलग सामाजिक अपेक्षाएँ होती हैं। हमारे घरों में आज भी लड़कों को लड़कियों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। शायद इस सोच के पीछे भावना यही है कि लड़के के पीछे बहू आती है। बेटी के पिता को अपनी बेटी का रिश्ता तय होते ही सामाजिक रीति रिवाज निभाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद शादी से पहले हर त्यौहार पर बेटी के ससुराल में मिठाई, कपड़े आदि दिये जाते हैं फिर शादी के बाद आने वाले त्यौहारों और फिर लड़की के बच्चा होने पर उसके रीति रिवाज निभाने तक लड़की के माँ-बाप की कमर सीधी भी नहीं हो पाती कि दूसरी बेटी विवाह योग्य हो जाती है।

समाज में यह भी मान्यता है कि माँ-बाप के मरने पर बेटा क्रिया-कर्म करेगा। बेटी को यह अधिकार नहीं है। बेटा ही वंश आगे बढ़ाता है, बेटी नहीं। स्थिति उस समय दुःखद होती है जब वर के माता-पिता वधू के परिवार वालों को ऐसा करने से रोकते नहीं हैं। अपेक्षाओं के अनुसार खातिरदारी नहीं होने पर वधू को ताने मारते हैं। लड़की का पिता जिसने अपने अंश/जिगर के टुकड़े को वर को सौंप दिया समझो सर्वस्व दे दिया। उसके बाद देने के लिए क्या रह जाता है। माँगने वालों को यह नहीं पता कि देने वालों का हाथ हमेशा ऊपर और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है।

आज के भौतिक एवं प्रतिस्पर्द्धा के युग में हमें इन रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़कर खुली मानसिकता से समझना होगा कि बेटे एवं बेटी के प्रति सोच में अन्तर सही नहीं है। सदियों पुरानी प्रचलित रीति-रिवाजों को समय के साथ बदलना होगा ताकि समाज को ऑक्सीजन मिल सके। वक्त रहते हमने स्वयं अपनी सोच को नहीं बदला तो वह दिन दूर नहीं जब समाज इतना बिखर जाएगा और स्थितियाँ इतनी प्रतिकूल हो जाएगी कि हम चाह के भी अपने समाज को संवार नहीं पाएँगे।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फास्ट ट्रेक अदालत बनाने का आश्वासन दिया है। सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान में सकारात्मक सराहनीय प्रयास किया गया है। एक सभ्य समाज की इकाई होने के नाते हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कहा जाता है कि cherity begins at home हम अपने स्तर पर कुछ अणुव्रत ले सकते हैं। जैसे कि– 1. हम अपने बच्चों का विवाह सादगी पूर्ण तरीके से करेंगे। कोई आडम्बर नहीं करेंगे। 2. हम अपने लड़के के विवाह में दहेज नहीं लेंगे। दहेज लेने वालों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। 3. हम अपने परिवार की गर्भवती महिलाओं के गर्भस्थ शिशु के लिंग की जाँच नहीं करवाएँगे। 4. सामाजिक दायित्व पूर्ण करने में बेटे एवं बेटी को बराबरी का दर्जा देंगे एवं समान अधिकार देंगे।

–'आशीर्वाद', 25/513 ए, दम्माणी क्वार्टर्स के पास, रानी बाजार, बीकानेर

शिक्षक दिवस प्रकाशन 2011 - एक विश्लेषण

❑ प्रो. (डॉ.) जमनालाल बायती

पिछले 44 वर्षों से अबाध रूप से चली आ रही शिक्षक दिवस प्रकाशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 में भी विभाग द्वारा 5 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। इन पाँचों पुस्तकों में विभाग द्वारा संचालित तथा सहायता व मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों की रचनाएँ प्रकाशित की गई है। इन पुस्तकों की पाठ्यसामग्री निम्नानुसार है–

1. शिक्षा का वातायन– सम्पादक श्री रामपाल शर्मा, कुल रचनाएँ 38, अध्यापक लेखक 32, अध्यापिकाएँ 6, पृष्ठ 157 सजिल्द पुस्तक।

2. बाल साहित्य - गुब्बारे– दूसरी पुस्तक बाल साहित्य को समर्पित है। सम्पादक श्री आर.पी. सिंह। कुल रचनाएँ 46, पुरुष लेखक 41, महिला लेखिकाएँ 5, पुस्तक गद्य तथा पद्य दो भागों में रचनाएँ क्रमशः 29 एवं 17 (एक लेखक राजस्थान से इतर) पुस्तक को बालकों की दृष्टि से आकर्षक बनाने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर 22 रेखाचित्र-कार्टून भी दिये हैं जो बच्चों की रुचि वृद्धि के लिए सक्षम है।

3. संवेदना के स्वर– तीसरी यह पुस्तक कविताओं का संकलन है, सम्पादक श्री श्याम महर्षि, कुल रचनाएँ 123, पुस्तक चार खण्डों में विभक्त हैं, यथा- कविता 107, ग़ज़ल 11, गीत 3 और विविध 3, सजिल्द पुस्तक।

4. सृजन के आयाम– चौथी पुस्तक का शीर्षक सृजन के आयाम हैं जिसके सम्पादक हैं डॉ. प्रमोद भट्ट, इसमें 42 लेखकों की रचनाएँ स्थान पा सकी हैं, यह पुस्तक 9 खण्डों में विभक्त हैं– आलेख 3, कहानी 7, प्रेरक व्यक्तित्व 3, चिन्तन भूमि 9, संस्मरण 3, एकांकी 1, यात्रावृत्त 1, हास्य व्यंग्य 2, लघुकथा 13, सजिल्द।

5. राता फूल रचाव रा– पाँचवीं पुस्तक राजस्थानी भाषा में राता फूल रचाव रा शीर्षक से है– इसके सम्पादक हैं श्री राजेन्द्र जोशी। पुस्तक गद्य और पद्य दो खण्डों में विभक्त है। गद्य खण्ड में निबन्ध 6, कहानी 9, लघुकथा 7, यात्रा वृतान्त 2 और नाट्य 1 रचनाएँ स्थान पा सकी हैं। इसी भाँति पद्यखण्ड में गीत 7, गज़ल 4, दोहा-सोरठा 3, हाइकू 2, कविता 22 रचनाएँ चयित हो पाई हैं, पुस्तक सजिल्द।

इन पाँचों पुस्तकों का जिलेवार साहित्यिक योगदान नीचे की तालिका में प्रस्तुत है–

जिलेवार प्रकाशित रचनाएँ

जिला	शिक्षा का वातायन (शिक्षा)	गुब्बारे (बाल साहित्य)	संवेदना के स्वर (हिन्दी काव्य)	सृजन के आयाम (हिन्दी विविधा)	राता फूल रचाव रा (राजस्थानी)	कुल रचनाएँ	विशेष
1. जोधपुर	4	2	8	–	6	20	
2. भरतपुर	2	1	1	1	–	05	
3. भीलवाड़ा	5	3	9	3	6	26	
4. अजमेर	2	2	6	3	5	18	
5. उदयपुर	3	3	15	3	3	27	तृतीय
6. कोटा	7	5	9	4	5	30	द्वितीय
7. जयपुर	2	3	5	1	1	12	
8. नागौर	3	1	6	4	4	18	
9. बीकानेर	2	3	16	5	9	35	प्रथम
10. डूंगरपुर	1	–	2	–	1	04	
11. राजसमंद	4	5	7	1	1	18	
12. चित्तौड़गढ़	1	2	6	3	3	15	
13. जालोर	1	1	2	2	1	07	
14. टोंक	1	1	1		1	04	
15. हनुमानगढ़	–	6	5	3	3	17	
16. सीकर	–	2	6	2	2	12	
17. प्रतापगढ़	–	2	2	1	1	06	
18. बून्दी	–	1	1	1	–	03	C

जिला	शिक्षा का वातायन (शिक्षा)	गुब्बारे (बाल साहित्य)	संवेदना के स्वर (हिन्दी काव्य)	सृजन के आयाम (हिन्दी विविधा)	राता फूल रचाव रा (राजस्थानी)	कुल रचनाएँ	विशेष
19. झालावाड़	–	2	2	2	1	07	
20. अलवर	–	1	2			03	C
21. बांसवाड़ा	–	–	2	2	2	06	
22. गंगानगर	–	–	2	–	–	02	B
23. दौसा	–	–	2	–	1	03	C
24. झुंझुनूं	–	–	2	–	1	03	C
25. बाड़मेर	–	–	1	1	2	04	
26. बारां	–	–	1	–	1	02	B
27. सिरोही	–	–	1	–	–	01	A
28. चूरू	–	–	1	–	3	04	
पुरुष	32	41	98	32	55	258	
महिला	06	05	25	10	08	054	
योग	38	46	123	42	63	312	

इस साहित्यिक अनुष्ठान में पाँचों पुस्तकों के माध्यम से जिलेवार स्थितियाँ बताई जा सकती हैं–

इन पुस्तकों से 28 जिलों को सहभागिता मिली है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना उचित लगता है कि शैक्षिक लेखन में तो 14 जिले के शिक्षक लेखकों को ही अवसर मिला है। इससे भी दुःखद तो यह है कि तीन जिलों से तो मात्र 1, 1 शिक्षक लेखक का ही योगदान प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि से इस क्षेत्र में किये जाने के लिए पर्याप्त क्षेत्र है।

शिक्षक काफी समय कक्षा में गुजारते हैं। बच्चों की चुहलबाजी, उनकी आपस की शैतानी, पानी पीने के समय की पंक्तिबद्धता, अवकाश के समय की भागदौड़, खेल के समय साथी को लंघी लगा देना, शिक्षक से आँख बचाकर पीछे की पंक्ति में बैठे बालक साथी को परेशान करना, साथी की बोतल का पानी पी जाना, लेट आने पर बहाना करना, शिक्षक से चुहलबाजी करना आदि-आदि, अनगिनत अवसर हैं जिन पर अपने अनुभव के आधार पर शिक्षक अपनी रचनाएँ तैयार कर सकते हैं। जो योगदान प्राप्त हुआ है वह सैद्धान्तिक अधिक है– शिक्षक के सामने क्या समस्या आई तथा उसे कैसे हल किया– इस दिशा में अपना प्रस्तुतिकरण हो, शिक्षक अपना योगदान दे सके तो अन्य साथी शिक्षकों का मार्गदर्शन होगा।

पाँचों पुस्तकों में सम्मिलित रचनाओं की दृष्टि से बीकानेर, कोटा तथा उदयपुर क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय (39, 30 तथा 27 रचनाएँ) स्थान पर रचनाएँ दे रहे हैं। सबसे कम रचनात्मक योगदान सिरोही से एक रचना, गंगानगर तथा कोटा से 2-2 तथा बूंदी, अलवर, दौसा तथा झुंझुनूं जिलों से 3-3 शिक्षकों की रचनाएँ ही स्थान पा सकी हैं। इस दृष्टि से इन जिलों के शिक्षकों के सामने कार्य करने के लिए कितना विस्तृत क्षेत्र पड़ा है– शिक्षाधिकारियों का प्रोत्साहन प्रथम स्थान पर महत्वपूर्ण है।

कविता की पुस्तक में सर्वाधिक रचनाएँ 123 स्थान पा सकी हैं जबकि शिक्षा की पुस्तक में 36 रचनाएँ ही चयनित हुई हैं, दूसरा स्थान राजस्थानी साहित्य की पुस्तक का आता है। इसमें भी कुछ उपेक्षित विधाएँ बताई जा सकती हैं, जैसे– नाटक, हास्य व्यंग्य, यात्रा वृतान्त, गज़ल, हाइकू आदि।

पाँचों पुस्तकों में योगदान करने वाले जिले हैं– भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, नागौर, बीकानेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जालोर, इन जिलों से प्राप्त रचनाओं का विस्तार 7 से 35 तक है। यदि जालोर को सम्मिलित न किया जाय तो यह विस्तार 12 से 35 हो सकता है। इसी भाँति चार पुस्तकों में निम्न जिलों से रचनाएँ स्थान पा सकी हैं– जोधपुर, भरतपुर, टोंक, हनुमानगढ़, सीकर, झालावाड़। इन जिलों से प्राप्त रचनाओं का विस्तार 4 से 20 प्राप्त होता है।

समाहार– राजस्थान सरकार के कर्मचारियों में से आधे से अधिक कर्मचारी तो केवल शिक्षा विभाग में है। शिक्षा विभाग के बीकानेर स्थित मुख्यालय में पदस्थापित निदेशक या आयुक्त महोदय का दर्द के साथ यह कहना याद आता है कि वे जीवन में कभी यह नहीं कह सकते हैं कि कोई समस्या या विवाद विचाराधीन नहीं है, शिक्षा विभाग अथाह सागर है जिसमें यह कभी नहीं कहा जा सकता कि विभाग के पास कोई समस्या नहीं है।

शिक्षा निदेशक शिविरा के माध्यम से शिक्षकों से की जाने वाली अपेक्षाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, यदा कदा अलग से परिपत्र जारी किया जा सकता है। इसकी जानकारी प्रत्येक अध्यापक को दी जानी चाहिए। शिविरा पत्रिका के सम्पादक भी शैक्षिक साहित्य सृजन हेतु शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, कई बार शीर्षक भी सुझाते हैं, स्तरीय सामग्री प्राप्त होने पर प्रकाशित भी करते हैं, वे चाहें तो कुछ चयनित शिक्षकों को

उनके जिलों का दायित्व भी सौंप सकते हैं। कुछ जिलों से भी शैक्षिक पत्रिकाएँ प्रकाशित हो सके ऐसी सम्भावना भी खोजी जा सकती हैं। विशेष अवसरों पर विशेषांकों की योजना भी लेखकों-शिक्षकों के ज्ञान में लानी चाहिए।

जन साधारण यह विश्वास ही नहीं करता है बल्कि मानकर चलता है कि पढ़ा-लिखा साक्षर व्यक्ति सामान्य जनता से पृथक है– वह ज्ञानी-समझदार हो सकता है। पढ़े-लिखे कवि से यह अपेक्षा की जाती है कि उसका सोचने विचारने का, काम करने का ढंग सामान्य जनता से पृथक होगा। वह तरीका प्रभावी भी हो सकता है तथा समय बचाने वाला भी। पढ़े-लिखे साक्षर या शिक्षा से जुड़े व्यक्ति से जनसाधारण की अपेक्षाएँ पृथक हो सकती हैं, होनी भी चाहिए। वही अपेक्षाएँ अन्य कार्य करने वालों से नहीं की जा सकती। इस स्थिति में शिक्षा से जुड़े अधिकारियों का उत्तरदायित्व द्विगुणित हो जाता है, बढ़ जाता है। सामान्य जनता की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए, शिक्षा अधिकारियों से वह मार्गदर्शन की आशा करते हैं। सामान्य स्थानों या अवसरों पर सहायता कर सकते हैं। इन सब आधारों पर यह उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से मना नहीं किया जा सकता।

–बी-186, आर.के. कॉलोनी
भीलवाड़ा (राज.) 311001

बापू की सीख-13

नम्रता

❑ मो. क. गाँधी

महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति एवं शिक्षा सभी क्षेत्रों में उनके विचार बहुत उपयोगी हैं। वस्तुतः वे एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक थे। उनकी शिक्षा सम्बन्धी 21 रचनाएं 'बापू की सीख' नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं। शिविरा के सुधि पाठकों के लिए उन्हें शृंखलाबद्ध प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आशा है पाठक इन विचारों को पठन, मनन के साथ आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। –वरिष्ठ सम्पादक

नम्रता अभ्यास से नहीं प्राप्त होती, वह स्वभाव में ही आ जानी चाहिए। जब आश्रम की नियमावली पहले-पहल बनी तो मित्रों के पास उसका मसविदा भेजा गया था। सर गुरुदास बैनर्जी ने नम्रता को व्रतों में स्थान न देने की सूचना की थी और तब भी उसे व्रतों में स्थान न देने का मैंने वही कारण बतलाया था जो यहाँ लिख रहा हूँ। यद्यपि व्रतों में उसे स्थान नहीं है तथापि वह व्रतों की अपेक्षा शायद अधिक आवश्यक है; आवश्यक तो है ही। परन्तु नम्रता किसी को अभ्यास से प्राप्त नहीं होती देखी गई। सत्य का अभ्यास किया जा सकता है, दया का अभ्यास किया जा सकता है, परन्तु नम्रता के सम्बन्ध में, कहना चाहिए कि उसका अभ्यास करना दंभ का अभ्यास करना है। यहाँ नम्रता से तात्पर्य उस वस्तु से नहीं है जो बड़े आदमियों में एक-दूसरे के सम्मानार्थ सिखाई-पढ़ाई जाती है। कोई बाहर से दूसरे को साष्टांग नमस्कार करता हो, पर मन में उसके लिए तिरस्कार भरा हुआ हो तो यह नम्रता नहीं, लुच्चाई है। कोई रामनाम जपता रहे, माला फेरे, मुनि-सरीखा बनकर समाज में बैठे, पर भीतर स्वार्थ भरा हो, तो वह नम्र नहीं, पाखंडी है। नम्र मनुष्य खुद नहीं जानता कि कब वह नम्र है। सत्यादि का नाप हम अपने पास रख सकते हैं, पर नम्रता का नहीं। स्वाभाविक नम्रता छिपी नहीं रहती, तथापि नम्र मनुष्य खुद उसे नहीं देख सकता। वशिष्ठ-विश्वामित्र का उदाहरण तो आश्रम में हम लोगों ने अनेक बार सुना और समझा है। हमारी नम्रता शून्यता तक पहुँच जानी चाहिए। हम कुछ हैं, यह भूत मन में घुसा कि नम्रता हवा हो गई और हमारे सभी व्रत मिट्टी में मिल गए। व्रत-पालन करने वाला यदि मन में अपने व्रत-पालन का गर्व रखे तो व्रतों का मूल्य खो देगा और समाज में विष-रूप हो जाएगा। उसके व्रत का मूल्य न समाज ही करेगा, न वह खुद ही उसका फल भोग सकेगा। नम्रता का अर्थ है अहंभाव का आत्यंतिक क्षय। विचार करने पर मालूम हो सकता है कि इस संसार में जीवमात्र एक रजकण की अपेक्षा अधिक कुछ नहीं है। 'शरीर के रूप में हम लोग क्षणजीवी हैं। काल के अनत चक्र में सौ वर्ष का हिसाब किया ही नहीं जा सकता; परन्तु यदि हम इस चक्कर से बाहर हो जाएँ, अर्थात् 'कुछ नहीं हो जाएँ' तो हम सबकुछ हो जाएँ। होने का अर्थ है ईश्वर से–परमात्मा से–सत्य से पृथक् हो जाना। कुछ का मिट जाना, परमात्मा में मिल जाना है। समुद्र में रहने वाला बिन्दु समुद्र की महत्ता का उपभोग करता है, परन्तु उसका उसे ज्ञान नहीं होता। समुद्र से अलग होकर ज्योंही अपनेपन का दावा करने चला कि वह उसी क्षण सूखा। इस जीवन को पानी के बुलबुले की उपमा दी गई है, इसमें मुझे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं दिखाई देती।

ऐसी नम्रता–शून्यता–अभ्यास से कैसे आ सकती है? पर व्रतों को सही रीति से समझ लेने से नम्रता अपने आप आने लगती है। सत्य का पालन करने की इच्छा रखने वाला अहंकारी कैसे हो सकता है? दूसरे के लिए प्राण न्यौछावर करने वाला अपना स्थान कहाँ घेरने जाएगा? उसने तो जब प्राण न्यौछावर करने का निश्चय किया तभी अपनी देह को फेंक दिया। क्या ऐसी नम्रता पुरुषार्थ-रहितता न कहलाएगी? हिंदू-धर्म में ऐसा अर्थ अवश्य कर डाला गया है और इससे बहुत जगह आलस्य को, पाखंड को स्थान मिल गया है। वास्तव में नम्रता का अर्थ तीव्रतम पुरुषार्थ है, परन्तु वह सब परमार्थ के लिए होना चाहिए। ईश्वर स्वयं चौबीसों घंटे एक सांस काम करता रहता है, अंगड़ाई लेने तक का अवकाश नहीं लेता। हम उसके हो जाएँ, उसमें मिल जाएँ तो हमारा उद्योग भी उसके समान ही अतंद्रित हो गया–हो जाना चाहिए। समुद्र से अलग हो जाने वाले बिन्दु के लिए भी आराम की कल्पना कर सकते हैं; परन्तु समुद्र में रहने वाले बिन्दु के लिए आराम कहाँ? समुद्र को एक क्षण के लिए भी आराम कहाँ मिलता है? ठीक यही बात हमारे सम्बन्ध में है। ईश्वर रूपी समुद्र में हम मिले और हमारा आराम गया, आराम की आवश्यकता भी जाती रही। यही सच्चा आराम है। यह महाअशांति में शांति है। इसलिए सच्ची नम्रता हमसे जीवमात्र की सेवा के लिए सर्वार्पण की आशा रखती है। सबसे निवृत्त हो जाने पर हमारे पास न रविवार रह जाता है, न शुक्रवार, न सोमवार। इस अवस्था का वर्णन करना कठिन है, परन्तु अनुभवगम्य है वह। जिसने सर्वार्पण किया है, उसने इसका अनुभव किया है। हम सब अनुभव कर सकते हैं।

'मंगल-प्रभात' से

भारतीय साहित्य में स्वाध्याय

❑ सीताराम उपाध्याय

श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है– 'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते' अर्थात् इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। आत्मनिर्णय की सुसंस्कार की सद्प्रवृत्तियों की भावनाएँ जाग्रत करने वाले सद्विचारों को ही सच्चा ज्ञान कहा जा सकता है। यही जीवन को सफल बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। ज्ञान लाभ का उद्देश्य पूर्ण करने वाला सर्वसुलभ साधन स्वाध्याय ही है।

भारतीय संस्कृति में स्वाध्याय की प्रवृत्ति आदिकाल से ही रही है वेद, उपनिषद्, गीता एवं योग हमें स्वाध्याय का उपदेश देते हैं। उपनिषदों का सारतत्व ही स्वाध्याय है। वृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद बड़ा रोचक है।

जब ऋषि याज्ञवल्क ने अपनी सारी सम्पत्ति को अपनी दो पत्नियों के बीच बाँटने का प्रस्ताव किया तो उनकी एक पत्नी मैत्रेयी ने पूछा– 'सम्पूर्ण पृथ्वी की सम्पत्ति मिल जाने पर क्या मैं अमर हो जाऊँगी'? याज्ञवल्क ने उत्तर दिया– धन से सब प्रकार के सांसारिक सुख मिलेंगे परन्तु अमरत्व या अमरता तो नहीं मिल सकेगी। इस पर मैत्रेयी ने कहा– 'कि महं तेन कुर्याम ये नाहं नामृता स्याम' उस वस्तु का मैं क्या करूँ जिससे मैं अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकती मुझे तो अमरत्व प्राप्त करने का मार्ग बतलाइये।

मैत्रेयी के ये अमर शब्द उस युग की भावना एवं स्वाध्याय का प्रतीक है। कठोपनिषद् का यम नचिकेता संवाद भी स्वाध्याय का प्रेरक प्रसंग है– यमराज द्वारा अनेक प्रलोभन दिये जाने पर भी नचिकेता ने दृढ़तापूर्वक कहा 'राज्य ऐश्वर्य, यौवन और स्त्रियाँ ये सब नाशवान हैं ये सब मुझे नहीं चाहिए मुझे आप ज्ञान का उपदेश दीजिए।

मानव शरीर के भीतर प्रकाशमान निर्मल आत्मा है इसे केवल कामना से रहित एवं इच्छाओं से परे स्वाध्यायी व्यक्ति ही पहचान पाते हैं।

हजारों वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति में धन, लोभ, लालच, वासना, सम्पत्ति के प्रति आसक्ति का भाव न होकर केवल संतोष और शांति में विश्वास था। वर्तमान में घटते स्वाध्याय एवं बढ़ते भोगवाद ने हमारे समस्त नैतिक मूल्यों एवं भावनाओं का पराभव कर दिया है। हिंसा, तनाव, भय, लालच, असंतोष, अवसाद, निराशा, कूरता के वातावरण में स्वाध्याय के भाव लुप्त हो गये हैं।

एक बार पुनः हमारी गौरवशाली एवं सनातन ग्रहणशील संस्कृति एवं सभ्यता के स्वाध्याय को पहचान कर बढ़ते असंतुलित जीवन को संयमित करना होगा। विशेषकर छात्र जीवन में जो नैतिकमूल्य गिरे हैं उसका कारण है हमारे पाठ्यक्रमों में स्वाध्याय के संस्कारों का अभाव, गिरते और लुप्त होते नैतिक मूल्यों को रोकने का साधन है स्वाध्याय। हमारी संस्कृति के मूल्यों को पहचानकर उन्हें वर्तमान शैक्षिक सन्दर्भ में समायोजित कर पुनः स्थापित करना होगा वरना हम शिक्षा की प्रगति में तो आगे होंगे। परन्तु शैक्षिक मूल्यों में बहुत पीछे होंगे।

उपनिषदों के स्वाध्याय की शिक्षा हमारे युवाओं के लिए आज भी अनुकरणीय है। तैत्तिरीयोपनिषद में कुछ ऐसी आज्ञाएँ हैं जिनका अनुसरण एवं मनन कर युवा कुंठा, हताशा, निराशा जैसी घातक कुप्रवृत्तियों से छुटकारा पा सकता है। ये उपदेश पथप्रदर्शक का कार्य करते हैं युवाओं के स्वाध्याय हेतु आदेश ...

सत्यं वद = सत्य बोलो। धर्मं चर = धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायान्मा प्रमदः = स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। सत्यान्न प्रमदितव्यम् = सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मान्न प्रमदितव्यम् = धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। मातृदेवोभव पितृदेवोभव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव = माता-पिता आचार्य और अतिथि को देवता मानें। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् = पढ़ने पढ़ाने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अनवधानि कर्माणि, तानि सेवितव्यानि नो इतराणि = जो निन्दारहित कार्य है उन्हीं को करो, दूसरों को नहीं।

त्याग के साथ भोग करो, किसी दूसरे के धन पर मत ललचाओ। सत्य के महत्व का सार्वभौम हमें मुण्डकोपनिषद के इस महावाक्य में मिलता है– 'सत्यमेव जयते नानृतम' अर्थात् सत्य की ही जीत होती है असत्य की नहीं। नैतिकता तथा ज्ञान में अटूट विश्वास का परिचय वृहदारण्यक उपनिषद की प्रार्थना में है– असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतः गमय। मुझे असत से सत् की ओर तम से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो।

उपनिषदों का स्वाध्याय ज्ञान आज भी मानवता के लिए विशेष महत्व का है। जर्मनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहार की अमर उक्ति दृष्टव्य है– 'उपनिषदों का स्वाध्याय ज्ञान विश्व की विचारधारा के पथ प्रदर्शन के लिए एक ज्योति है न केवल जीवन मुझे उपनिषद ग्रंथों के अध्ययन से शांति प्राप्त हुई है वरन् मृत्यु पर भी वे मुझे शांति प्रदान करेंगे।

भारतीय संस्कृति में गीता में कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग के द्वारा स्वाध्याय को अभिव्यक्त किया है।

कर्मयोग का अर्थ है– सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना। किसी भी प्रकार के फल की इच्छा मन में न रखते हुए अपना कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग का सार गीता के निम्न श्लोक में मिलता है– 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्व कर्माणि।' गीता का कर्मयोग आज के बढ़ते स्वार्थ तृष्णा तथा अपने निर्धारित कार्यों के प्रति बढ़ती उदासीनता को रोकने का कारगर साधन है। सभी कुप्रवृत्तियों का कारण तृष्णा है परन्तु निष्काम कर्मयोग के स्वाध्याय से इन पर विजय पाई जा सकती है।

ज्ञानयोग बढ़ते सांसारिक मोह समाज में पनपती हिंसा द्वेष स्वार्थ को रोकने में सक्षम है।

ज्ञान योग का संदेश है 'आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है क्योंकि यह अजन्मी नित्य और सनातन है। आत्मा देश और काल के वशीभूत नहीं होती। इसकी सत्ता सर्वत्र है यह अव्यक्त एवं विकार रहित है, आत्मा का यह स्वरूप समझ पाते ही मनुष्य के सब दुःख दूर हो जाते हैं।

प्रकृति के प्रलोभनों से उठना ही ज्ञान है, स्वाध्याय से एक बार तत्व ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति सदा के लिए अज्ञान से मुक्त हो जाता है।

भक्तियोग का स्वाध्याय सार है कि व्यक्ति मन, चित्त और बुद्धि से अपने कर्तव्य को करे अपने कर्तव्य में जरा भी प्रमाद न हो व्यक्ति दृढ़ निश्चय क्षमाशील एवं जितेन्द्रिय होकर अपना कार्य करे। किंकर्तव्य-विमूढ हुए आज के युवा के लिए गीता का उपदेश कल्याण पथ का निर्देश है।

गीता स्वाध्याय का अपूर्व ग्रंथ है यह केवल मार्गदर्शन नहीं बल्कि विश्वदर्शन है। बढ़ते अन्तर्राष्ट्रीय तनाव वर्चस्व की भावना हिंसा, द्वेष एवं साम्राज्यवादी कुप्रवृत्तियों को रोकने में समर्थ हैं। सम्पूर्ण विश्व ने भारतीय स्वाध्याय की सत्ता को स्वीकार किया है।

स्वाध्याय एवं मन को एकाग्र करने के लिए 'योग' एक महत्वपूर्ण साधन है। योग की साधना स्वाध्याय से ही सम्भव है। महर्षि पतंजलि (150 ई. पू.) द्वारा रचित 'योगसूत्र' योगदर्शन एवं स्वाध्याय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है– स्वयं महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा इस प्रकार की है– *योगश्चित्तवृत्ति - निरौध,* अर्थात् चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध करना योग है। योगदर्शन का उद्देश्य व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना जिससे वह स्वयं को मानसिक विकारों से पृथक समझे। किन्तु व्यक्ति का चित्त चंचल है और वह व्यक्ति के लिए कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करता है। योग साधना चंचल चित्त को एकाग्र करने की साधना है। चंचल चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए योग साधना के आठ अंग बताए गये हैं– **1. यम–** इसके अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की साधना कर इन व्रतों की सिद्धि की जाती है। इन यमों में अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण है। **2. नियम–** इसके अन्तर्गत शौच (पवित्रता) संतोष तप स्वाध्याय (अध्ययन) और ईश्वर प्राणिधान पर बल दिया गया है। **3. आसन–** आसन से असली योगाभ्यास शुरू होता है। जिस विधि से बैठने पर साधक को स्थिरता और सुख प्राप्त हो सके वही उसके लिए उपयुक्त आसन है। **4. प्राणायाम–** आसन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, श्वास गति का संयम प्राणायाम है। **5. प्रत्याहार–** प्रत्याहार में इन्द्रियों को उनके विषय से हटाया जाता है। **6. धारणा–** चित्त को किसी वस्तु पर स्थिर करना धारणा है, धारणा द्वारा चित्त को किसी एक स्थान में बाँधा जाता है। **7. ध्यान–** उसी स्थान या वस्तु पर चित्त को लगाकर लगाए रखना ध्यान है। **8. समाधि–** यह पूर्ण एकाग्रता (स्वाध्याय) की स्थिति इसमें बुद्धि केवल एक विशेष वस्तु के चिन्तन में पूरी तरह लीन होती है अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। इसमें चित्त को चंचल करने वाली सभी बातें दूर हो जाती हैं। चित्त का पूर्ण निरोध हो जाता है, व्यक्ति का चित्त सभी विकारों से मुक्त हो वह स्वाध्याय में लीन हो जाता है।

स्वाध्याय के व्यावहारिक उपयोग के कारण योग का महत्व सदा रहा है। योग को मानव व्यक्तित्व के सर्वोच्च विकास का साधन माना गया है।

भारतीय समाज में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, श्री अरविन्द जैसे महान स्वाध्यायी व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने जीवन को उत्कृष्ट रूप में जिया और जिनकी उपलब्धियों से समाज लाभान्वित हुआ है। योग को अपने व्यवहार में लाने वाला व्यक्ति स्वस्थ जीवन पद्धति की ओर अग्रसर होता है अतः स्वाध्याय हेतु योग व्यावहारिक एवम् उपादेय है।

वर्तमान में मनुष्य सभी साधन और सुविधाओं से युक्त होने पर भी सुखी नहीं है इसका कारण स्वाध्याय का अभाव। आज के युवा को अगर अध्ययन के दौरान ही स्वाध्याय की शिक्षा मिले तो वह संरक्षित जीवन जीने योग्य बन जाएगा। आपाधापी और बढ़ती तृष्णा के वातावरण में वह अपनी इच्छा और आवश्यकताओं को सीमित कर सकेगा।

आवश्यकता है आज के युवा को शिक्षित और दीक्षित करने की उसमें आत्मसंयम, संतोष, स्वाभिमान जाग्रत कर स्वयं को पहचानने की। शिक्षा एवं स्वाध्याय के माध्यम से युवाओं की सोई हुई चेतना को जाग्रत कर स्वावलंबन के भाव विकसित करने की। यह सब स्वाध्याय के द्वारा ही सम्भव है इसे अपनाकर की बालक के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास किया जा सकता है।

स्वामी विवेकानन्द का उद्बोधन आज भी हमारे युवाओं को संदेश दे रहा है– 'उत्तिष्ठः जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत' उठो, जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों से ज्ञान प्राप्त करो।

–प्राध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोथून, जयपुर

ग्रीष्मावकाश जलसेवा शुभारम्भ गाँधी नगर रेलवे स्टेशन, जयपुर

राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहता है। शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 12 अप्रैल, 2012 की अनुपालना में ग्रीष्मावकाश का बेहतरीन उपयोग एवं सेवा भावना के उद्देश्य से राजकीय माध्यमिक विद्यालय हरसूलिया (फागी) जयपुर के प्रधानाध्यापक द्वारा जल सेवा शिविर का आयोजन दिनांक 17 मई, 2012 से 30 जून, 2012 तक किया जावेगा। यात्रीगण जल पीकर अपना स्नेहभरा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ दिनांक 17 मई, 2012 को सायं 4.00 बजे शिक्षाविद् श्री उमाकान्त ओझा सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर के कर कमलों द्वारा किया गया। श्री ओझा ने यात्रियों को जल पिलाकर कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित की, तथा जल सेवा के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

प्रभारी श्री दीनदयाल गर्ग प्रधानाध्यापक रा.मा.वि., हरसूलिया जयपुर एवं सहायक जिला कमिश्नर भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ फागी ने अवगत कराया कि जल सेवा प्रतिदिन दोपहर 3.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक की जावेगी क्योंकि इस अवधि में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सर्वाधिक आवागमन रहता है एवं जल की भी अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जाती है। जल सेवा समिति के सभी सदस्य एवं भारत स्काउट व गाइड की छात्र-छात्राओं द्वारा निःस्वार्थ भावना से सभी यात्रियों को पानी पिलाने की भरपूर कोशिश की जाती है।

अधीक्षक श्री जी.आर. वर्मा गाँधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर के प्रति आभार व्यक्त किया गया। जिन्होंने जल सेवा शिविर की अनुमति दिलवाने में एवं रेलवे स्टेशन पर समस्त मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था तुरन्त करवा दी।

अधिशाषी अभियन्ता श्री जी.एल. जाटव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग गाँधीनगर जयपुर ने पानी का टैंकर निःशुल्क उपलब्ध करवाया।

स्वाध्याय की परिवीक्षित अध्ययन-पद्धति

❑ डॉ. राकेश कटारा

आचार्यात् पादमादत्ते। पादम् शिष्य स्वमेधया॥
पादमेकम् स्व ब्रह्मचारिभि। पादम् कालक्रमेण हि॥

महाभारत के उक्त 'हस्तानाशतक' के अन्तर्गत कहा गया है कि अध्ययनकर्ता जो कुछ भी सीखता है, उसका केवल पच्चीस प्रतिशत भाग अपने शिक्षक के माध्यम से सीखता है। जबकि पिचहत्तर प्रतिशत अधिगम वह स्वयं अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण, अन्तर्दृष्टि, विचारों के संश्लेषण-विश्लेषण, अपनी प्रज्ञा, विवेक व बुद्धि आधारित अभिप्रेरणा, अभ्यास एवं अनुप्रयोग के माध्यम से सीखता है। इसमें सहपाठियों या साथियों के साथ किया गया सम्पर्क व विमर्श भी मददगार होता है। सामाजिक सन्दर्भ के समयानुकूल की गई अन्तःक्रिया भी इसी का एक अंश होती है।

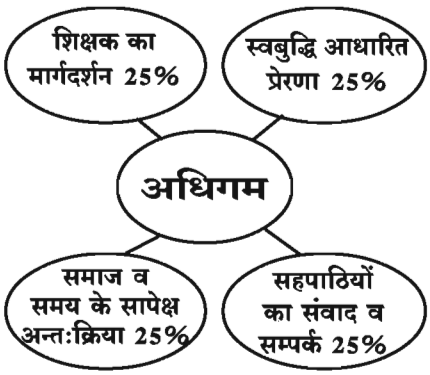

अभिप्राय है कि स्वाध्याय के लिए कोई एक पक्ष सम्पूर्ण नहीं है। स्वाध्याय हेतु मार्गदर्शन का उपयुक्त स्रोत, स्वयं की बुद्धि अभिप्रेरणा, समाज व समय के प्रसंगानुकूल अन्तःक्रिया एवं सहयोगी या सहअधिगमकों के साथ संवाद, विषय के साथ संवाद व विषय के साथ निरन्तर सम्पर्क में बने रहने की सतत् क्रिया आवश्यक होती है।

शिक्षण की परम्परागत पद्धतियों में अध्यापक के दिशा-निर्देशों पर निर्भरता अधिक रहती है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहकर स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं। इस दोष के निवारण के लिए शिक्षाविद् मौरीसन ने बोध-स्तर के शिक्षण की एक नवीन योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें विचार केन्द्रित प्रक्रिया को स्वाध्याय के एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया था। सन् 1971 में डेज्री मारविन ने परिवीक्षित अध्ययन-पद्धति का सुझाव भी दिया था। शिक्षण को कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनुरूप विकसित कर शिक्षक के मार्गदर्शन हेतु स्वाध्याय की इस पद्धति का प्रधान उद्देश्य रहा। इस पद्धति में विद्यार्थी अध्यापक के परिवीक्षण और मार्गदर्शन में अपनी समस्याओं, कठिनाइयों व अधिगम की जटिलताओं का समाधान प्राप्त करता हुआ स्वाध्यायरत रहता है। अतः यह पद्धति विद्यार्थी की क्षमता, योग्यता व अभिरुचि के अनुरूप आगे प्रगति का पूर्ण सुअवसर उपलब्ध कराती है।

इस पद्धति का उपयोग करने के क्रम में, अध्यापक एक सुनिश्चित विषयवस्तु के बोध विकास व उसके स्थाईत्व के लिए, विद्यार्थियों को सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तक के अतिरिक्त विश्वकोश, शब्दकोश, एटलस, संदर्भग्रंथ आदि उपलब्ध करवा देता है और उनका उपयोग करना सिखा देता है। जिसमें विद्यार्थी स्वाध्याय के लिए सीमित संधानों पर निर्भर न रहें बल्कि जानकारी के स्रोतों का उपयोग कौशल सीखें एवं प्राप्त शैक्षिक उपलब्धि को बहुआयामी व व्यापक बनाना भी सीखें एवं प्राप्त शैक्षिक उपलब्धि को बहुआयामी व व्यापक बनाना भी सीखें। यह कौशल उन्हें पुस्तकों के चयन व पुस्तकालय का उपयोग भी सिखाने में मदद करता है। भविष्य में विद्यार्थियों को अपनी जेब खर्च की राशि को निजी घरेलू पुस्तकालय विकसित करने की प्रेरणा भी मिलती है।

अध्यापक, छात्रों को निर्देश देता है कि उन्हें स्वाध्याय के दौरान प्रकरण की विषयवस्तु कैसे स्वयं के शब्दों में सारगर्भित करके लिखनी है। विषय-वस्तु की संक्षिप्त टिप्पणियों के निर्माण में विभिन्न पुस्तकों का तुलनात्मक व महत्वपूर्ण भाग किस रूप में रेखांकित करना है तथा उनके सन्दर्भ किस रूप में संलग्न करने हैं। तत्पश्चात् सभी विद्यार्थी स्वाध्याय करते हुए प्रदत्त निर्देशानुरूप अध्ययन की विविध सामग्रियों का उपयोग अध्ययन, मनन, महत्वपूर्ण अंशों के चयन, उनके संक्षिप्तीकरण आदि की क्रियाओं को करते हैं। अध्यापक अवलोकन करता हुआ विद्यार्थियों का सम्बलन, मार्गदर्शन व प्रबलन करता है। विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय के विकसित की टिप्पणियों का पठन-उच्चारण करवाता है और आवश्यक संशोधन व सुझाव प्रस्तुत करता है। अन्य विद्यार्थियों के भी सकारात्मक व महत्वपूर्ण सुझावों को भी संक्षिप्त टिप्पणियों में उचित स्थान पर संलग्न करवाता है। यदि उक्त समस्त प्रक्रिया एक कालांश में सम्भव नहीं हो पाती है तो शिक्षक इसे आगामी दिनों के कालांशों के लिए भी समायोजित कर सकता है।

अध्ययन-प्रिय व कुशाग्र बुद्धि के बालकों के साथ अन्य औसत या औसत स्तर से कम उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को भी लघु समूह की रचना में अध्ययन के अवसर उपलब्ध करवाता है, जिससे विद्यार्थी परस्पर आधुनिक व सामाजिक संदर्भों में विषयवस्तु पर अन्तःक्रिया करते हुए, स्वाध्याय की व्यूह रचना करते हैं। इस पद्धति का लाभ यह भी होता है कि विद्यार्थी परस्पर सहयोग भाव से जटिलताओं का समाधान प्राप्त करने की तकनीक सीखते हैं। इस पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं– • अधिकतम विषयों में इसका उपयोग करना सम्भव है। • विद्यार्थी अपनी वैयक्तिक विभिन्नता, क्षमता व प्रतिभा के अनुकूल सीख पाता है। • विद्यार्थी सक्रिय स्व-अभिप्रेरित रहकर ज्ञानार्जन करता है। • निर्मितवादी अधिगम प्रक्रिया के अनुरूप शिक्षक केवल अधिगम संसाधनों का उपलब्धकर्ता व स्वाध्याय हेतु वातावरण निर्माणकर्ता होता है। • विद्यार्थी में ज्ञानार्जन क्षेत्र की स्वावलम्बन योग्यताएँ विकसित की जा सकती हैं। • गृहकार्य लिखित रूप में देने की आवश्यकता नहीं होती है। • शिक्षक, आगामी दिन में पढ़ाई जाने वाली विषय-वस्तु के नवीन सम्प्रत्ययों की खोज, उनका अर्थ, अभिप्राय व विषयवस्तु में उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है आदि तथ्यों का ज्ञान विद्यार्थियों को करने का आधार इस पद्धति से उपलब्ध करवा सकता है। • भाषागत लेखन प्रवीणता का विकास करने में भी यह पद्धति मददगार है।

–केशव विहार, साकेत नगर, अजमेर

शिक्षा में स्वाध्याय का महत्त्व

❑ सम्पतलाल शर्मा 'सागर'

बेकन ने अपने लेख में लिखा है कि 'सत्य के उत्कृष्ट धरातल पर खड़े होने से बढ़कर जीवन में कोई दूसरा आनंद नहीं होता। 'बेकन के इस कथन को यदि शिक्षा के क्षेत्र में लागू करें तो बड़े संभ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। जीवन के विभिन्न आनन्दों में शिक्षा को शामिल करना विशेषकर आज के भौतिकवादी युग में बड़ा अटपटा प्रतीत होता है। अधिकांशतः शिक्षा का जो स्वरूप शिक्षालयों तथा समाज में आज दिखाई दे रहा है, मेरी समझ में तो वह उसका अत्यन्त विकृत स्वरूप है।

आजकल जैसी शिक्षा शिक्षकों द्वारा दिलवाई जा रही है वह शिक्षा कम तथा निर्देशन अधिक है। यह निर्देशन बच्चों के बौद्धिक स्तर में अपेक्षित वृद्धि करने में बुरी तरह असफल रहा है। हाँ इसने बच्चों के मस्तिष्क में, उनकी स्मृति-मंजूषा में ठूँस-ठूँस कर आंकड़े और सूत्र भरने के हास्यास्पद प्रयास अवश्य किए हैं। बिना बच्चे के उचित अभिरुचि-परीक्षण के ठूँसा-ठाँसी का यह खेल बच्चों का शिक्षा से विमुखीकरण कर रहा है। परिणामस्वरूप बच्चों में स्वाध्याय के प्रति रुझान घट रहा है। वे ट्यूशन की बैसाखियों के सहारे चलने वाले मानसिक विकलांग बन रहे हैं और उनका जीवन अमरबेल की भाँति होता जा रहा है।

मेरी मान्यता है कि देश के भावी कर्णधारों को 'ट्यूशन' तथा 'एजूकेशन' दोनों विद्यालय में ही प्रदान किए जाएँ। 'ट्यूशन' तथा 'एजूकेशन' इन दोनों शब्दों को मैं अत्यन्त व्यापक तथा छात्रों के लिए कल्याणकारी अर्थों में प्रयुक्त कर रहा हूँ। संकीर्ण एवं स्वार्थपरक अर्थों में नहीं। पर खेद है कि वर्तमान में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है न तो 'ट्यूशन' है और न ही 'एजूकेशन' सीधी-सादी भाषा में इसे शासन द्वारा कक्षाओं में कराई जाने वाली पाठ्यक्रमों की ड्रिल कह सकते हैं। जिससे देश की उदीयमान पीढ़ी की बौद्धिक क्षमताओं का निरन्तर ह्रास हो रहा है। यह पीढ़ी शिक्षा में स्वाध्याय के महत्त्व को भलीभाँति नहीं समझ पा रही है।

शिक्षकों की मौजूदा कार्यप्रणाली कष्टप्रद है। ज्यादातर शिक्षकों ने पढ़ाना तो कम कर ही दिया है साथ ही स्वयं पढ़ना भी छोड़ दिया है। सम्बन्धित विषय अध्यापक के घर यदि छापा मारा जाय तो सम्बन्धित विषय की उच्चज्ञानवर्धित पुस्तकें न मिलकर गाइड व कुंजियों का जखीरा मिलेगा। जिससे उनकी गरिमा शर्मसार हो रही है। उनकी पहचान बदल रही है।

यह एक विचारणीय प्रश्न है कि यदि शिक्षक स्वाध्याय नहीं करेगा तो ज्ञान कहाँ से होगा। बिना स्वाध्याय के हमारी आँखें नहीं खुलती। स्वाध्याय एक चक्षु है उससे नई-नई बातों का ज्ञान होता है। आज से दो-तीन शताब्दी पहले आदमी को पता नहीं था कि अमेरिका कहाँ है? वह अणु अस्त्रों के बारे में और उनके परीक्षण के बारे में नहीं जानता था। वह ज्ञान कहाँ से आया? वह पढ़ता है, पढ़ने से ज्ञान हो गया। पढ़ना व्यर्थ नहीं है। क्या पढ़ें? क्यों पढ़ें? यह विवेक अवश्य होना चाहिए। स्वाध्याय बहुत आवश्यक है, इसलिए कहा है शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए पुस्तक चक्षु है जिस तरह से एक योगी के लिए शास्त्र चक्षु है। योगी का ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। वह बाहर के विभिन्न स्रोतों से अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। अध्ययन करना जरूरी है। स्वाध्याय हमारे जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इसी दृष्टि से शायद हमारे भाष्यकारों ने लिख दिया– 'स्वाध्याय के समान कोई बड़ा तप नहीं है।' स्पष्ट है कि स्वाध्याय भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, परन्तु वह एक साधन है, एक पथ है। स्वाध्याय न तो साध्य है और न ही जीवन का परम लक्ष्य है। यह अभीष्ट को, अमृत्व को और मोक्ष को पाने का एक प्रयास मात्र है। सारा दिन पुस्तकों में उलझे रहना हमारी निष्क्रियता और सुस्ती का परिचायक है। यदि सारा दिन पुस्तकों में उलझे रहना ही स्वाध्याय है तो ऐसा स्वाध्याय हमारे जीवन का सौंदर्य या अलंकार नहीं हो सकता। अपितु इसे एक आडंबर ही कहा जाएगा। केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर दिन-प्रतिदिन की समस्याओं से निबटना एक मजाक है, यथार्थ नहीं। हमारी दैनिक समस्याओं का निदान प्रकृति की खुली पुस्तक में और हमारे अनुभवों में निहित होता है।

हमारी शिक्षा-व्यवस्था में पुस्तकीय ज्ञान को आस्था तथा पूजा की सीमा तक महिमा-मण्डित किया गया है। शिक्षाविदों की यह सोच भी शिक्षा को एकांगी बना रही है। इस बिन्दु पर आकर शिक्षा मात्र एक निर्देशन रह जाती है। यह वह स्थिति है जहाँ बालक की स्मरण शक्ति का प्रशिक्षण आरम्भ होता है। यहीं से शिक्षा में रटने की प्रवृत्ति का आविर्भाव होता है और बौद्धिक परिष्करण की इतिश्री हो जाती है। इतिहास की महत्त्वपूर्ण तिथियों, सम्राटों के नामों और विश्व के महत्त्वपूर्ण स्थानों की लम्बी सूची उन्हें रटायी जाने लगती है किन्तु यह नहीं बताया जाता कि इन सूचियों का उनके दैनिक जीवन से क्या सम्बन्ध है? बल्कि बालकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे अपने विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों की सम्पूर्ण विषय सामग्री सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध ढंग से पढ़ने की आदत बनायें और पढ़ाई के दौरान समझ में न आने वाली बातों को अपनी कक्षा में विषय से सम्बन्धित अध्यापक से समझने का प्रयास करें। अध्ययन के सम्बन्ध में अपने सहपाठी अथवा अन्य किसी योग्य व्यक्ति से सहायता लेना न भूलें और न ही किसी तरह का संकोच करें।

जब कक्षा में परस्पर प्रेमभाव तथा अभेद दृष्टि से विद्यार्थी ज्ञानार्जन करेंगे तब उनके हृदयज्ञान की ज्योति स्वयंमेव प्रज्वलित होगी। अध्ययन किए गए विषयों पर परस्पर चर्चा द्वारा शंकाओं का निवारण हो सकेगा। साथ ही एक शिक्षक को नित्य स्वाध्याय करना परमावश्यक है तभी ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होगा। रात-दिन जो ज्ञानधन प्राप्त करने के उपयोग में ही लगा है यही शिक्षक की सच्ची कर्त्तव्यपरायणता है। जिसे निष्ठा और श्रद्धा कहा जाता है, वह श्रद्धा शिक्षक में है या नहीं इसका प्रमाण शिक्षक की

ज्ञान पिपासावृत्ति से और इसके निमित्त किए गए श्रम से मिल सकता है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री गिजुभाई ने अपनी पुस्तक 'प्राथमिक शाला में शिक्षक' में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि 'आज हम लोग हल्दी की गाँठ लेकर बैठे हैं और इसी के बल पर पंसारी बने हुए हैं। पीसते हैं और रोटी पकाते हैं। सबेरे हम पाठ्यपुस्तक का नाम सुनते हैं। दोपहर को उसे पढ़ते हैं और शाम को उसे पढ़ाने निकल पड़ते हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति पैदा करने से हम स्वयं को बचाएँगे नहीं तो हम भावी विद्यार्थियों पर बहुत बड़ा अत्याचार कर बैठेंगे। धर्म हमें याद दिलाता है कि हमें ज्ञान सम्पन्न बनना है। इसके लिए स्वाध्याय नितान्त आवश्यक है ताकि हमारे पास वास्तविक ज्ञान हो अर्थात् जब हमारा अध्ययन पूरा हो जाएगा तभी हम दूसरों को अध्ययन करा सकेंगे और तभी हम सच्चे शिक्षक के रूप में उभर सकेंगे।'

प्रभावी शिक्षण का सूत्र है 'पहले स्वयं जानो, फिर व्यक्त करो और छात्र के जीवन में ज्ञान की अनुभूति होने दो।' शिक्षक को सदैव इस सूत्र का प्रयोग करते हुए शिक्षण करवाना चाहिए ताकि शिक्षा जगत में हो रहे नित्य नव्य शिक्षण प्रणालियों, पद्धतियों के आविर्भाव के बारे में गहन जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। फलस्वरूप वह अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्व के कुशलतापूर्वक निर्वहन में सफल हो सके।

महाकवि कालिदास ने अध्यापकों के व्यावसायिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में कहा है कि– *'श्लिष्टा क्रिया कयस्पाचिदात्म संस्था/ संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता।/यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितत्य एव।।* ***(मालविकाग्निमित्रम् 1/16)***

अर्थात् अध्यापक को अपने विषय पर तो अधिकार होना ही चाहिए; साथ ही अध्यापन क्षमता भी उत्कृष्ट कोटि की होनी चाहिए। जिससे छात्रों को श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ मिल सके तभी अध्यापक समाज में अपना स्थान बना पाता है। राग, द्वेष से लिप्त अथवा पूर्वाग्रह से ग्रस्त अध्यापक इस कार्य को करने में असफल रहता है। महाकवि कालिदास की यह युक्ति अध्यापकों को स्वाध्याय के प्रति उत्साहित करने में सार्थक है।

स्वाध्याय शिक्षक को ऊर्जावान व ज्ञानवान बनाता है। ज्ञानवान शिक्षक के सम्बन्ध में श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं– 'जब कमल खिलता है तो मधुमक्खियाँ स्वयं ही उसके पास मधु लेने आ जाती हैं। वैसे ही जब तुम्हारा चरित्र व ज्ञानरूपी कमलपूर्ण रूप से खिल जाएगा तब सैकड़ों लोग तुम्हारे पास शिक्षा लेने आयेंगे।'

अर्थात् शिक्षक को ज्ञानवान के साथ-साथ चरित्रवान भी होना चाहिए शिक्षक देते हैं, छात्र ग्रहण करते हैं, इसलिए शिक्षक के पास कुछ देने को होना चाहिए। दे कौन सकता है इस संदर्भ में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, 'जो मोमबत्ती खुद को लगातार जलाती नहीं रख सकती वह दूसरों को रोशनी नहीं दे सकती।'

गुरुदेव की बातों को यदि अधिक विस्तार से देखें, तो यही दिखता है कि जो अध्यापक अपना आन्तरिक विकास नहीं कर पा रहा है वह छात्रों का क्या करेगा। जो स्वयं मानसिक रूप से विकसित नहीं हो रहा है वह विद्यार्थियों के मानसिक विकास में कैसे सहयोग कर सकता है। अर्थात् जो स्वयं अध्ययन नहीं करता है वह छात्रों को स्वाध्याय हेतु कैसे प्रेरित कर सकता है।

स्पष्ट है कि उत्कृष्ट शिक्षण व शिक्षा के लिए शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों का स्वाध्यायी होना परम आवश्यक है। भारत सन्यासियों की तपस्थली रहा है, जहाँ पर नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा फलती-फूलती रही है। जहाँ तक मेरा मानना है यदि शिक्षक वर्ग शिक्षार्थियों को सकारात्मक, रचनात्मक, सर्जनात्मक चिन्तन करना सिखा दें तो आदर्श नागरिक एवं आदर्श राज्य की कल्पना साकार हो जाएगी। स्वाध्याय, विषय-मर्मज्ञता, अध्यापन कुशलता एवं चरित्र की पवित्रता इन्हीं प्रमुख गुणों के तादात्म्यीकरण से शिक्षक का व्यक्तित्व बनता है जो समाज के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय होता है। यही उसे लोकप्रिय प्रदान करता है तथा इसी से अमरत्व की प्राप्ति भी होती है।

अतएव हमें अपने दायित्वों के प्रति सजग होकर आत्मविश्वास से निष्ठापूर्वक देश की भावी पीढ़ी के विकास के लिए समर्पित मन से मानवोचित गुणों को ध्यान में रखते हुए हृदय की अनंत गहराईयों के साथ शिक्षा में स्वाध्याय के महत्त्व को अंगीकार करना चाहिए ताकि हमारा शिक्षण व अधिगम अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सके। इसी में शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शैक्षिक जगत का कल्याण है।

–रा.उ.प्रा.वि. सोनियाना, पो. गिलूण्ड (राजसमंद)

स्वाध्याय और शिक्षार्थी

❑ **एम.एल. जांगिड़**

स्वाध्याय विद्यार्थी ही नहीं बल्कि प्रत्येक शिक्षक और नर-नारी के लिए हितकर एवं आवश्यक है। स्वाध्याय आदर्श जीवन की कुंजी है तथा समुन्नत बनाने का शुभ मार्ग है। स्वाध्याय व्यक्तिगत विचारों को परिष्कृत कर परिपक्वता प्रदान करता है। स्वाध्याय से शंकाओं का समाधान होता है। इससे शुभ संकल्प, आत्मविश्वास, नैतिकता, संस्कार, स्थायी-स्मृति आदि का उद्भव होता है। फलस्वरूप आत्मिक सुख एवं शांति का अनुभव होता है, अतः स्वाध्याय से किसी व्यक्ति की सोच, व्यवहार, स्वभाव और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और चरित्र निर्माण में दृढ़ता आती है।

महापुरुषों, संतों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, समाज-शास्त्रियों आदि का मुख्य आधार ही रहा– स्वाध्याय। उन्होंने स्वाध्याय के आधार पर अपने ज्ञान का भण्डार भरकर अपने सपनों एवं योजनाओं को साकार किया।

मनोविज्ञान एवं शिक्षा में अधिगम (सीखना) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक एवं पर्यावरणीय प्रभावों और ज्ञान प्राप्ति एवं बढ़ोत्तरी, कौशल, मूल्यों आदि का अनुभव है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सूचनाओं की प्राप्ति, प्रक्रिया और उपयोग हैं। मेरियम एवं केफेरेला के अनुसार अधिगम या सीखने के चार उपागम हैं– व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी और सामाजिक स्वामी विवेकानन्द ने व्यक्ति के सीखने और ज्ञान प्राप्ति की क्षमता के बारे में अभिव्यक्त करते हुए बताया– 'मानवता का लक्ष्य है ज्ञान, ज्ञान मानव में सन्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं

आता। यह सब अन्दर ही होता है ... मानव वास्तव में क्या सीखता है? वह अपनी आत्मा के पर्दे को हटाता है जिसके अन्दर अनन्त ज्ञान का भण्डार है।'

गाँधी जी बताया– 'असली मुश्किल तो यह है कि लोगों को सही शिक्षा क्या है, के बारे में कोई विचारों की स्पष्टता नहीं है', अन्यत्र कहा, 'सीखने की अवधारणा केवल पाठ्यपुस्तकों से पूरी नहीं की जा सकती है।'

श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार, 'स्वाध्यायाभ्यसन चैव वाङ्मयं तप उच्चेत', अर्थात् स्वाध्याय ही प्राणी का तप है। योग शास्त्रों में वर्णित है– 'त्रयोधर्म स्कन्धा यज्ञोऽध्याय नम दानमिति', अर्थात् धर्म के तीन आधार हैं– यज्ञ, स्वाध्याय और दान।

भारतीय वैदिक साहित्य और धर्मग्रन्थों में स्वाध्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 'योग' शब्द का विशद् उपयोग किया गया। 'योग' का अर्थ है– 'युज' अर्थात् जोड़ना। इसका उपयोग शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में होता आया है। यहाँ 'योग' का मूल लक्ष्य आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि का पूर्ण विकास करना था। हिन्दू, जैन, बौद्ध धर्म आदि में 'योग' के महत्व पर बल दिया गया। द्वितीय शताब्दी पूर्व पतंजलि ने 'योग' को नया आयाम दिया। पतंजलि ने योग के 'अष्टांगिक मार्ग' में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एवं समाधि को उच्च स्थान दिया। 'नियम' में पाँच आयाम वर्णित हैं जिसमें एक है– स्वाध्याय। यहाँ स्वाध्याय का सामान्य संदर्भ है– आत्मा एवं परमात्मा सम्बन्धित वैदिक साहित्य (धर्म ग्रन्थों) का अध्ययन करना। पतंजलि के इस 'योगदर्शन' का विस्तार से अध्ययन करें तो यह मानव के स्वस्थ, सुखी और समुचित विकास का सर्वोत्तम, अनुकरणीय और अद्वितीय मार्ग बताता है। ऐसी स्थिति में स्वाध्याय के संकीर्ण अर्थ को लेना उचित नहीं। व्यापक अर्थ में स्वाध्याय है– 'मानव द्वारा आध्यात्मिक एवं लौकिक सत्साहित्य का स्वयं के द्वारा अध्ययन करना जिससे मन प्रसन्न हो, शरीर स्वस्थ हो तथा जीवन के विविध आयामों में समुचित विकास प्राप्त हो।'

प्राचीन मिश्र सभ्यता में भी स्वाध्याय से मिलता-जुलता शब्द प्रयुक्त किया जाता था– ऑटोडिडेक्टिज्म (Autodidacticism या Autodidactism) अर्थात् स्वयं द्वारा अध्ययन करना।

अतः स्वाध्याय का संकीर्ण शब्दों में अर्थ है– 'स्वयं द्वारा अध्ययन करके सीखना।' और पुरातन काल के संदर्भ में अर्थ है– 'वेद एवं वेद से सम्बन्धित धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना' वर्तमान संदर्भ में स्वाध्याय का अर्थ होगा– 'अपनी रुचि एवं सुविधा के अनुसार किसी विषय एवं साहित्य का अध्ययन करना जिससे ज्ञान परिमार्जित होता है, दक्षता एवं कौशल बढ़ता है तथा सकारात्मक सुधार होता है।'

संस्थाओं की भूमिका– परम्परागत शिक्षा संस्थाएँ मात्र ही ज्ञानप्राप्ति के स्रोत नहीं हैं बल्कि ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति किसी भी स्रोत से की जा सकती है। यह नितान्त व्यक्तिगत विषय है कि बालक, विद्यार्थी या व्यक्ति किस प्रकार और किस माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। आजकल कम्प्यूटर, इन्टरनेट, टेबलेट पीसी, मोबाइल, इन्टरेक्टिव सीडी-डीवीडी आदि अनेक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ऑन-लाइन या ई-लर्निंग की सुविधा चौबीस घण्टों उपलब्ध है जो समय, देश आदि सीमाओं से बिल्कुल मुक्त है। यह भी संभव है कि किसी व्यक्ति/विद्यार्थी को किसी दिशा-निर्देश, व्यक्ति या संस्था की भी जरूरत न हो।

बॉब वेब्ब के अनुसार– 'स्वाध्याय ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से जो कुछ आप चाहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं। वह कार्य कर सकते हैं। स्वाध्याय के लिए अर्थ, नियत समय या नियमित जीवन की आवश्यकता नहीं। इसके विकल्प पूर्णतः लचीले हैं। इससे उपलब्धियाँ अनगिनत हैं, तुम अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हो।'

ऐसे अनेकानेक अविस्मरणीय उदाहरण हैं जो अपने स्वाध्याय के बलबूते पर अद्वितीय कृत्य कर गए। एकलव्य का उदाहरण तो विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है। कवि तुलसीदास, कवि कालीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, सी.वी. रमन, गणितज्ञ रामानुजम, अब्राहिम लिंकन, थॉमस एडीसन, ग्राह्मबेल, हेनरी फोर्ड, राईटबन्धु आदि इनमें से कतिपय उदाहरण हैं।

स्वाध्याय कैसे संभव?– स्वाध्याय जितना आसान दिखता है उतना ही कठिन होता है, अक्सर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के केरियर बाबत स्वाध्याय करने के लिए जोर देते हैं परन्तु बिना रुचि एवं वातावरण स्वाध्याय संभव नहीं। स्वाध्याय को प्रेरित करने के कई आयाम हो सकते हैं यथा विषयवस्तु में रुचि, जिज्ञासु प्रवृत्ति, सहपाठियों की प्रकृति, मल्टीमीडिया की उपलब्धता, बैठने की क्षमता, शांत एवं सुखद वातावरण, पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की उपलब्धता, कॉमिक्स, काव्य-कहानी आदि में माता-पिता तथा गुरुओं की अध्ययन प्रवृत्ति आदि।

विद्यार्थियों में स्वाध्याय एवं लाभ– विद्यार्थियों के संदर्भ में स्वाध्याय का अर्थ है– अपने विषय की रुचि एवं क्षमता के अनुरूप स्वयं-अध्ययन करना, आजकल कम्प्यूटर, इन्टरनेट, मोबाइल, कोचिंग आदि के कारण विद्यार्थियों की पढ़ने की प्रवृत्ति कमतर होती जा रही है और लेखन क्षमता भी क्षीण होती जा रही है। विद्यालय में कक्षा-अध्ययन के बाद कोचिंग कक्षाओं में भागदौड़ करने वाले विद्यार्थियों के स्वाध्याय हेतु समय ही कहाँ मिल पाता है। कम्प्यूटर आदि पर आवश्यकता से अधिक समय देने पर मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक व्यवहार के क्षेत्रों में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

पेरी के अनुसार– 'स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी कठिन कार्यों के करने के अवसर लेते हैं, सीखने का अभ्यास करते हैं, विषय को गहराई तक समझते हैं और अकादमिक स्तर में उच्च उपलब्धि प्राप्त करते हैं।

जिम्मरमेन ने स्वाध्याय के लिए तीन गुण बताये– स्वयं-निरीक्षण, स्वयं-मूल्यांकन और स्वयं-प्रतिक्रिया। यह सुनिश्चित है कि स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी अपने विषय एवं विविध सूचनाएँ लम्बे समय तक अपनी स्मृति में बनाये रखते हैं। जब भी इनकी जरूरत होती है तो इन्हें अपने कार्यों में प्रयुक्त करते हैं। अतः स्वाध्याय से विद्यार्थी को लाभ ही लाभ होते हैं और उपलब्धियाँ भी सकारात्मक तथा स्वर्णिम प्राप्त होती है, यथा– • ज्ञान का विस्तार। • शंकाओं का समाधान। • स्मृति में वृद्धि। • नूतन आयामों की प्राप्ति। • आत्मविश्वास में वृद्धि। • सफलता में सुनिश्चितता। • आत्मनिर्भरता में वृद्धि। • रचनात्मकता में वृद्धि।

–IV E-238, जे.एन.वी. कॉलोनी, बीकानेर

ऊर्जा स्रोत स्वाध्याय

❑ देवेन्द्र पण्ड्या

शिक्षा प्राप्त करने के तीन आधार स्तम्भ हैं– अधिक निरीक्षण करना, अधिक अनुभव करना एवं अधिक स्वाध्याय करना। ऐसा मानते हैं शिक्षाविद् केथराल। इन तीनों स्थितियों में परिलक्षित होता है, ज्ञानार्जन अथवा सीखने का आधारभूत पक्ष अन्योन्य क्रिया (Interaction)। बालक Interaction द्वारा तीन प्रकार से सीखता है। उसमें पहला है परस्पर सीखना जिसमें किसी बालक व दूसरे बालक के बीच Interaction होता है, दूसरा जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच होने वाला Interaction जिसे निदेशित सीखना कहते हैं तथा तीसरा जिसमें बालक व अधिगम साहित्य के बीच सम्बन्ध बनता है इसे स्वाध्याय से सीखना कहते हैं। परन्तु अन्योन्य क्रिया Interaction द्वारा सीखने की इन तीनों क्रियाओं में स्वाध्याय से अर्जित शिक्षा द्वारा तैयार हुआ व्यक्ति अधिक ऊर्जावान एवं सामर्थ्यवान होता है। क्योंकि स्वाध्याय व्यक्ति को स्वचालित बनाता है। जिस प्रकार एक स्वचालित मशीन जिस उद्देश्य से निर्मित की गई होती है और जब वह उस उद्देश्य को पूरा कर देती है तो वह उसके निर्माण की सार्थकता सिद्ध करती है। इसी प्रकार स्वाध्याय से अर्जित शिक्षा अच्छी शिक्षा होती है तथा यही अच्छी शिक्षा अच्छे भाग्य के समान हो जाती है। संक्षेप में अच्छी शिक्षा बालक के व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध बनाते हुए उसे समाज का उत्पादक एवं उपयोगी नागरिक बनाने में सहायक होती है। आगे चलकर स्वाध्याय से अर्जित यह शिक्षा राष्ट्रीय जीवन की प्रगति, समृद्धि एवं रक्षा में भी मुख्य घटक बन जाती है। अतः आवश्यकता है स्वाध्याय पर विशेष बल देने की।

इसमें सन्देह नहीं कि निदेशित सीखने की क्रिया से सीखने वाला निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है परन्तु इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति की क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता तथा इस प्रकार कार्य करने की शैली आदत बनकर व्यक्ति को पराश्रित कर सकती है। अतः महत्व इस बात का है कि बालक केवल निर्दिष्ट राह पर चलना ही नहीं सीखे अपितु वो अपनी स्वयं की राह का निर्माण करना भी सीख सकें। केवल सीखना ही पर्याप्त नहीं, सीखने की आदत का निर्माण करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय में मुख्यतः तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं।

पहली बात जिसमें स्वाध्यायी व्यक्ति ही स्वयं मुख्य एवं केन्द्र की स्थिति में होता है। अतः हमें सर्वप्रथम स्वाध्यायी व्यक्ति के Aptitude अभिरुचि को समझने की आवश्यकता होती है। क्योंकि उसके Aptitude के आधार पर ही धीरे-धीरे उसका Attitude बनता जाता है। Aptitude में सीखने वाले की अभिरुचियाँ, उसका रुझान, उसकी योग्यताएँ तथा विषय जिसे उसको सीखना है उससे उसका सम्बन्ध एवं उसकी आवश्यकता आदि बातें जुड़ी हुई होती हैं।

दूसरी बात स्वाध्यायी व्यक्ति को अध्ययन हेतु उसकी अभिरुचि उसके स्तर तथा उसकी आवश्यकतानुसार अध्ययन सामग्री की सहज उपलब्धता आदि बातें भी देखी जाती हैं।

तीसरी बात है सीखने हेतु समुचित निर्देशन, प्रेरणा व प्रोत्साहन तथा उपयुक्त वातावरण। यह बात सीखने के निदेशित रूप की ओर संकेत करती है। प्रारम्भिक अवस्था में निर्देशन आवश्यक होता है। शनैः-शनैः यही निदेशित सीखना सीखने वालों को स्वाध्याय की ओर प्रेरित करता है। यहाँ पर एक अनुभूत घटना का जिक्र करना प्रासंगिक लगता है। एक बार मैं अपने ही गाँव के सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय में एक बालिका पाठक के पास बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। तभी बालिका कभी मेरी ओर तथा कभी अखबार की ओर देखती जा रही थी। अखबार पढ़ने की जिसकी जिज्ञासा समझकर मैंने अखबार उसकी ओर बढ़ा दिया। तब वह बोली मुझे अखबार पढ़ना नहीं आता। मैंने पलट कर प्रश्न किया कि जब तुम कहानी वाली पुस्तक पढ़ सकती हो तो फिर अखबार क्यों नहीं? तब वह बोली सर, अखबार में क्या पढ़ने का होता है मुझे कुछ पता नहीं चलता। अब मेरे मन में एक सवाल खड़ा हो गया कि छोटे बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं? वस्तुतः बच्चों को कभी यह बताया ही नहीं जाता कि अखबार में क्या-क्या बातें पढ़ने की होती हैं? बच्चों के लिए अखबार पढ़ने का तरीका क्या होता है? तथा उन्हें अखबार पढ़ना कैसे प्रारम्भ करना चाहिए आदि। तब मैंने ऐसे ही और जिज्ञासु बाल पाठकों को एक साथ बैठाकर इस प्रकार बताया। देश व दुनिया में तथा हमारे आसपास क्या हो रहा है यह हमें बताता है अखबार। हमें पत्र तथा पत्रिकाओं के नाम दिनांक तथा उसकी समयावधि अर्थात् दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक आदि की जानकारी भी करनी चाहिए। यदि हम अखबार पढ़ रहे हैं तो हमें काले गहरे बड़े अक्षरों के शीर्षक को पहले पढ़ना चाहिए तथा जो हमें अच्छा लगे उसे पहले पढ़ना चाहिए। बच्चों, अखबार में बच्चों का पन्ना, खेल जगत, विशेष समाचारों हेतु 'न्यूज इन बॉक्स' शब्दजाल, वर्ग पहेली, 'लर्निंग इंगलिश' आदि के पृथक-पृथक पृष्ठ होते हैं। तब बालकों की रुचि बढ़ती गई तथा श्यामपट्ट पर भी प्रतिदिन लिखना प्रारम्भ किया कि 'आज यह पढ़ें'। देखते ही देखते बच्चों में होड़ लग गई। चन्द दिनों में वाचनालय का नजारा ही बदल गया।

अस्तु तब यह अनुभव हुआ कि समुचित निर्देशन स्वाध्याय का मार्ग प्रशस्त करता है। काश हमारे प्रारम्भिक व उ.प्रा. विद्यालय में इस बात के लिए थोड़ा व्यवहार करने की ओर ध्यान दिया जाता तो ग्रामीण बालक उपेक्षा के शिकार न होकर झिझकने के बजाय अध्यापन के समय प्रश्नोत्तर काल में आगे बढ़कर उत्तर बताने को तत्पर दिखाई देते। मेरे मन में बार-बार विचार आता है कि काश विद्यालयों में पुस्तकालय खुले रहते, काश बालकों को सन्दर्भ साहित्य पढ़ने को उत्प्रेरित किया जाता, काश बालकों को छोटी अवस्था में ही वाचनालय के लाभों की जानकारी प्राप्त होती रहती तो आज जितना श्रम अध्यापक एवं अभिभावक दोनों ही को बालकों में Reading habit cultivation के लिए करना पड़ रहा है वो समस्या ही पैदा नहीं होती।

वस्तुतः बालकों को स्वाध्याय की ओर उन्मुख करने के हमारे प्रयास शिक्षा को सार्वजनीन बनाने तथा उसे गुणवत्ता का सुदृढ़ आधार प्रदान करने को सशक्त करते हैं। कहाकवि अल्फ्रेड़ टेनिसन द्वारा इसी सन्दर्भ में कही गई बात प्रासंगिक महसूस होती है। उनके अनुसार Self Knowledge, Self Revernence and Self Control, these three things lead to power. इस प्रकार स्वाध्याय से विद्या (ज्ञान तथा सभी प्रकार की विद्या), विद्या से ऊर्जा, ऊर्जा से गति तथा गति से लक्ष्य सिद्धि एवं लक्ष्य सिद्धि से आत्मिक संतोष की राह प्रशस्त होती है। यहाँ विद्या से हमारा तात्पर्य नित्यानित्य वस्तु का विवेक प्रदान करने वाली शक्ति धारा से है।

–देवेन्द्र पण्ड्या, सिविल लाईन्स गढ़ी,
बांसवाड़ा (राज.)

पुस्तक परिचय

राड़ आडी बाड़ (राजस्थानी क्षणिकाएँ); रामजीलाल घोड़ेला 'भारती'; चन्द्र साहित्य प्रकाशन, लूणकरनसर, बीकानेर; संस्करण : 2012; पृष्ठ संख्या : 80; मूल्य : 130 रुपये।

राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के पुनः सक्रिय होने से राजस्थानी जगत में नित्य नये प्रकाशन सामने आ रहे हैं। रामजीलाल घोड़ेला 'भारती' कृत 'राड़ आडी बाड़' राजस्थानी क्षणिकाओं का संग्रह है जो अकादमी की पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना के अन्तर्गत हाल ही में प्रकाशित हुआ है। शिक्षक-साहित्यकार रामजीलाल घोड़ेला बाल-साहित्य के क्षेत्र में जाना-पहचाना नाम है। पत्र-पत्रिकाओं व शिक्षक दिवस प्रकाशनों में उनकी रचनाओं का नियमित प्रकाशन उनकी सक्रियता को सिद्ध करता है।

हिन्दी-राजस्थानी के प्रतिष्ठित रचनाकार कीर्तिशेष नानूराम संस्कर्ता को समर्पित इस संग्रह में कुल 216 क्षणिकाएँ शामिल की गई हैं। चार-चार पंक्तियों की क्षणिकाओं में सामाजिक जीवन की विसंगतियों व व्यवस्था की विद्रूपताओं के साथ व्यक्ति-व्यवहार के छल-छद्मों पर कवि ने तीखा व्यंग्य किया है।

संग्रह की छोटी-छोटी क्षणिकाओं में जीवन का बड़ा सत्य उजागर हुआ है। शीर्षक कविता 'राड़ में कवि लिखता है– 'स्याणा सोता कैवे बात/करो मत ना राड़/इण सूं तो चोखी है/राड़ आडी बाड़।' आपसी कलह को टालने में ही भलाई का यह खरा सत्य पीढ़ियों के अनुभव का सार है। 'उपहार' क्षणिका 'एक के साथ एक मुफ्त' के बाजारवादी प्रपंच को बड़ी सहजता से उद्घाटित कर देती है। बानगी देखिए– 'दो रै सागै अेक फ्री/चोखो लागै उपहार/घरै पूगतां ई हुयजै खराब/रिपिया जावै बेकार।' इसी प्रकार विद्युतचालित साधनों की बजाय मटकी के पानी को स्वास्थ्य के हित में बताने का चिकित्सकीय नजरिया 'फ्रीज' क्षणिका में कुछ इस तरह व्यक्त हुआ है– 'ठण्डो पीवण वास्तै/ल्यायो अेक फ्रीज/ठण्डो पाणी पी'र/बणग्यो मरीज।' साहित्य में पुरस्कारों की राजनीति को 'पुरस्कार' क्षणिका– 'लेवण खातर/पुरस्कार/सेवणो पड़ै/तिरस्कार।' महज छः शब्दों में बापर्दा कर कड़वी सच्चाई को सामने ला देती है। 'बिना देख्यां/कलैण्डर/मिलै कोनी/सिलैण्डरा' (सिलैण्डर) गृहणियों को ईंधन के सदुपयोग के बारे में सावचेत करती है तो 'स्कूल रो नाम/बाल निकेतन/मास्टरां नै कोनी/पूरो वेतन।' शिक्षा-प्रणाली के खुरदरे यथार्थ से रूबरू करवा देती है। 'ओळा' शीर्षक से 'बादल गरज्या/पड्या ओळा/छोरा बुहारगै/भर लिया झोळा।' जैसे बिम्ब पाठक को काव्यरस से सराबोर कर देते हैं।

स्तरीय रचनाओं के साथ इस संग्रह में ऐसी क्षणिकाओं की भी कमी नहीं है, जिनमें भाव गौण है और तुकबंदी हावी। मसलन 'रेल में लाग्यो नौकरी/बणग्यो टी.टी./अेक दादै सूं भिड़ग्यो/बजा दी बण सीटी।' में टी.टी. और सीटी के तुक साम्य के अलावा मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया। 'विद्यार्थी मित्र' क्षणिका– 'बी.एड. कर'र/बणांवतो चित्र/स्कूल में लागग्यो/बो विद्यार्थी मित्र।' में यह समझ नहीं आया कि चित्र बनाना बुरा है अथवा मामूली पगार में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देना। ऐसी क्षणिकाओं को 'शब्द-क्रीड़ा' की श्रेणी में ही खपाया जा सकता है।

फ्लेप पर 'शिविरा' के वरिष्ठ सम्पादक ओमप्रकाश सारस्वत की यह टीप सोलह आना खरी है कि 'एक सच्चा सृजनधर्मी उठता-बैठता, सोता-जगता अपने आसपास की घटनाओं व परिस्थितियों का आकलन करता रहता है और उसे आम आदमी के समक्ष प्रस्तुत करने का सरल व प्रभावी रास्ता तलाशता है।' कवि घोड़ेला अपने रोजमर्रा के अनुभवों को व्यंग्य की धारा में डुबोकर क्षणिकाओं के माध्यम से पाठकों से साझा करते हैं। 'क्षणिका' आकार में छोटी होते हुए भी थोड़े में ज्यादा कहने वाली सशक्त काव्य-विधा है जो पाठक के मर्म को छू लेती है। यह संग्रह उम्मीद जगाता है कि कवि भविष्य में और अधिक परिष्कृत व धारदार क्षणिकाओं से राजस्थानी साहित्य को समृद्ध करेंगे।

गुजरात की प्रतिभावान युवा चित्रकार सेजल कथीरिया के मनमोहक आवरण से सुसज्जित इस संग्रह को चंद्र साहित्य प्रकाशन ने छापा है। अच्छी छपाई-बँधाई वाली इस किताब के लेखन-प्रकशन के लिए कवि, अकादमी व प्रकाशक बधाई के हकदार हैं।

–मदन गोपाल लढ़ा
144, लढ़ा-निवास, महाजन (बीकानेर)

हरजस; पं. चन्द्रशेखर श्रीमाली; गुरु प्रकाशन, 3घ24, पवनपुरी, बीकानेर; संस्करण : 2012; पृष्ठ संख्या : 92; मूल्य : 50 रुपये।

भजन का महत्त्व हमारे देश में प्राचीनकाल से ही है। एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले इसके गायन से अपने समीप एक सच्चे साथी की अनुभूति करते हैं, वहीं दूसरी ओर समूह में इनके गायन से यह वातावरण में सद्ज्ञान का वितान करते हैं। यह पद्धति काफी सहज और सुगम है तथा 'रागात्मक' होने के कारण इसमें लय का प्रादुर्भाव होता है। लयात्मक होने के कारण ये व्यक्ति के स्मृतिपटल पर शीघ्र ही स्थायीरूप ले लेते हैं। भजनों के बार-बार गायन से यह मनोविकारों को नष्ट कर सद्ज्ञान की उपस्थिति देते हैं जो हमें कर्तव्यकर्म का बोध करवाने में सहायक हैं। समय-समय पर हमें अनेक रचनाकारों के रचित भजन प्राप्त होते रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक 'हरजस' उसी क्रम की एक श्रेष्ठ रचना है।

'हरजस' के लेखक एवं संकलनकर्ता पं. चन्द्रशेखर श्रीमाली एक अच्छे चित्रकार हैं एवं भारतीय वाङ्मय में भी रुचि एवं ज्ञान रखते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में इनके द्वारा रचित भजनों के साथ-साथ अधिकांश भजन बीकानेर के प्रसिद्ध रस चिकित्सक रहे (स्व.) भैरवलाल जी 'वागीश' के द्वारा रचित भजनों का संग्रह है। श्री भैरवलाल जी 'वागीश' के भजनों की रचना से उनके आध्यात्मिक क्षेत्र के ज्ञान का बोध होता है वहीं दूसरी ओर ये रचनाएँ व्यक्तियों को सांसारिक भ्रमजाल से मुक्त करने में सहायक हैं।

जीवन की उपादेयता बनाने में सद्गुरुओं की प्रमुख भूमिका होती है। अतः साधक का सद्गुरुओं के प्रति क्या भाव हो श्री 'वागीश' के कतिपय भजन यथा– सुमिरण सतगुरु का नित सत है : बिन गुरु ज्ञान नहीं उपजत है, मुक्ति नहीं मिलत है; गुरुजी म्हारी नाव उतारो पार, एवं इसी क्रम में अपने सद्गुरुओं के प्रति सगुण-निष्ठा योग के भावपूर्ण भजन राग धनाश्री में रचा है– मन मेरो गुरु घर विसरत नाहीं; विनय भाव राग मारवाड़ी में– अब गुरु चरणों चित लाय सखी आदि भजन इसकी प्रेरणा देने वाले हैं।

श्री 'वागीश' के भजन जो कि ईश्वरीय स्वरूपों पर रचे गये हैं उन्हें सम्बन्धित राग में गायन करने से भजनों के भावों को साकार रूप प्रदर्शित कर देते हैं यथा– भगवती तारा के स्वरूप का वर्णन, शिव-विनय, भैरवदर्शन, समाधि योग, अंबरी धोक कवि लोग बोले बिरद आदि।

'हरजस' में कुल 52 भजन हैं। पुस्तक की रचना में लेखक द्वारा रचित दो गीत माँ और 'मातृ पूजन' समाज में मातृशक्ति के महत्व का परिचय कराने वाले हैं। पुस्तक में लेखक ने 'भजनों का महत्व-एक विवेचनात्मक अध्ययन' पर जो लेखन किया है वह सुधी पाठकों के पठनार्थ एवं उपयोगी है। पुस्तक का मुद्रण सुन्दर है। मूल्य उचित है तथा आध्यात्मिक रुचि रखने वालों के लिए यह अत्यधिक उपयोगी है।

–नूतन कुमार हर्ष
सहायक लेखाधिकारी, बजट अनुभाग,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

***नई रोशनी;** संजय जनागल; सोशल प्रोग्रेसिव सोसायटी (रजि.), चौखूंटी, बीकानेर; संस्करण : 2011; पृष्ठ संख्या : 80; मूल्य : 125 रुपये।*

नई रोशनी पुस्तक संजय जनागल की लघु कथाओं का संग्रह है। इस संग्रह में लेखक ने कलम की कारीगरी का चमत्कार दिखाया है कि छोटी से छोटी लघुकथा केवल दो पंक्ति में नाम, चार पंक्ति में हैरानी एवं अपना लगे अंकित की है। दो-चार पंक्ति में सार युक्त लघुकथा लिखना लेखक की विशेषता मानी जाती है।

अन्य लघुकथाओं में कुछ बाल साहित्य है तो कुछ तो स्वयं लेखक के संस्मरण लगते हैं। संस्मरण का मतलब वे लघु कथाएँ प्रामाणिकता से परिपूर्ण हैं।

आज किसे फुर्सत है कि लम्बी-चौड़ी कहानियाँ पढ़े और शब्दों के आडम्बर तथा दार्शनिकता में घुसे। लोग तो रोजाना समाचार पत्र के शीर्षक पढ़कर ही समाचार पत्र पढ़ा हुआ मान लेते हैं। ऐसे लोगों को यात्रा या अन्य फालतू समय में पढ़ने के लिए लघु कथाएँ राहत देती हैं। अगर उनमें दम हो तो एक के बाद एक पाठक पढ़ता रहता है।

मैंने नई रोशनी की लघु कथाएँ आरम्भ की तो मैं तब तक पढ़ता रहा जब तक अन्तिम लघु कथा रोब नहीं आई। न इस पुस्तक में शब्दाडम्बर है और न थोथे नारे या भाषण।

सभी लघुकथाओं का अलग-अलग विवेचन करने से पाठक पूरी पुस्तक पढ़ने से वंचित रह जाएँगे अतः इतना ही कहना युक्तिसंगत होगा कि *'सतसईया के दोहरे, ज्यौं नाविक के तीर।/ देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर॥*

पुस्तक में मुद्रण साफ-सुथरा त्रुटि रहित। कागज व छपाई सुन्दर। चित्ताकर्षक आवरण। पक्की जिल्द। मूल्य सवा सौ रुपये उपयुक्त है। संजय जनागल इस सफल कृति के लिए बधाई के पात्र हैं। लघुकथा संग्रह पर लघु समीक्षा ही उपयुक्त रहती है। एक बार पुनः बधाई।

–देवकिशन राजपुरोहित
सूर्य सदन, चम्पाखेड़ी, वाया - रेण, जिला - नागौर

***विरासत (काव्य-संकलन);** महेन्द्र सिंह महलान; 1/20 महरौली, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2011; पृष्ठ संख्या : 94; मूल्य : 120 रु.।*

काव्य संकलन का आरम्भ तिजारा अलवर के साहित्यकारों के परिचय से आरम्भ होता है। सर्वप्रथम उल्लेख उज्जैन शासक महाकवि भर्तृहरि के तिजारा प्रवास व उनके द्वारा सृजित साहित्य को प्रदर्शित करता है। जो उनके जीवन ग्रन्थ के पृष्ठ है उन्होंने साहित्य में अपने भोगे हुए यथार्थ को जीवित किया है। महाकवि बलबीर सिंह करुण– जो राष्ट्रभक्ति व वीर रस के ओजस्वी कवि का परिचय, कथाकार महेन्द्र सिंह महलान, मंच संचालक डॉ. कमलेश वसंत, जनकवि जीत खाँ मेवाती व विशेष चर्चा मीराबाई पर की गई है।

इस काव्य संग्रह में 30 कविताओं का संकलन है, कवियों ने मन के क्षितिज पर चिन्तन व सामाजिक सरोकारों के कई रंग संजोए हैं। उस सतरंगी सौन्दर्य में सन्निहित ये कविताएँ यथार्थ का प्रतिबिम्ब हैं, कवियों ने मानवीय जीवन के अनेक पक्षों को अपनी लेखनी से छुआ है। जिसमें भावों की ऊँचाई, दर्द की गहराई परिलक्षित होती है काव्य संग्रह की कुछ कविताएँ भावात्मक उत्कर्षों की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति हैं, इस काव्य संग्रह की प्रथम कविता– 'आज फिर कोई व साहित्य कहाँ झूठ बोलता है' में कवयित्री ने साहित्य की सामर्थ्य को प्रदर्शित करती कविता हर सच को मुद्दत से झकझोरती प्रतीत होती है, 'तुझे जीऊँगी जिन्दगी' में सुशीला चौधरी ने जीवन संग्राम में जीवटता से जीती जिन्दगी का बयां 'बहुत अच्छा था, छोड़ गुलामी यह भेड़-चाल' में औरत को उसके वास्तविक स्वरूप का परिचय कराती, जाग्रत होने का आह्वान करती कविता, 'पेड़ लगाओ जीवन भर' में पेड़ की माँ की उपमा देकर पेड़ों की महत्ता पर लिखी गई कविता 'तुम माँ हो या' में भ्रूण-हत्या पर लिखी मार्मिक कविता आधुनिक माँ के इस कृत्य पर प्रश्नवाचक छोड़ती– 'कैची की कच-कच से कुतरे जाते हैं नन्हीं तितली के पंख', दिल को झकझोरती कविता तीन क्षणिकाएँ में जीवन के फलसफे व मंजिल को पाने के सूत्र को बताती गागर में सागर भरती क्षणिकाएँ थीं– पावक की लपटों में पड़कर सोना कुन्दन बन जाता है भाव शुद्ध हो कच्चा धागा रक्षाबन्धन बन जाता है। ग़ज़ल में ग़ज़लकार डॉ. जगन्नाथ ने समय की महत्ता आपसी सहयोग प्रेम भाव कर्तव्य-परायण पर केन्द्रित ग़ज़ल गुनगुनाने योग्य थी। 'हमनें देखा है' में रमेश शायर की लेखनी ने तीखे व्यंग्य व जीवन के यथार्थ की प्रभावशाली प्रस्तुति की जो दिल को झकझोरती है– 'किस-किस से चलें बचके जहाँ' में इंसानों के घरौंदों से देखा नागों को निकलते। 'अलाव' कविता में अभावों में भी सुख को खोजकर जीता गरीब जीवन की आवश्यकताओं में अमीरी-गरीबी के द्वन्द्व का अलाव के माध्यम से चित्रण बहुत अच्छा लगा, 'अबोध प्रश्न' में कवि ने मेहनतकश मजदूर के उस अबोध बच्चे की इच्छा व लालसा को गरीबी की फाकाकशी में दम तोड़ती भावना का बहुत यथार्थ चित्रण साम्यवादी सोच को प्रदर्शित करती कविता बहुत सुन्दर लगी, 'हम करें मेहनत लूट ले जमाना, क्या इसी को ही कहते हैं कमाना, वक्त और इंसान' कविता में कवि रोहिताश मीणा ने जीवन की आपाधापी में जी रहे इंसान व वक्त के आधुनिक नाजुक सम्बन्धों का बया करती कविता बहुत अच्छी व पठनीय थी, 'सारे रिश्तों को इंसान मार चुका है पर उन्हें दफनाने का भी वक्त नहीं' डॉ. राजकुमार धोटल की ग़ज़ल में गिरते नैतिक मूल्यों से पैदा हुई सामाजिक बुराइयों व समस्याओं का चित्रण 'इंसानी रिश्तों के बंधन ढीले-ढाले लगते हैं शायद किसी सिरफिरे ने काट लिए होंगे। नेता संविधान संसद कोरे पड़े हैं कहीं दल बदलुओं ने चाट लिये होंगे।

'चेतन के स्वर' में कवि ने भारत वर्ष की वर्तमान गरीब हालात का यथार्थ चित्रण किया एक बानगी– आज देश की आधी जनता भूखी सो जाती है बचपन की दुनिया कचरा चुनने में खो जाती है। दहेज की बुराई पर कटाक्ष करती पंक्ति– बिक सके ऊँची दरों पर पुत्र वो हथियार है। संवेग कविता में डॉ. अंजना अनिल ने पारिवारिक अटूट रिश्ते जो मुट्ठियों से रेत की मानिंद फिसलकर खत्म होते जा रहे का चित्रण, जल रहे सारे शहर हैं– डॉ. मदन केवलिया ने समाज से विलुप्त हो रही संवेदना व बढ़ते अविश्वास आगे बढ़ने व धन की लालसा में बढ़ती गलाकाट वर्तमान प्रतिस्पर्द्धा का बहुत मार्मिक चित्रण कविता में किया– दर्द पर किसकी नजर है सबको दौलत की खबर है, बलबीर सिंह करुण की कविता– यह इस युग का चलन है में व्याप्त भ्रष्टाचार देशद्रोह, चापलूसी पर करारा व्यंग्य प्रस्तुत करती कविता– बिच्छुओं को पद्मभूषण और भारतरत्न नागों को मिलेगा, धर्म की गिरावट पर व्यंग्य करती पंक्ति– 'हरम बनने लगे हैं धरम गुरुओं के ठिकाने, कब अँधियारे हारेंगे' में दूषित राजनीति का चित्रण– जिन-जिन के भी हाथ समय ने राजमहल की चाबी दी सबने पूरी मुस्तैदी से जनता को बरबादी दी, समाज में व्याप्त यौनाचार का यथार्थ चित्रण– कितने ही सुकुमार बसन्तों को पतझड़ खा जाते हैं लाखों सुमन यहाँ खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। कवियों ने अपनी कलम के शाब्दिक स्पर्श से पाठक के हृदय को छुआ है भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से कुछ कविताएँ उत्कृष्ट हैं जिनमें पाठक को उद्वेलित कर देने की क्षमता; अनुभवों की सूक्ष्मता और गहराई है कवियों ने अपनी कविताओं में जीवन के अहसासों को पूरी ईमानदारी से उकेरने का प्रयास इस काव्य संग्रह में किया गया है।

–सरदार सिंह चारण, व्याख्याता
डाईट, जालोर, राजस्थान

मरीजों का दिल पढ़ना होगा मुमकिन

सैन डिएगो। शारीरिक रूप से अक्षम ऐसे लोग, जो अपने दिल की बात होठों पर नहीं ला पाते हैं, उनके मन को पढ़ना अब मुमकिन होगा। शोधकर्ताओं ने मशहूर भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 'आईब्रेन' नामक ऐसा उपकरण बनाया है, जो दिमाग में चल रही बातों को कम्प्यूटर पर बयां कर सकता है। न्यूरो विजिल कम्पनी में चीफ एक्जिक्यूटिव के तौर पर काम कर रहे फिलिप लो की अगुवाई मं 'आईब्रेन' का आविष्कार हुआ। यह उपकरण एक हेडबैंड की तरह है, जिसका आकार माचिस के डिब्बे जितना है और जो पंख जितना हल्का है। लो के मुताबिक शारीरिक रूप से अक्षम लोग और ऑटिज्म जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीज 'आईब्रेन' से खासे लाभान्वित होंगे। इसे सिर पर लगाकर उनकी मनोस्थिति भाँपी जा सकेगी। लो ने बताया कि जब व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हो, टीवी देख रहा हो या फिर ऐसा कोई काम कर रहा हो, जिसमें दिमाग पर ज्यादा जोर न पड़े, तो 'आईब्रेन' उसके मस्तिष्क में दौड़ रही विद्युतीय तरंगों को इकट्ठा कर लेता है। ये तरंगे दिमाग में विचारों को जन्म देती हैं, जिसके अनुरूप इंसान काम करता है। चूँकि ये मस्तिष्क की कई सतहों को पार करके विचार का रूप लेती हैं, इसलिए पहले 'आईब्रेन' के जरिए इनका सरलीकरण किया जाता है। इसके बाद कम्प्यूटर में इन्हें फीड कर दिया जाता है। फिर जब भी व्यक्ति कुछ सोचता है, कम्प्यूटर आसानी से वह बात जाहिर कर देता है। इस तरह बिन बोले ही इंसान के मन की बात सामने आ जाती है।

दिल दुरुस्त रखेगा स्प्रे

स्टाकहोम। दिल के मरीजों को अब न ही इंजेक्शन का दर्द झेलना होगा, न ही गोलियाँ गटकनी पड़ेंगी। स्वीडन स्थित लुंड युनिवर्सिटी के वैज्ञानिक खास रसायनों से लैस एक ऐसा नोजल स्प्रे बनाने में कामयाब रहे हैं, जो हार्ट अटैक के खतरे से बचाएगा। यह स्प्रे आने वाले पाँच साल में बाजार में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

'द मिरर' के मुताबिक स्प्रे में मौजूद रसायन प्रतिरोधी तंत्र में फैट का स्तर नियंत्रित रखने वाले एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। इससे रक्त धमनियों में वसा नहीं जमता और खून का प्रवाह सुचारु रूप से होता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि वसा का स्तर घटाने में नया स्प्रे चिकित्सा जग के पास उपलब्ध मौजूदा दवाओं और इलाज पद्धतियों से ज्यादा कारगर है। चूहों पर परीक्षण के दौरान यह रक्त धमनियों में जमे 60 से 70 फीसदी वसा को हटाने में कामयाब रहा। अब इसे इंसान पर आजमाने की तैयारी है। अमेरिका और कनाडा में साल के अंत में 144 हृदयरोगियों पर इसका प्रभाव आँका जाएगा। प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर पीटर वेसबर्ग की मानें तो नया स्प्रे इंजेक्शन के जरिए भी लिया जा सकेगा। यह काफी महँगा होगा। लिहाजा सिर्फ उन्हीं मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिनकी धमनियों में इतना अधिक वसा जम गया है कि उन्हें कभी भी हार्ट अटैक पड़ सकता है। वेसबर्ग के अनुसार इस स्प्रे को चिकित्सा नियामक संस्था की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अगले पाँच साल में इसके व्यावसायिक इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। शोधकर्ता ऐसा इंजेक्शन बना रहे हैं, जो हार्ट अटैक के बाद दिल की कोशिकाओं में आई दरार को जल्दी भर सके।

सूक्ष्म रोबोट देगा शरीर में बीमारियों की जानकारी

ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो एक ऐसा सूक्ष्म रोबोट बना रहे हैं जो मनुष्य के शरीर में घुसकर बीमारियों का पता लगाने के लिए एक जीव की तरह काम करेगा। यह रोबोट इतना सूक्ष्म होगा कि इंसानी शरीर में मौजूद द्रव में तैर सकेगा। ब्रिटेन के न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों सहित शोधकर्ताओं के दल का मानना है कि 'साइबरप्लास्म' नाम का ये सूक्ष्म रोबोट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंसानी शरीर को संरचना की तर्ज पर कृत्रिम जीव कोशिकाओं से मिलकर बनाया जाएगा। वैज्ञानिकों की योजना है कि साइबरप्लास्म में इलेक्ट्रॉनिक स्नायु प्रणाली का प्रयोग किया जाए, जिसमें स्तनपाई जीवों की तर्ज पर आँखें और नाक हो। साथ ही इसमें कृत्रिम मांसपेशियाँ रहेंगी जो ग्लूकोज से ऊर्जा लेकर काम करेगी। ब्रिटेन और अमेरिका की कुछ संस्थाएँ मिलकर अगले कुछ सालों में साइबरप्लास्म का निर्माण करेगी। साइबरप्लास्म को एक विशेष तरह की समुद्री मछली की तर्ज पर बनाए जाने की योजना है।

फेंकिए नहीं, बड़े काम आएँगे दूध के दाँत

मुम्बई। अक्सर दूध के दाँत टूटने के बाद फेंक दिए जाते हैं। लेकिन अब उन्हें फेंकिए मत। वे आपके बहुत काम आ सकते हैं। दरअसल, दूध के दांतों से प्राप्त स्टेम सेल से आपके और आपके बच्चे की गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों के दूध के दाँत फेंकिए नहीं, बल्कि उसे डेंटल स्टेम सेल बैंक में सुरक्षित रख दीजिए। हालांकि गर्भनाल को स्टेम सेल का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है लेकिन इससे सिर्फ ल्यूकोमिया जैसे रक्त सम्बन्धी विकारों का ही इलाज हो सकता है। जबकि दूध के दाँत से प्राप्त स्टेम सेल से ऊतकों से जुड़ी 96 फीसदी बीमारियों का निदान संभव है। देश में यह क्षेत्र नया है। हर महीने करीब 60-70 लोग अपने दाँत सुरक्षित करवा रहे हैं।

इंजेक्शन के दर्द से छुटकारा जल्द

लंदन। गठिया का दर्द अपने आप में बेहद कष्टदायी है। उस पर इंजेक्शन मरीजों की पीड़ा और बढ़ा देता है। लेकिन अमेरिकी कम्पनी 'माइक्रोचिप' के वैज्ञानिक अब एक ऐसी चिप बनाने में कामयाब रहे हैं, जिसे ऑपरेशन के जरिए शरीर में लगा दिया जाता है।

इसके बाद मरीज को तय समय पर जरूरी दवा की खुराक मिलती रहती है। वो भी इंजेक्शन का दर्द झेले बगैर। प्रमुख शोधकर्ता रॉबर्ट लैंगर के मुताबिक नई चिप कई बारीक छिद्रों से लैस है। सर्जरी के जरिए पेट में डालने से पहले इन छिद्रों में दवाइयाँ भरी जाती हैं।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक छिद्र के ऊपर टाइटैनियम या प्लैटिनम की बारीक परत लगाई गई है, जो बिजली का मामूली झटका देने पर पिघल जाती है। इसके बाद छिद्रों से निकलने वाली दवाएँ खून में घुल जाती हैं और मरीज को दर्द से राहत मिलती है। लैंगर की मानें तो नई चिप सिर्फ गठिया ही नहीं, डायबिटीज, कैंसर और हृदयरोगों के इलाज में भी कारगर साबित

होगी। इसके आने वाले पाँच साल में चिकित्सा जगत के पास उपलब्ध होने की उम्मीद है।

शोध टीम से जुड़ी जूलिया थॉमसन के अनुसार बैटरी युक्त इस चिप की लम्बाई महज दो इंच है। पेट में इसकी मौजूदगी के बावजूद मरीज को जरा भी असुविधा महसूस नहीं होती।

चिप का चमत्कार– • आधे घंटे की मामूली सर्जरी के जरिए पेट में डाली जाएगी चिप। • तय समय पर हड्डियों को मजबूत बनाने वाली दवा की देगी खुराक। • डायबिटीज, कैंसर और हृदय रोगों के इलाज में भी होगी मददगार। • मरीज को नहीं होगी असुविधा कुछ घंटे बाद मिलेगी छुट्टी।

नई तकनीक की खासियत– • 02 इंच है बैटरी युक्त इस चिप की लम्बाई। • 20 दिन की खुराक इसमें डाली जा सकती है। • 05 साल में मरीजों के लिए होगी उपलब्ध। • 08 मरीजों पर परीक्षण में मिली कामयाबी।

रक्त की स्टेम कोशिकाओं से नेत्र संरचना तैयार

वाशिंगटन। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन मैडिसिन के वैज्ञानिकों ने पहली बार इंसानी रक्त की स्टेम कोशिकाओं में नेत्र संरचनाओं को तैयार करने का दावा किया है। इस टीम ने रैटिना की पूरी संरचना तैयार की है। आम रैटिना की तरह इसकी क्षमता भी कोशिकाओं की परतें तैयार करने की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन कोशिकाओं के पास ऐसे तंत्र हैं जो सूचनाओं के संचार की इजाजत देते हैं। आँखों की पिछली दीवार और रेटिना की प्रकाश संवेदी कोशिकाएँ तरंगों को पैदा कर ऑप्टिक तंत्रिकाओं के माध्यम से दिमाग तक भेजती हैं जिससे लोग देख पाते हैं। यह खोज इस बात का संकेत देते हैं कि इंसानी रेटिना कोशिकाओं से ज्यादा जटिल रैटिना ऊतकों को बनाना सम्भव है।

स्प्रे से पता लगेगा गले का कैंसर

लंदन। कैंसर के मरीजों की सबसे बड़ी त्रासदी है कि उन्हें बीमारी का बहुत देर से पता चल पाता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे मरीजों को राहत देने के लिए कैम्ब्रिज मेडिकल रिसर्च काउंसिल कैंसर सेल इकाई के वैज्ञानिकों ने फ्लोरोसेंट डाई स्प्रे नामक एक उपकरण विकसित किया है। इसकी मदद से गले के कैंसर का समय रहते पता लगाया जा सकता है।

वैज्ञानिकों का दावा है कि यह उपकरण सिर्फ स्वस्थ कोशिकाओं के साथ प्रतिक्रिया करता है। जबकि यह स्प्रे कैंसरग्रस्त या कैंसरग्रस्त होने की ओर बढ़ रही कोशिकाओं से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ऐसे में स्प्रे के इस्तेमाल के बाद शरीर के कैंसर से प्रभावित हिस्सों में धब्बे बन जाते हैं। बिजली के झटकों की मदद से बिना सर्जरी के इस बीमारी का इलाज संभव है। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर रिबेका फिट्जगार्ल्ड का कहना है कि गले के कैंसर का पता लगाने के लिए उपलब्ध मौजूदा तकनीकें एकदम सटीक नतीजे देने में अक्षम हैं। लेकिन हमारे द्वारा विकसित तकनीक कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की सटीक पहचान करता है। इसमें इस्तेमाल डाई बहुत सस्ता है और शरीर पर कोई नकारात्मक असर भी नहीं पड़ता है।

खाने की नली की कोशिकाओं में मौजूद ग्लाइकेंस और शुगर अणुओं पर एक निश्चित लम्बाई की फ्लोरोसेंट तरंगे छोड़ी जाती हैं। इससे स्वस्थ कोशिकाएँ हरे रंग में चमकने लगती हैं। इसको नली में भेजे गए इंडोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है।

जर्नल नेचर मेडिसीन में प्रकाशित शोधपत्र में कहा गया है कि वैज्ञानिक फिलहाल इस तकनीक का परीक्षण इंसानों पर कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले पाँच साल में यह आम मरीजों के लिए उपलब्ध हो सकेगा।

पेट्रोल नहीं, तो कचरे से चलाएँ कार

फल, सब्जियों का कचरा या सड़ी हुई सब्जियाँ हमेशा ही कचरे में फेंकी जाएँ ऐसा जरूरी नहीं है, जर्मनी के श्टुटगार्ट शहर में इस कचरे से कार चलाने की कोशिश हो रही है।

जर्मनी जैसे विकसित देशों में ढेर सारा खाना अक्सर कचरे के डिब्बे में जाता है। हाल ही में आए रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि जर्मनी के लोग सालभर में 11 मेट्रिक टन खाना कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं।

जर्मनी ऑटोमोबाइल राजधानी श्टुटगार्ट में इन दिनों शोध चल रहा है कि कैसे फलों सब्जियों के कचरे से बायोगैस बनाई जाए। ऐसे सर्विस स्टेशन बनाने पर भी विचार हो रहा है। जहाँ इस गैस को सीधे कार में डाला जा सके। जहाँ बायोगैस बनेगी वहीं उसे कार में भी डाला जाएगा।

पेट्रोल की दिन ब दिन बढ़ती कीमतों के बीच यह खोज फायदे का सौदा साबित हो सकती है।

श्टुटगार्ट के बाजार में हर साल दो हजार किलोग्राम ग्रीन कचरा पैदा या फिर कहें कि जैविक कचरा पैदा होता है। फिलहाल इसे नगर निगम ले जाता है और इसका खाद तैयार करता है। जर्मनी के कई राज्यों में बायोगैस के जरिए घर को गर्म रखने का सिस्टम चलाया जाता है या फिर बिजली बनाई जाती है।

श्टुटगार्ट में बायोगैस फैक्ट्री द्वारा इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत पास के बाजार और कैफे से जैविक कचरा इकट्ठा किया जाएगा और इसे सड़ाकर मीथेन गैस बनाई जाएगी। कई दिन चलने वाली दो स्तर की प्रक्रिया में कई जीवाणु कचरे को पचाएँगे, जिससे मीथेन गैस बनेगी। इसे गाड़ी में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह उन कारों में इस्तेमाल की जा सकेगी जो सीएनजी गैस से चल रही हैं।

कचरे का कचरा नहीं– बायोगैस बन जाने के बाद जो बच जाता है और जिसे सड़ाया नहीं जा सकता उसका कहीं और इस्तेमाल किया जाता है। सड़े हुए कचरे से निकले पानी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होती है इसे काई की पैदावार बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। काई से डीजल इंजिन के लिए ऑयल बन सकता है। कुल मिलाकर कचरे का कचरा बिल्कुल नहीं बचता।

इंजेक्शन से होंगी हड्डियाँ रिपेयर

नई दिल्ली। अब अगर आपकी हड्डियाँ टूट जाएँ या बेकार हो रही हों तो फिर से जोड़ने या हड्डियों की मरम्मत के लिए आपको लम्बा इंतजार नहीं करना होगा। सिर्फ एक इंजेक्शन की मदद से रोगी की हड्डियाँ चंद दिनों में ही रिपेयर हो सकेंगी। यह इंजेक्शन स्टेम सेल इंजेक्शन होगा, स्टेम सेल आपकी ही या किसी डोनर की हड्डियों से ली जाएँगी। इंजेक्शन से हड्डियों के स्टेम सेल को पीड़ित के शरीर में पहुँचाया जाएगा, फिर यह एक खास तकनीक की मदद से शरीर के उन हिस्सों तक ले जाया जाएगा जहाँ हड्डियाँ टूटी हैं या बेकार हो रही हैं। इस तकनीक से खासकर उन बुजुर्ग मरीजों को राहत मिलेगी, जिनकी हड्डियाँ कमजोर हो चुकी हों।

झुन्झुनूं

रा.उ.मा.वि., निराधनू में श्री रणजीत सिंह द्वारा 50,000 रुपये की लागत से पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया। **रा.उ.मा. वि., हंसासर** में श्री श्रीराम वर्मा द्वारा 3,25,000 रुपये की लागत से 24'×20' का एक कमरा मय बरामदा का निर्माण करवाया गया, श्री हनुमानसिंह से 11,000 रुपये नकद, समर्थ समूह गुड़गांव से 10 पंखे मूल्य 13,000 रुपये, श्रीमती अनिता चौधरी, सुमित्रा बुड़ानिया से प्रत्येक से एक-एक पंखा तथा प्रत्येक की लागत - 1300 रुपये, श्री इन्द्रपाल सिंह, बाबल से नकद 2,100 रुपये। **श्री फूलचन्द जालान रा.उ.मा.वि., नूआं** में जनसहयोग से 50 जोड़े छात्र-टेबल मय स्टूल लागत - 1,00050 रुपये, 03 तख्ते 6×3 लागत - 7500 रुपये, 03 दरी 15×8 लागत 20,800 रुपये, एक गैस बत्ती लागत 500 रुपये। **रा.मा.वि., धोलाखेड़ा (उदयपुर वाटी)** में श्री गोपाल राम खैरवा द्वारा 1,00,000 रुपये की लागत से विद्यालय का मुख्यद्वार, श्री ताराचन्द खैरवा एवं स्व.श्री चन्दगीराम की पत्नी श्रीमती शांती देवी द्वारा 30,000 रुपये की लागत से विद्यालय भवन की सीढ़ियाँ, श्री मनेष कुमार सर्वा से टेबल स्टूल के 50 सैट लागत- 40,000 रुपये, श्री घड़सीराम खैरवा से टेबल-स्टूल के 25 सैट लागत - 21,000 रुपये, श्री हरीराम खैरवा द्वारा 30,000 रुपये की लागत से बालिकाओं के लिए शौचालय बनाया गया।

डूंगरपुर

रा.उ.मा.वि., छोटाद को केशवलाल भट्ट से प्रिन्टर लागत 13,101 रुपये तथा कुर्सियाँ लागत 12,000 रुपये, सर्वश्री भूपेन्द्र सेवक, रमणलाल पाटीदार प्रत्येक से 3,000 रुपये नकद सर्वश्री भेरू जी डेन्डोर रसिक सेवक प्रत्येक से 2,100 रुपये नकद, सर्वश्री जीतमल जैन, नाथूलाल पाटीदार, धनेश्वर पाटीदार, डायालाल पाटीदार, भगवान पाटीदार, चैतन्य पाटीदार, प्रकाश चन्द्र सेवक, बालजी पाटीदार से प्रत्येक से 2,000 रुपये नकद, उमिया शंकर सेवक से 1,500 रुपये नकद, 75 भामाशाहों से फर्नीचर सैट तैयार करने हेतु प्रत्येक से 1,000 रुपये नकद प्राप्त हुए।

बाड़मेर

रा.उ.मा.वि., खण्डप को डॉ. नृसिंह राजपुरोहित खण्डप स्मृति कोष से फाइबर ग्लास के बोर्ड (बास्केट बॉल लागत 50,000 रुपये एवं खिलाड़ियों हेतु पारितोषिक 20,000 रुपये, श्री देवीचन्द, पृथ्वीराज, भीमराज जैन द्वारा समापन दिवस को करीब 300 आगन्तुकों का भोजन खर्चा 21,000 रुपये। श्री मंगल सिंह, बखतावर सिंह गोयल द्वारा साफा एवं माला व्यवस्था लागत 11,000 रुपये सर्वश्री संपतराज, धनराज छोका, सांवलचन्द, गिरधारीलाल छाजेड़, थानमल जैन द्वारा तीन दिवस अल्पाहार एवं भोजन, श्री चम्पालाल जैन द्वारा स्मृतिचिह्न के रूप में 200 बैग, श्री जोगसिंह, चिमनसिंह गहलोत द्वारा प्रतीक चिह्न भेंट। **रा.उ.मा.वि., राखी** में श्री अशोक कुमार जैन द्वारा 5,75,000 रुपये की लागत से एक हॉल (32×27 फुट), रंगरोगन, मय विद्युत फिटिंग, श्री भगाराम चौधरी, श्री तगाराम बोका द्वारा एक हाल मय बरामदा 30×40 फुट लागत 8,70,000 रुपये तथा रंगरोगन मय विद्युत फिटिंग, विद्यार्थी के बैठने के लिए फर्नीचर टेबल-स्टूल 130 सैट लागत 1,04,000 रुपये तथा स्टेज, बगीचा, प्रार्थना स्थल साइज 20×43 फुट लागत 1,27,000 रुपये। **रा.मा.वि., फोगेरा** को ग्रामीणों के जनसहयोग से 44 सैट लोहे के टेबल व स्टूल लागत 50,000 रुपये। **रा.मा.वि., भारते की बेरी** को श्री भागीरथराम विश्नोई से एक कम्प्यूटर सैट लागत 24,000 रुपये। **रा.उ.प्रा.वि., भौमाणी सियागों की ढाणी सेतराऊ** में श्री खेताराम चौधरी द्वारा 1,25,000 रुपये की लागत से 'हितकारी प्याऊ' का निर्माण करवाया गया।

बांसवाड़ा

रा.मा.वि., कोहाला को श्री गणपतलाल से एक कम्प्यूटर सैट लागत 25,000 रुपये तथा जनसहयोग व कक्षा-10 के छात्रों द्वारा इन्वेटर लागत 16,500 रुपये। **रा.मा.वि., सरेड़ी छोटी** को विद्यालय के 35 छात्रों द्वारा 2 छत पंखे विद्यालय को भेंट। **रा.उ.प्रा.वि., नागरवाड़ा** को श्रीमती मंजुला पुरोहित एवं सन् डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा विद्यालय के 50 छात्र-छात्राओं की गणवेश लागत 11,000 रुपये।

बीकानेर

रा.उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर को श्रीमती सुजाता गुप्ता से 100 प्लास्टिक कुर्सियाँ लागत 45,000 रुपये। **रा.उ.मा.वि., बीकमपुर** को जनसहयोग से 75 टेबल एवं 75 स्टूल एवं एक माईक सैट लागत 85,200 रुपये, श्री फूस सिंह सांखला से 5 प्लास्टिक कुर्सियाँ एवं 10 लोहे की टेबल लागत 9,500 रुपये। **रा.उ.मा.वि., हदां** को श्री राधेश्याम ऊंभा से छः कारपेट मैट (6×20×6) लागत 720 वर्ग फुट लागत 7200 रुपये तथा दो प्लास्टिक बाल्टी मय पीतल की टूटी लागत 300 रुपये। **रा.मा.वि., मोरखाना** को श्री शेरसिंह भाटी (पूर्व सरपंच) से दो अलमारी लागत 7300 रुपये, 3 मेज 3'×2' लागत 1350 रुपये, 6 मेज 2'×1.5' लागत 2010 रुपये, कुर्सी 3 नग लागत मूल्य 2,190 रुपये, दरी बड़ी 4 लागत 45,270 रुपये, टेबल ग्लास एक लागत 500 रुपये, हैण्डपंप एक लागत 1500 रुपये, मेजपोश-3 नग लागत 400 रुपये, दरी पट्टी 32 लागत मूल्य 4,480 रुपय। **रा.मा.वि., नालबड़ी** को श्री जीवराज से पाँच छत पंखे लागत 6,000 रुपये। **रा. नेत्रहीन छात्रावासित वि., बीकानेर** को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सादुलगंज शाखा द्वारा ओरियण्ट कम्पनी के पाँच छत पंखे सप्रेम भेंट, श्री हरविन्दर सिंह भाटिया से एक सिलाई मशीन भेंट। **रा.उ.प्रा.वि., मोहनपुरा नोखा** को श्री ओमप्रकाश मूँधड़ा से 5 छत पंखे (खेतान) तथा एक अलमारी (गोदरेज) लागत 12,150 रुपये, श्रीमती सुनीता विश्नोई से 90 ऊनी स्वेटर (ओसवाल) लागत 13,500 रुपये, सुरेश हटीला (प्र.अ.) एवं शाला स्टाफ से 2 प्लास्टिक चेयर तथा 150 छात्रों हेतु शिक्षण किट लागत 3,200 रुपये, रोटरी क्लब नोखा से 130 ऊनी स्वेटर (खादी मन्दिर) लागत 21,000 रुपये, अभिभावकों, मोहल्लेवासियों एवं शाला स्टाफ से नकद राशि (पारितोषिक एवं मिठाई) लागत 4,230 रुपये। श्री शंकरलाल परिहार से साइकिल पेटे 500 रुपये। **रा.बा.उ.मा.वि., रघुनाथसर कुआ** को श्रीमती शीला शर्मा से एक लेजर प्रिन्टर सप्रेम भेंट लागत 6,000 रुपये।

पाली

रा.उ.मा.वि., लुणावा को सागर चेरिटेबल ट्रस्ट मुम्बई से 16 प्लास्टिक चेयर (सुप्रीम) लागत 11,200 रुपये तथा एक अलमारी लोहे (6'×3') की लागत 3,800 रुपये। **रा.मा.वि., बिरांटियां खुर्द** को श्री पारसमल गोठी द्वारा कक्षा 1 से 10 तक के 400 छात्र-छात्राओं को ओसवाल कम्पनी के ऊनी स्वेटर तथा अन्य सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों (करीब 950) को भी स्वेटर वितरण, लागत 2,02,500 रुपये। **रा. आदर्श उ.प्रा.वि., पाँचलवाड़ा** को श्री पुष्पेन्द्र सिंह, भैरू सिंह कुम्पावत से एक लोहे की अलमारी लागत 3,000 रुपये, श्री फूलचन्द डूंगाजी रांगी से एक लेक्चर स्टैण्ड लागत 4500 रुपये तथा एक वाल फैन, एक छत पंखा, श्री लक्ष्मण सिंह, बहादुर सिंह मेड़तिया से एक छत पंखा लागत 900 रुपये, श्री घीसूलाल मनाजी चौधरी से समर्सिबल मोटर लागत 22,000 रुपये, श्री छगनदास जी वैष्णव से एक छत पंखा एवं बिजली कनेक्शन लागत 2500 रुपये, श्री गलबाराम खीमाजी चौधरी से बिजली कनेक्शन लागत 1100 रुपये, श्री प्रवीण कुमार मगाजी चौधरी से लोहे की एक बड़ी अलमारी तथा बिजली कनेक्शन लागत 5300 रुपये, श्री पुखराज भगवान चौधरी द्वारा बिजली कनेक्शन लागत 1100 रुपये, श्री केसराम गलाजी चौधरी से वृक्षों के ट्री गार्ड लागत 2000 रुपये, श्रीमती चुन्नीबाई गलाजी चौधरी से एक माइक सैट लागत 5500 रुपये, श्री हरजीराम चौधरी से एक लोहे का सन्दूक (6'×3') लागत 3500 रुपये, श्री नेनसिंह से स्पीकर का एक बड़ा कॉलम लागत 2000 रुपये, श्री गोरधन सिंह से स्पीकर का एक बड़ा कॉलम लागत 2000 रुपये, श्री रमेश कुमार वक्ताजी चौधरी से तीन लोहे की टेबल तथा 30 सैलो कुर्सियाँ लागत 11000 रुपये, श्री प्रताप सिंह से खेल सामग्री लागत 1100 रुपये। **रा.उ.प्रा.वि., झांझनवास** में श्री देवीलाल, विष्णुप्रसाद, किशोर सैन द्वारा 31000 रुपये की लागत से सरस्वती माँ के मन्दिर का निर्माण करवाया गया। श्री मंगलाराम मेघवाल से 10 छत पंखे लागत 11000 रुपये, श्री चन्द्राराम द्वारा पानी का हौद (टांका) लागत 15000 रुपये, श्री नरपत सिंह से खो-खो खिलाड़ियों की पोशाक लागत 4100 रुपये।

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक हर सहाय मीणा द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर के लिए माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्रकाशित एवं कोटावाला ऑफसेट, 82, सुदर्शनपुरा, इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित। © प्रधान सम्पादक : हर सहाय मीणा

चित्र समाचार

राजकीय बालिका उ.मा. विद्यालय, देलवाड़ा (राजसमन्द) में ईको क्लब गतिविधि के अन्तर्गत पक्षियों के परिण्डे लगाए गए।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ तोपदड़ा (अजमेर) की ओर से पक्षियों के लिए चुग्गा पात्र एवं परिण्डे लगाए।

स्वच्छता पखवाड़े के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोरा का खेड़ा (भीलवाड़ा) में एक छात्र को हाथ धुलाई का प्रशिक्षण देते विद्यालय के शिक्षकगण।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) में पल्स पोलियो अभियान में सहयोग करने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

राजकीय उ.प्रा. विद्यालय, जालप मौहल्ला, जोधपुर में आयोजित 'प्राथमिक उपचार संगोष्ठी' प्रधानाध्यापिका को फर्स्ट एड बॉक्स भेंट करते जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) श्री गोविन्द सिंह खंगरोत।

रा.मा.वि., हरसूलिया, फागी (जयपुर) एवं भारत स्काउट व गाइड संघ के तत्वावधान में गाँधीनगर रेलवे स्टेशन पर जल सेवा करते हुए सहायक जिला कमिश्नर श्री दीनदयाल गर्ग, प्र.अ. एवं स्काउट।

डाक पंजीयन संख्या
RJ/JPC/M-29/2011-13

शिविरा पत्रिका (मासिक) जुलाई, 2012
प्रकाशन तिथि : 2 जुलाई, 2012 पृष्ठ 64
प्रेषण : हर माह की 5, 6 तारीख

समाचार-पत्र पंजीयन संख्या
10350/66

हमारी धरोहर

देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने वाला
राजस्थान की राजधानी जयपुर (गुलाबी नगर) की शान हवामहल।